राजस्थान विधान सभा

१२ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक--१३ अक्टूबर, सन् १९५५

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-३६ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ३६७

जयपुर जिले के पी. पी. आई. के वेतन एवं उनके पास मुकद्दमे

श्री चांदमल मेहता—क्या विधि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जयपुर जिले में पी पी आई कौन कौन हैं ?

(ख) किस किस को कितना कितना वेतन दिया जाता है ?

(ग) पिछले तीन वर्ष में किस किस के पास कितने कितने मुकद्दमों की औसत रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मन्त्री)—(क) राजस्थान में पी. पी. आई. का कोई पद नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री खेतसिंह—इसका मतलब ? मुकद्दमे फिर कौन देखता है ?

श्री रामकिशोर व्यास—वह पी. पी. है, पी. पी. आई यहां कोई नहीं।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह विधि मन्त्री, कौन नये मन्त्री साहब आ गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—विधि और गृह दोनों कुछ मिले हुए हैं।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ३६८

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण चतुर्वेदी।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ३६९

सिरोही जिले में सर्वे किये गये प्रोजेक्ट

श्री जवान सिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) गत वर्ष व वर्तमान वर्ष में सिरोही जिले में कौन कौन प्रोजेक्ट सर्वे किये गये हैं ?

(ख) उपरोक्त प्रोजेक्ट में से कौन कौन बंध जाने के लिए मन्जूर हो चुके हैं और कौन कौन नामन्जूर हुए हैं ?

(ग) क्या ना-मन्जूर करने से पहिले इस बात को भी ध्यान में रक्खा गया है कि उस क्षेत्र को साधारणतया अभाव-ग्रस्त क्षेत्र रहने के कारण विशेष सुविधा देना आवश्यक है ?

श्री भोगीलाल पांड्या (सिंचाई मन्त्री)—(क) गत वर्ष व वर्तमान वर्ष में निम्नलिखित बन्धों की सर्वे की गई है :

(१) इुकरी इननडेशन प्रोजेक्ट

(२) ओरा प्रोजेक्ट

(३) रेस्टोरेशन ऑफ जुबली टैंक

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(४) कादम्बरी प्रोजेक्ट

(५) मार्यला जोड प्रोजेक्ट

(६) टोकरा इरीगेशन प्रोजेक्ट

(७) वेस्ट बनास इरीगेशन प्रोजेक्ट

(८) फुलेरा इरीगेशन प्रोजेक्ट

(ख) उपरोक्त बान्धों में से सुकरी प्रोजेक्ट, ओरा प्रोजेक्ट, जुबली टैंक मन्जूर हो चुके हैं और उन पर काम चालू है। कादम्बरी प्रोजेक्ट, मार्यला जोड प्रोजेक्ट, टोकरा प्रोजेक्ट, वेस्ट बनास और फुलेरा इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स की जांच पड़ताल की जा रही है और एस्टीमेट तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) यह प्रश्न अभी पैदा नहीं होता।

श्री जवानसिंह—यह सूकड़ी प्रोजेक्ट कहां पर है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सिरोही के आसपास।

श्री जवानसिंह—सिरोही से मिला हुआ है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सिरोही के आसपास है, उसका पानी सिरोही में भी जाता है। इसलिये उसको भी साथ में कर लिया।

(हंसी)

श्री जवानसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि सिरोही जिले में है या उसके बाहर ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पानी उसका सिरोही जिले में आता है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि यह सोजत के पास सूकड़ी नदी है उसके नाम से यह है !

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या राजस्थान में नदियां उल्टी भी चलती हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो फिर यह उल्टा कैसे ? सिरोही की तरफ पानी कैसे आयेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इन्जीनियर जो डेप्यूट किये गए इस काम के लिए उन्होंने बताया।

(हंसी)

श्री जवानसिंह—जो जुबली टैंक है वह सन् १८९८ में बना था या अब बनाने जारहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—क्या कहा आपने, सुना नहीं।

श्री जवानसिंह—यह जुबली टैंक सन् १८९८ में बना था या अब आप उसे नया बना रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह आप जानते हैं कि बांध अगर पहले से बने हुए भी हों तो उनका सर्वे करने का होता है, उनकी मरम्मत करने को होती है और उसको बढ़ाने करने की भी बात होती है। अब चूंकि वह पहले से बना हुआ है इसलिये काम ही नहीं होता ऐसा, मत कहिये।

श्री जवानसिंह—अब जुबली टैंक में किस बात की योजना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो जानकारी प्राप्त करके बताया जा सकता है।

श्री जवानसिंह—आपने अभी यह बताया कि जुबली टैंक बांध की सर्वे की है और वहां काम चालू भी है ; तो वह सर्वे किस बात की की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसमें आगे क्या किया जा सकता है, इस बारे में सर्वे की गई ?

प्रश्न संख्या ३७०

तहसील खंडार में मनुष्य भक्षी चीते को मारने की व्यवस्था

श्री धरमचन्द—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) तहसील खंडार में किस जगह पर मेन ईटर टाइगर्स हैं ?

(ख) पिछले १ वर्ष में कितने व्यक्ति इन टाइगर्स द्वारा खाये जा चुके व कितने जख्मी हो चुके हैं ?

[श्री धर्मचंद]

(ग) अब तक इन मैन ईटर टाइगर्स को क्यों नहीं मरवाया गया ?

(घ) भविष्य में इनके मारने का प्रबन्ध गवर्नमेंट द्वारा कराया जावेगा या जनता को इन्हें मार देने की इजाजत दी जा सकेगी ?

(ङ) यदि जनता को इजाजत दी जावेगी तो क्या मारने वाले व्यक्ति को गवर्नमेंट पारितोषिक के रूप में मृत पशु की खाल देने को तैयार है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वनमंत्री)—(क) तहसील खंडार में बसी, मालड़ा, खड़ली व भूरी, बाओली, बिचपड़ी व बालेर पहाड़ियों में आदमखोर शेर का होना मालूम होता है।

(ख) पिछले वर्ष आदमखोर शेर द्वारा दो व्यक्तियों के मारे जाने और सात व्यक्तियों के घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ है।

(ग) उनको मारने के लिये जयपुर नरेश को निवेदन किया गया है।

(घ) यदि इन आदम-खोर शेरों का उत्पात बना रहा तो सरकार इनको मारने का विभागीय प्रबन्ध करेगी या प्रसिद्ध शिकारियों से मारने के लिए अनुरोध किया जावेगा।

(ङ) इस संबंध में परिस्थिति के अनुसार सरकार निश्चय करेगी।

श्री श्रीदास गोयल—इन दो व्यक्तियों को कब मारा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तारीख तो मैं नहीं बता सकता। पिछले वर्ष का पूछा गया था।

कु० श्री जसवन्तसिंह— Man-eater tigers को सरकार ने जंगल में कब छोड़ा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या फरमाया ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—"मेन ईटर टाइगर्स" को सरकार ने कब छोड़ा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वे जंगल में ही मेन ईटर हो जाते हैं।

(ग) का क्या जबाब फरमाया आपने ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जयपुर हिज़ हाईनेस को कहा गया है उनको मारने के लिए।

कु० श्री जसवन्तसिंह—राजप्रमुख की हैसियत से या और किसी रूप में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—किसी भी रूप में समझ लीजिये।

श्री श्रीदास गोयल—यह जो मैन ईटर टाइगर को मारने के लिए हिज़ हाईनेस जयपुर को निवेदन किया गया था तो क्या हिज हाईनेस जयपुर ने शूट कर दिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री श्रीदास गोयल—तो सरकार के द्वारा क्या जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है कि मेन ईटर टाइगर्स का क्या हो रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उसको मारने का इलाज किया जा रहा है।

श्री खेतसिंह—यदि इस सदन का कोई सदस्य इस बात की जिम्मेवरी ले कि वह शेर को मार देगा तो सरकार उसको क्या फेसिलिटी देगी ?

श्री भैंरूंसिंह (१६)—उस शेर को मारने का इलाज किया जा रहा है या मारने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह सब उसमें शामिल है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आज तक क्या हिज हाईनेस जयपुर शिकार खेलने नहीं गये और उसको मारा या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी पकड़ में नहीं आया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सिवाय हिज हाईनेस जयपुर के और राजस्थान में मेन ईटर टाईगर को मारने वाला मिला ही नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—They are also welcomed.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—दूसरे व्यक्ति से कहा जा रहा है।

श्री हिम्मतसिंह—मैन ईटर को क्यों....

एक माननीय सदस्य—करौली में क्या मारने वाला नहीं है ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अगर उस मेन ईटर टाइगर को हिज हाईनेस, जयपुर के बजाय कोई दूसरा आदमी मार दे तो सरकार उसको क्या सजा देगी ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—अगर ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय कलेक्टर और एस. डी. ओ. ने सूचित किया है कि मेन ईटर टाइगर पैदा हो गया हैं उसके मारे जाने का प्रबन्ध किया जाय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसको मानकर ही तो हिज़ हाईनेस से कहा गया है कि उसको मारा जाय ।

श्री श्रीदास गोयल—कितने अरसे से रिपोर्ट चल रही है कि मेन ईटर टाइगर को मारना चाहिए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह रिपोर्ट एक साल से चल रही है ।

श्री श्रीदास गोयल—एक साल तक नहीं मारे जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर कोई पकड़ा ही न जाय तो कैसे मारा जा सकता है ?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री श्रीदास गोयल—एक मिनिट। क्या सरकार ने यह आदेश दिये हैं कि कोई भी मार दे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कोई भी शिकारी मारने में असमर्थ रहा ।

श्री श्रीदास गोयल—किसी शिकारी को आदेश दिया गया कि तुम जाकर मार दो सिवाय हिज़ हाईनेस जयपुर के ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—वह मैन ईटर कैसे हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उसको चस्का लग गया ।

(हंसी)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री श्रीदास गोयल—हंसी की बात नहीं है, माननीय अध्यक्ष, वहां वह मवेशियों को मार रहा है और आदमियों को मार रहा है। इस पर पूछना जरूरी है।

यह फरमाया गया कि मेन ईटर है, उसने दो व्यक्तियों को मार दिया और ७ व्यक्तियों को जख्मी कर दिया तो क्या हिज़ हाईनेस, जयपुर के सिवाय किसी और शिकारी से कहा गया कि उसको मार दो ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पूरा पता लगाया जा रहा है और जल्दी से जल्दी मार डालने की कोशिश की जा रही है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या श्री श्रीदासजी गोयल को इजाजत दी जायगी मारने की ?

श्री अध्यक्ष—order ! order !!

(घंटी)

प्रश्न संख्या ३७१

ग्राम रीयां बड़ी, तहसील मेड़ता, में बहुधन्धी सहकारी समिति की स्थापना एवं उसके द्वारा किये गये कार्य

श्री भोपालसिंह—(क) क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या रीयां बड़ी, तहसील मेड़ता, में बहुधन्धी सहकारी समिति कायम की गई है ?

(ख) इस समिति को कायम हुए कितना अर्सा हो गया है ?

(ग) क्या इस समिति को अभी तक लोन नहीं दिया गया है और इस वजह से कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है ?

(घ) क्या सरकार इस समिति को जल्दी लोन देकर काम चालू कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) जी हां !

(ख) ११ माह।

[श्री अमृतलाल यादव]

(ग) जी हां, क्योंकि समिति ने नियम के विरुद्ध मध्यकालीन ऋण की मांग की थी।

(घ) जी हां। अगर समिति नियमानुसार अल्पकालीन ऋण की मांग करे।

श्री भोपलसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि समिति कायम करने के बाद में किसी ने आश्वासन दिया था कि लोन दिया जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव—मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया।

श्री भोपालसिंह—जब इन्सपेक्टर को समिति के सदस्यों ने लोन देने के लिए अर्जी दी थी तो उसको वापिस जाकर किसी शख्स ने क्यों नहीं कहा कि इसके लिए किस तरह से किया जाय ! किसी ने जाकर कुछ नहीं कहा कि इनको क्या करना है ?

श्री अमृतलाल यादव—जिस इन्सपेक्टर ने समिति को कायम किया था उसने खाली रजिस्ट्रेशन के कागज भेज दिये कि समिति रजिस्टर्ड हो गई। समिति ने कभी शोर्ट टर्म लोन नहीं मांगा, मीडियम टर्म लोन मांगा था। उनको कागज़ात लौटाये गये और कहा गया कि मीडियम टर्म लोन नहीं मिल सकता है शार्ट टर्म लोन का आवेदन कीजियेगा। अगर उन्होंने शोर्ट टर्म ऋण के लिये आवेदन किया तो उनको ऋण मिल जायगा।

श्री भोपालसिंह—कागज़ात कब लौटाये गये, उसकी तारीख बतला सकते हैं आप ?

श्री गोपीलाल यादव—मैं तारीख नहीं बता सकता।

श्री भोपालसिंह—उनके पास अभी तक कुछ नहीं पहुँचा है और आप यह कह रहे हैं कि कागज़ात वापिस लौटाये गए तो यह किस आधार पर जवाब दे रहे हैं ?

श्री गोपीलाल यादव—कागज़ात लौटाये जाने का निश्चित आधार है। मैं उसी पर जवाब दे रहा हूँ।

श्री भोपालसिंह—मैं वहां का निवासी हूँ। मुझे मालूम है कि अभी तक तो वे नहीं पहुँचे हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने जवाब दिया कि कागज़ात लौटा दिये गये।

श्री अमृतलाल यादव—आपने शार्ट टर्म लोन के लिए कागजात भिजवाये हो और उसके बाद में ऋण नहीं मिले तो सरकार जिम्मेदार है।

श्री भोपालसिंह—भिजवाये जाने का आश्वासन दिया आपने कि यह कागज भिजवा दिये गये हैं, यह गलत है।

श्री गोपीलाल यादव—ये भिजवा दिये गये हैं कागजात।

प्रश्न संख्या ३७२

भूस्वामी संघ के सत्याग्रह के समय के संघ के अध्यक्ष श्री मदनसिंह दांता की गिरफ्तारी के कारण

श्री भैंरूसिंह (१६)—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भू स्वामी संघ के सत्याग्रह के समय संघ के अध्यक्ष ठाकुर मदनसिंह जी दांता को किन किन कारणों से प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में गिरफ्तार किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि उनके गिरफ्तार करने के कारणों में यह भी था कि उनके बाहर रहने से शान्ति भंग होने का अन्देशा है ?

(ग) यदि हां, तो जिस समय उनको मुक्त किया गया, उस समय शान्ति भंग न करने के लिये सरकार को किस प्रकार के आश्वासन मिले ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) श्री मदनसिंह दांता ने निजी एवं सार्वजनिक सभाओं में भूस्वामी संघ के आन्दोलन को चालू रखने में सहायता करने के लिए भूस्वामियों को भड़काया ताकि चालू किये हुए आन्दोलन से जनव्यवस्था और कानून भंग किया जा सके। चूंकि उनके उपरोक्त तथा अन्य कार्य जनव्यवस्था को कायम रखने में बाधक थे अत: उन्हें नजरबन्द रखना सरकार ने आवश्यक समझा।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जब उनको छोड़ा गया तब स्थिति ही बदल चुकी थी।

श्री भैंरूसिंह (१६)—जब इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला तो सरकार को छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने बताया कि स्थिति में परिवर्तन हो गया था।

श्री भैंरूसिंह—क्या ठाकुर साहब दांता ने यह आश्वासन नहीं दिया कि वे जैल से मुक्त होने के पश्चात् शान्ति भंग करने की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने जवाब में अर्ज किया कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार ने यह लिख कर दिया है कि इस प्रकार की शर्तें वे मन्जूर करते हैं और आप (श्री मदनसिंह) यह शर्त करो कि शान्ति भंग होने की कोई चीज़ नहीं होगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिस तरह का आप फरमा रहे हैं उस तरह की कोई बात नहीं हैं।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार की ओर से उनको कुछ लिखकर नहीं दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार की ओर से उनको कुछ नहीं लिखकर दिया गया।

श्री भैंरूसिंह—क्या श्री मदनसिंहजी के पास जो मुख्य मंत्रीजी का लेटर है वह झूठा है

श्री रामकिशोर व्यास—श्री मदनसिंहजी को कोई पत्र लिखकर नहीं दिया गया है।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि उस लेटर पर मुख्य मंत्रीजी के दस्तखत हैं ? उसमें लिखा है कि जितनी शर्तें लिखी हैं...

श्री अध्यक्ष—The Question does not arise.

श्री रामकिशोर व्यास—मदनसिंहजी को उस वक्त कोई पत्र नहीं दिया गया।

श्री भैंरूसिंह—क्या उन्होंने जेल से छूटने से पहले वैसे लिखकर दिया है कि शान्ति भंग होने की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—स्थिति में परिवर्तन हो गया था। सत्याग्रह नहीं हो रहा था।

श्री भैंरूसिंह—कौनसी ऐसी स्थिति में परिवर्तन हुआ जिसके आधार पर सरकार ने मान लिया कि शान्ति भंग नहीं होगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—जहां सत्याग्रह होने को था नहीं हुआ।

Page No.12

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि वे अभी तक हरदम तलवार लगाये रहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसकी जानकारी आपको ज्यादा होगी ।

श्री संतोषसिंह—क्या यह सत्य है कि भू-स्वामी आंदोलन जब उग्ररूप धारण करने लगा तो उसके बाद दांता ठाकुर के पास जाकर सरकार ने प्रार्थना की कि इस आंदोलन को बन्द किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–Next question.

श्री संतोषसिंह—मुझे एक प्रश्न और पूछना है ।

श्री अध्यक्ष–Either a relevant supplementary should be asked or if it is sacrcastic than I will not allow any supplementary.

श्री संतोषसिंह—इससे सम्बन्धित प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–No, No. Next question.

प्रश्न संख्या ३७३

जिला टोंक कृषि फार्म का सन् १९५२ से १९५५ तक बजट एवं उससे आय

श्री लालूराम—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जिला टोंक एग्रीकलचरल फार्म का सालाना बजट ५२-५३, ५३-५४, ५४-५५ में क्या था ?

(ख) इस फार्म में कितनी धनराशि का नफा हुआ ?

(ग) इसका आजकल सालाना बजट क्या है ?

(घ) आजकल की औसतन आमदनी क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या-(कृषि मन्त्री) (क) और (ख) के उत्तर निम्नलिखित हैं-

[श्री भोगीलाल पंड्या]

साल	स्वीकृत बजट	वास्तविक खर्चा	आय
१६५२-५३	७,८७० रु०	७,०४५ रु. ३ आ. ६पा.	१०६ रु. ७ आ.
१६५३-५४	६,७५२ रु०	५,२६० रु. १२ आ.	७० रु. १० आ.
१६५४-५५	६,४८२ रु०	५,३७३ रु. १ आ. ६ पा.	१,०१३ रु. १४ आ. ६ पा.
१६५५-५६	४,२०० रु०	७५६ रु. १५ आ. ६ पा.	७५३ रु. ११ आ.

(१ अप्रेल १६५५ से ३१ अगस्त, १६५५ तक)

(ग) ४२०० रुपये

(घ) ७५३ रु० ११ आ० ३ पाई; माह अप्रेल से अगस्त १६५५ तक।

श्री जवानसिंह—यह नफा उत्तरोत्तर कम हो रहा है इसलिए ऐसा कौनसा दिन आयगा जब बिल्कुल ही नहीं होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या-जो फार्म चलाए जाते हैं वे व्यवसाय के लिए नहीं चलाए जाते, वे परीक्षण करके लोगों को शिक्षा देने के लिए चलाये जाते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो फार्म में काम करते हैं उनकी योग्यता और एक्सपीरियेन्स क्या हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसी वैसी योग्यता वाले व्यक्ति रखे जाते हैं। कोई B. Sc. Ag. होते हैं, कोई क्या होते हैं; भिन्न भिन्न योग्यता वाले व्यक्ति रखे जाते हैं। कोई कैसा योग्य होता है तो उसको भी रख लिया जाता है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या यह सच है कि वे स्वयं ज्यादा योग्यता वाले नह

श्री अध्यक्ष—सवाल क्या है और सप्लीमेन्ट्री क्या पूछ रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य—यह फार्म कितने बीघा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे पता नहीं कितने बीघा और कितने बिस्वा है। इसके लिए अलग प्रश्न पूछिये।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्या वहां पर कोई रजिस्टर मेन्टेन किया जाता है जिससे पता लग सके कि फलां फलां आदमी को शिक्षा दी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, जितने लोग जाते हैं उन सबको शिक्षा दी जाती है।

श्री हिम्मतसिंह—इस फार्म में कितने आदमियों को शिक्षा दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी संख्या रखी नहीं जाती है।

श्री संतोषसिंह—इसमें क्या २ फल पैदा होते हैं ?

श्री अध्यक्ष—Next question.

प्रश्न संख्या ३७४

सिरोही मोटर सर्विस के कर्मचारियों द्वारा देय शासकीय रकम

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Transport Minister be pleased to state:—

(a) Whether any Government money is due against any of the servants of the Sirohi Motor Service ?

(b) If so, what amount and against whom ?

(c) How and since when has the aforesaid amount been due against them ?

(d) What steps have been taken to realize the outstanding amount ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां।

(ख) निम्नलिखित रकमें सिरोही मोटर सर्विस, सिरोही के मुलाजिमान के जिम्मे बाकी हैं।

(१) श्री के. पी. के. नायर, अपर डिविजन क्लर्क	२२४५ रू.
(२) श्री ई. वी. आर. नायडू, फोरमेन	२६२रू. १०आ. ६ पा.

उपरोक्त रकमें एडवान्स के तौर पर निम्नलिखित तारीखों पर दी गई थीं ;

(१) श्री के. पी. के. नायर अपर डिविजन क्लर्क ६२५रू. ता० ३१. ८. ५३ तक
१६०० रू.० ३१. १. ५४ तक
कुल २२२५ रू. इसमें से २८० रू. की अब तक वसूली हो गई है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(२) श्री ई वी. नायडू फोरमेन ६०० रू. लिये ता० ३०. ३. ५४ को उसमें से ३७७ रू. ५ आ. ६ पा. तारीख ३१. १. ५५ तक जमा हो चुके हैं ।

४०) रू. माहवार श्री नायर की तनख्वाह में से माह मार्च १६५५ से काटा जा रहा है ।

श्री नायडू ने ३३७ रु. ५ आ. ६ पा, पहले ही जमा करा दिये हैं और बाकी रकम २६२ रु. ११ आ. ६ पा. वसूल हो जावेगी उसके टी. ए. बिलों से जो कि महकमा हिसाब में ऑडिट में है ।

श्री **मोहब्बतसिंह**—क्या यह सही है कि श्री नायर ने यह रकम गबन करके उठाई और बाद में जब ऑडिट हुआ तब यह पाया गया कि गबन हुआ है और इसके बाद में यह निर्णय लिया गया कि यह रकम वापिस वसूल की जाय ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—जैसा कि सिरोही में आम तौर पर हुआ करता था उसने भी रकम उठाली थी । जब यह मालूम हुआ कि उसने रकम उठाई है तो रूपये वसल करने का प्रयत्न किया गया ।

श्री **मोहब्बतसिंह**—क्या सरकार आयन्दा यह प्रिसीडेन्ट कायम करना चाहती है कि जो गबन करे उससे मंथली रूपये वापस लिये जांय ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—नहीं , सरकार ऐसा नहीं चाहती है । पहले की यह व्यवस्था थी कि वे लोग रुपये लिया करते थे सामान खरीदने के नाम पर इसलिये उन्होंने लिये । आयन्दा अगर ऐसा करेंगे तो उनका चालान होगा और शायद जेल भी जाना पड़े ।

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—क्या यह बतायेंगे कि उन्होंने सरकारी रकम का गबन किया, मिसएप्रोप्रिएशन किया ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—हां, उन्होंने रकम वहां से ली थी जिसे वापिस लेने की कार्यवाही की गई ।

श्री **जवानसिंह**—क्या उन्होंने यह रकम स्वतः ली या ओथोरिटीज से पूछ कर ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—स्वतः ली ।

श्री **जवानसिंह**—क्या इसको मिसएप्रोप्रिएशन नहीं कहा जा सकता ?

श्री अध्यक्ष—This is a very clear question. Whether the money was embezzled or taken on loan under some authority ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां पर मोटर सर्विस चलती थी। सामान खरीदने के नाम से रूपये उठा लेते थे।

(श्री जवानसिंह के बोलने के लिए खडे होते पर)

श्री अध्यक्ष—Let him reply.

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने जवाब दिया है कि उन्होंने रकम ले ली थी।

श्री जसवन्तसिंह— मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसने गबन किया या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसे मामले को गबन समझा जाता है।

श्री जसवन्तसिंह—गबन की हुई रकम को सरकार इन्स्टालमेन्ट्स बांध कर वापिस लेती है, यह नई पद्धति कब से चल पड़ी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई नई पद्धति नहीं चलाई गई है। वहां पर पहले से रूपये लेते रहते थे सामान खरीदने के नाम पर। यदि दूसरी तरह का बरताव करते तो रूपये वसूल होने कठिन थे। यदि दूसरी जगह सरकारी रुपयों के साथ ऐसा किया जाता है तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाती है। किसी को भी सरकारी रुपये गबन करने का अधिकार नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—इस केस में उनका चालान क्यों नहीं किया गया जब कि इसको गबन सरकार खुद मानती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि केस चलाया जाता तो इस तरह की व्यवस्था शुरू से वहां चल रही है इसलिये केस कमजोर हो जाता और रुपये वापिस नहीं मिलते ; इसलिए वसूल करने की कोशिश की गई और आगे के लिए व्यवस्था कर दी गई है कि इस तरह का कार्य कोई नहीं कर सकेगा।

श्री मोहब्बतसिंह—जब सरकार ने यह कंपनी टेक ओवर कर ली तब भी इस तरह की व्यवस्था चल रही थी क्या ?

श्री अध्यक्ष—यह केस बाद का है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, सरकार के पास आने के बाद भी रुपये लिये हैं हालांकि नहीं लेने चाहिए थे। आयन्दा लेंगे तो दूसरे लोगों के साथ जो व्यवहार गबन करने पर किया जाता है वैसा ही व्यवहार इनके साथ भी किया जायगा।

श्री मोहब्बत सिंह—क्या डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट ने अपनी कृपा उनके प्रति बताई है ?

श्री अध्यक्ष—Next Question.

प्रश्न संख्या ३७१

वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न केडर के राज्य कर्मचारियों की वेतन-दर रिवाइज़ करना

श्री चांदमल मेहता—क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में किस किस केडर के राज्य कर्मचारियों की पे स्केल को रिवाइज़ किया गया ?

(ख) उक्त स्केल को किस रुप में रिवाइज़ किया गया है ?

(ग) किस किस केडर के राज्य कर्मचारियों की भारत सरकार के कर्मचारियों की पे स्केल्स के माफिक राजस्थान सरकार ने पे स्केल निर्धारित की है ?

(घ) उक्त पे स्केल कब निर्धारित की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—(क) चालू वितीय वर्ष में निम्नलिखित पदों की एकीकृत वेतन श्रृंखला (युनीफाइड पे स्केल) पुनः परिवर्तित की गई।

(१) चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट आर्किओलॉजी एण्ड म्युज़ियम।

(२) डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज़।

(ख) चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट आर्कैलोज़ी एन्ड म्युजियम की पहले की वेतन श्रृंखला २५०. २५. ४००. ई. बी. २५. ५०० प्लस विशेष वेतन ५० रु० थी। परिवर्तित वेतन श्रृंखला ४०० २५. ५५०. ई. बी. २५. ७०० (बिना विशेष वेतन) है।

डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज़ों की पहिले की सामान्य स्केल ६००. २५. ८०० और विशिष्ठ श्रेणी (सिलेक्शन ग्रेड) ८००. ५०. १२०० थी। इनके बजाय एकीकृत स्केल ८००. ५०. १०००. ६०. १३००. ५०. १८०० किया गया है।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ग) किसी की भी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—अन्य किन किन कर्मचारियों की पे स्केल रिवाइज़ करने का मामला विचाराधीन है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा–विचाराधीन है, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि किन २ का विचाराधीन है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बजट के वक्त छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनका मामला विचाराधीन हैं ।

श्री चांदमल मेहता—विचाराधीन कब तक रहना चाहिये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब तक निर्णय नहीं हो जाय ।

श्री चांदमल मेहता—डिस्ट्रिक्ट जजेज़ जैसे बड़े मामलों को प्राथमिकता देना और छोटों के मामले को विचाराधीन रखना, यह कहां तक उचित समझती है ?

श्री अध्यक्ष—उचित अनुचित का प्रश्न नहीं है । Next Question.

प्रश्न संख्या ३७६

मेड़ता तहसील में पिछले तीन वर्षों में स्थापित की गई सहकारी समितियां

श्री गोपालसिंह—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मेडता तहसील में कितनी सहकारी समितियां पिछले तीन वर्षों में कायम की गयी है ?

(ख) इन में से कितनी समितियों को लोन मिल चुका है ?

Page No.19

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) जिनको सरकार से लोन मिला है उनकी वसूली का क्या हाल है ?

(घ) क्या यह सही हैं कि अभी तक समितियों के ठीक प्रकार से खुलने की व्यवस्था नहीं हो पाई है ?

(ङ) क्या सरकार जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा समितियां स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) पांच ।

(ख) एक कृषि समिति को ४५०० रू० ऋण दिया जा चुका है ।

(ग) किश्त अभी तय नहीं हुई है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी हां ।

श्री भोपालसिंह—क्या मेरे प्रश्न प्रस्तुत करने के बाद आपने कोई कदम उठाया है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य चेयर को एड्रेस करें आपस में बातचीत न करें ।

श्री भोपालसिंह—क्या मेरे प्रश्न प्रस्तुत करने के बाद में माननीय मंत्रीजी ने कोई कदम उठाया है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं, पहले से ही प्रयत्न चल रहा है ।

श्री भोपालसिंह—आपने मेरी प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की ?

श्री अमृतलाल यादव—आपकी बात भी उसमें शामिल है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय सदस्य का प्रार्थना-पत्र आपके पास पहुंचा या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह प्रश्नकर्ता से इन्फोर्मेशन मिली है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपको याद है कि क्या कि प्रश्न-कर्ता द्वारा आपको कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—नहीं, मुझे नहीं दिया गया।

श्री भोपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास माननीय मंत्री महोदय का उत्तर मौजूद है। लिखा है, जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास वह जवाब भेज दें।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या मंत्री महोदय बिना मांगे ही जवाब दे देते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जो जवाब मांगा गया उसका उत्तर दिया गया।

कु० श्री जसवन्त सिंह—अभी तो आपने कहा कि आपके पास कोई प्रार्थना-पत्र नहीं पहुंचा। जब प्रार्थना-पत्र ही नहीं पहुंचा तो आपने जवाब कैसे दिया ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—आर्डीनरी कोर्स में दे दिया जाता है। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३७७

गंगानगर जिले में १९५२-५३ व ५४-५५ में हत्याओं के मुकदमें

श्री मोती राम चौधरी—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

गंगनगार जिले में सन् १९५२-५३, ५४-५५ में कुल कितनी हत्याएं हुई और हत्यारों पर कितने मुकदमें बने और कितनों को दंड मिला ? यदि सजा नहीं मिली तो क्या सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई एक्शन लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—गंगानगर जिले में सन् १९५२ में ऐसे ७१ मामलों की रिपोर्ट हुई। इनमें से दो झूठे निकले; ६ अदम पता तथा ६३ चालान हुए। इन ६३ मुकदमों में ८० मुल्जिम थे। १५ मामलों में १५ मुल्जिम बरी हुए, २३ मुकदमों में २३ मुल्जिमों को सजा हुई। २५ मुकदमों में ४२ मुल्जिम हैं जो जैर तफतीश है। ५९ मुल्जिम फरार हैं।

सन् १९५३ में ६४ मुकदमें दर्ज हुए, १ झूठा निकला २२ अदम पता रहे। ६ जेर तफतीश हैं। ३४ मामलों का चालान हुआ जिनमें ६४ मुल्जिम थे। २ मामलों में २ को सजा हुई। ३२ मुकदमें पैन्डिग हैं इनमें ६२ मुल्जिम हैं।

[श्री रामकिशोर व्यास]

सन् १६५४ में ४८ मुकदमे दर्ज हुए । ७ झूठे निकले, ७ अदम पता, ४ जेर तफतीश हैं । ३० का चालान हुआ जिनमें ६६ मुल्जिम थे । ३ में ३ मुल्जियम छूटे, १ में १ को सजा हुई, बाकी २६ मामले जेर तजवीज़ हैं । इनमें ६५ मुल्जिम हैं ।

सन् १६५५ में ३४ मुकदमें दर्ज हुए । १ झूठा निकला, ६ जेर तफतीश हैं. २७ चालान हुए जिनमें ६० मुल्जिम थे, इनमें से १ मामले में ३ मुल्जिम बरी हुये, १ में ११ को सजा हुई तथा २५ मामले पेन्डिग ट्रायल है जिसमें ४६ मुल्जिम हैं ।

D.I.G. (Range) acquittal Reports का इसलिये निरीक्षण कर रहे हैं कि रिहाई, तफतीश की गलती के कारण तो नहीं हुई । जिस दशा में अपराधी अफसरों, यदि कोई हुआ तो, के विरूद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—यह सारी इन्फॉर्मेशन तो वे बाद में ले लेंगे, इनका सम्बन्धित सवाल है कि यदि सजा नही मिली तो क्या हुआ, क्या कारण है; इसका उत्तर दे दीजिये ?

श्री रामकिशोर व्यास—इनका सवाल हैं कि ५२, ५३, ५४ और ५५ में कितनी हत्याएं हुईं और कितनों को दंड मिला, इसलिये यह सब बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—क्या सारा पढ़कर सुनाया जाय ?

श्री मोतीराम—जी हां ।

श्री रामकिशोर व्यास—सन् १६५५ में ३४ मुकदमें दर्ज हुए, १ झूठा निकला, ६ जेर तफतीश हैं, २७ चालान हुए जिनमें ६० मुल्जिम थे। इनमें से एक मामले में ३ मुल्जिम बरी हुए, १ में ११ को सजा हुई तथा २५ मामले पेन्डिग ट्रायल हैं जिनमें ४६ मुलजिम हैं ।

डी.आई.जी. रेन्ज एक्विटल रिपोर्ट्स का इसलिए निरीक्षण कर रहे हैं कि रिहाई, तफतीश या प्रोसिक्यूशन की गलती के कारण तो नहीं हुई जिस दशा में अपराधी अफसरों, यदि कोई हुआ तो, के विरूद्ध कार्यवाही की जायगी ।

कुं०श्रीजसवन्तसिंह—क्या गंगानगर जिला मरडर केसेज़ में सब से शिरोमणि है ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास— हां, वह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसका क्या कारण है कि वहां इतने मरडर केसेज़ होते हैं और हत्यारों को कम सजा मिलती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मरडर इतने क्यों होते हैं, यह तो मैं नहीं बता सकता पर वहां झगड़े ज्यादा होते हैं इस वजह से मरडर ज्यादा होते हैं।

श्री चौ० मोतीराम—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का उत्तर नहीं मिला कि यह क्या कारण है कि जिनसे इतने मर्डर केसेज़ होने के बाद भी तफतीश कुनिन्दा की सर्विस शीट में कुछ भी रिमार्क नहीं लगते और जो तफतीश करता है और मुकदमा फेल हो जाता है उसी आदमी को तरक्की दे दी गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह जरूरी नहीं है कि जो मुकदमा चालान हो उसमें सजा भी हो ही। मर्डर के केसेज़ फेल होते हैं, इसका कारण यह है कि गंगानगर जिले में गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, पार्टी उन्हें अपनी तरफ मिला लेती है।

श्री चौ० मोतीराम—क्या सरकार बतावेगी कि दौलपुरा गांव में ८० साल की बुढ़िया से लगा ६ साल की लड़की को कत्ल किया और कत्ल करने वालों को सजा नहीं मिली और उस थाणेदार को डिप्टी बनाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह आप अलग से सवाल करें तो जवाब दे सकता हूं।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि पुलिस अपने गवाह ऐसे ही बनाती है कि वे आगे जाकर होस्टाइल हो जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री चौधरी मोतीराम—क्या तफतीश कुनिन्दा का फर्ज नहीं है कि वह मर्डर के केसेज़ की सेशन्स तक पैरवी करे और मुल्जिमान को सजा कराये ?

श्री रामकिशोर व्यास—सेशन्स कोर्ट में पैरवी करे यह उसका फर्ज है पर सजा कराना उसका फर्ज नहीं ; सजा तो कोर्ट करती है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या वजह है कि ९५ परसेंट केसेज़ फेल होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—९५ परसेंट की बात सही नहीं है।

एक माननीय सदस्य—क्या सरकार के पास यह सूचना है कि कत्ल करने वाले आदमियों से पुलिस वाले मिल जाते हैं, सांठ-गांठ कर लेते हैं और ऐसी खामी रख देते हैं कि वह सेशन्स में जाकर बरी हो जावे।

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—गवर्नमेंट के रेकॉर्ड के माफिक कितने परसेंट मर्डर केसेज़ गंगानगर जिले में फैल हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—केल्कुलेशन करने की बात है, यह अलग से प्रश्न पूछें तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री चौधरी मोतीराम—क्या सरकार बताने को तैयार है कि बस एक्सीडेन्ट्स से कितने मर्डर गंगानगर जिले में हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग सवाल है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में अधिकांश मर्डर के केसेज़ फैल होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—अधिकांश के लिये तो नहीं कहता, होते जरूर हैं।

कु० श्री जसवन्त सिंह—क्या ५० परसेंट से ऊपर फैल होते हैं ?

श्री राम किशोर व्यास—यह केल्कूलेट करके बताता हूं।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि पुलिस का इन्तजाम माकूल नहीं होने के कारण गंगानगर जिले में ज्यादा मर्डर होते हैं ?

(घन्टी)

श्री चौ० मोतीराम—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन जिन पुलिस के अधिकारियों ने ३०२ ३०४, और ३०४ ए. के केसेज़ में मुल्जिमों से सांठ गांठ की और वे केसेज़ फैल हो गये, क्या उनकी सर्विस शीट्स में रिमार्क दर्ज हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं इसका जवाब दे चुका हूं, अब फिर दुबारा पढ़े देता हूं। डी. आई. जी. रेन्ज एक्वीटल रिपोर्ट का इसलिये निरीक्षण कर रहे हैं कि रिहाई, तफतीश या प्रोसिक्यूशन की गलती के कारण तो नहीं हुई है। जिस दशा में अपराधी अफसरों, यदि कोई हुआ तो, के विरूद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री चौ० मोतीराम—क्या यह सही है कि जिन लोगों ने इस प्रकार हत्याओं का खून किया उनको परमोशन दिया गया ?

(हंसी)

श्री किशन लाल शाह—मुकद्दमों के फैल होने का क्या कारण हैं ?

श्री राम किशोर व्यास—मैंने अभी बताया कि गवाहों का होस्टाइल होना और दूसरे कारण।

श्री किशन लाल शाह—दूसरे कारण क्या हैं।

श्री राम किशोर व्यास—बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से अदालतों ने तस्फिये किये हैं।

श्री राम किशोर व्यास—कुंवर साहब ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दे दूं।

सन् ५२ में कन्विक्शन ओफ दी केसेज़ डिसाइडेड का परसेंटेज है ६५.५।

सन् ५३ का " " " " हंड्रेड।
सन् ५४ का २५।

सन् ५५ का अभी आया नहीं है।

श्री शंभू सिंह—क्या सरकार इन मर्डर्स को रोक थाम के लिये प्रिवेन्टिव मेज़र्स इस्तेमाल में नहीं लाती ?

(घन्टी)

श्री मोतीराम—क्या मन्त्री महोदय यह बतायेगें कि बस एक्सीडैंट्स से कितनी हत्याएँ हुई हैं और कितनों को सजाएं मिली हैं ?

श्री राम किशोर व्यास—एक्सीडेन्ट के केसेज़ मर्डर में शामिल नहीं होते।

श्री मोतीराम चौधरी—जो केसेज़ एक्सीडेन्ट से हो जाते हैं क्या उनके केसेज़ फौरन दायर किये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—Next, question No. 378.

प्रश्न संख्या ३७८

चित्तौड़ जिले की तहसील राश्मी के हेड क्वार्टर से एस० डी० ओ०, मजिस्ट्रेट व मुन्सिफ के कार्यालय तक पहुंचने के यातायात का सुचारू प्रबन्ध

श्री जयचन्द्र मोहिल—क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चित्तौड़ जिला की तहसील राश्मी के हैडक्वार्टर से एस० डी० ओं, मजिस्ट्रेट और मुन्सिफ के ऑफिस कितने माइल हैं ?

(ख) क्या वर्षा ऋतु में यातायात के साधन उपलब्ध न होने से कई व्यक्ति पेशियों पर समय पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं ?

(ग) क्या सरकार वहां यातायात की समुचित व्यवस्था करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) तहसील राश्मी के हैडक्वार्टर से एस० डी० एम० कपासन १२ मील तथा मुन्सिफ कोर्ट १० मील है। मुन्सिफ कोर्ट कस्बे में है व एस० डी० एम० कोर्ट रेलवे स्टेशन पर है जिसमें २ मील का अन्तर है।

(ख) नहीं।

(ग) मोटर का प्रबन्ध पहले से ही है। वर्षा ऋतु में अवश्य दिक्कत रहती है।

श्री जयचन्द्र मोहिल—पक्की रोड बनाने का सरकार का क्या विचार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अभी तो मैं नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है, भविष्य में इस पर विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३७९

जिला बांसवाड़ा के देहातों में पशुओं की बीमारी से ढोरों की क्षति

श्री धूलजी भाई—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बांसवाड़ा के देहातों में पशुओं की बिमारी कहां कहां फैली हुई है और कितनी गायें, भैंसें एवं बैलों की क्षति हुई ?

[श्री धूलजी भाई]

(ख) पशुओं की बिमारी के रोकथाम के लिये जिले में कहां कहां क्या साधन तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं ? जिले के डाक्टर ने कहां कहां पहुँच कर दवाइयां वितरित कीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) निम्नलिखित गांवों में पशुओं की बीमारी की रोकथाम का प्रबन्ध किया गया :

नाम तहसील	नाम गांव	नाम बिमारी	तादाद पशु जो मरे
घाटोल	जामटिया	माता चेचक	
	नगाडिया	रिन्डर पेस्ट	जुलाई १८
	कोटमगरी	हेमोरेजिक(गल घोटु)	अगस्त २०
	रगनिया	सेपटी सिमिया	सितम्बर २५
बासवाड़ा	छज्जा कोटडा	ब्लेक क्वार्टर (जहरी बुखार)	
बागी डोरा	सुवाला		

(ख) दो अस्पताल एक बांसवाड़ा में और दूसरा कुशलगढ़ में हैं । दवाइयां उपरोक्त जगहों पर वितरित की गईं ।

श्री धूलजी भाई—क्या यह सही है कि वहां पर दवाइयें नहीं पहुँचने से अधिक पशु मरे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है कि समय पर सूचना नहीं पहुँची हो और सूचना पहुँचने के बाद में इलाज के लिये दवायें भेज दी गईं ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि सूचना पहुँचने के बाद भी दवाइयें नहीं पहुँचीं ।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह आपका खयाल गलत है । सूचना मिलते ही दवाइयें भेज दी गई ।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस)—सूचना मिली, मगर जो दवाइयें पिलाई गईं वह पानी ही पानी था, दवा नहीं थी; जो दवाइयों के नाम पर पिलाई गई थीं उनमें दवा नाम मात्र के लिये नहीं थी और इसी से जानवर मरे ।

Page No.27

प्रश्न संख्या ३८१

वर्तमान वर्ष में बनों के विकास हेतु शासकीय व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में वनों के विकास पर राज्य सरकार द्वारा कितना रुपया खर्च किया गया ?

(ख) भारत सरकार द्वारा इस काम के लिए कितने रुपये राज्य सरकार को सहायतार्थ मिले हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) चालू वर्ष में जुलाई के अन्त तक वनों के विकास में १.२७५ लाख रुपया खर्च हुआ है।

(ख) कुछ नहीं।

श्री चांदमल मेहता—वन के विकास के लिये सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की गई :

1. Education.
2. Demarcation & Settlement.
3. Forest Research.
4. Preparation of Working Plan & Cost of Equipment.
5. Plantation & creation of village forests.
6. Fencing for rotational grazing.
7. Running of...........mill.
8. Purchase of Vehicles.
9. Game Santuaries.

श्री खेतसिंह—क्या इस वर्ष भी हवाई जहाज द्वारा बीज फैंक कर फोरेस्ट बढ़ाये जावेंगे ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Next.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—क्या यह विकास जानवरों को बचाने के लिये या शिकारियों को बचाने के लिये है या जंगलों का विकास करने के लिये है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—रिज़र्व फोरेस्ट हो जाता है इसलिये अपने आप फोरेस्ट का विकास हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ३८१.

गंगानगर में बसाये गये शरणार्थियों से भूमि की कीमत वसूली की किश्तें

श्री गुरूदयालसिंह संधु—क्या पुनःस्थापन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर में बसाये गए शरणार्थियों से जमीन की क्या कीमत लेनी निश्चित की गई है और उनकी वसूली कितने सालों में की जावेगी ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि शरणार्थी इतनी बड़ी रकम् इतने कम सालों में अदा नहीं कर सकेंगे ?

(ग) क्या सरकार भारत सरकार को इस विषय में कम रकम और लम्बे अर्से में वसूल करने के लिये सिफारिश करेगी ?

(घ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि गंगानगर जिले में बहुत से शरणार्थियों ने अपने जाली क्लेम बना रक्खे हैं ?

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) पचास एकड़ तक ४५० रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ और इससे अधिक पर ३५० रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

Page No.29

[श्री अमृतलाल यादव]

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—जब तक नियम नहीं बने तब तक उनसे रकम क्या वसूल नहीं की जावेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—इसमें नियम बनने का सवाल नहीं आता। इस पर विचार कर लेते हैं कि अगर इस वर्ष नहीं दे सकता तो दूसरे वर्ष।

श्री गुरुदयाल सिंह संधु—क्या सरकार यह मुनासिब समझती है कि जो रकम वसूल ह सोकती है उसको ले लें ?

श्री अमृतलाल यादव—जो रकम वसूल होती है उसको लेना चाहिये।

श्री गुरुदयाल सिंह संधु—क्या जो रकम वसूल की जा रही है वह कुबूल है उन लोगों को ?

श्री अमृतलाल यादव—जमीन ७ साल से उनके कब्जे में है। उसके बाद रूपया नहीं देना मुनासिब नहीं होगा। रूपया दिया जाना चाहिये। अगर उसके बाद भी उनकी स्थिति ठीक नहीं हो तो उनसे एक साल में नहीं दूसरे साल में लिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार को मालूम है कि जब शरणार्थियों ने क्लेम पेश किये तो उनके क्लेम्स इस बिनाह पर कि उनको जमीन दे दी गई थी रिजेक्ट कर दिये गये थे ?

श्री अमृतलाल यादव—उनको जमीन दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सरकार के ध्यान में है कि जब उन लोगों ने क्लेम्स सरकार के सामने पेश किये तो उनको इस आधार पर कि उनको जमीन दे दी गई है उनको लिखित में उनके क्लेम्स रिजेक्ट कर दिये गये।

श्री अमृतलाल यादव—ऐसा नहीं है। जिनके २० हजार के क्लेम्स थे उनको यह कहा गया है कि आपको जमीन व लोन दिये गये है। यह सवाल भारत सरकार के विचाराधीन है। इससे ज्यादा के लिये क्लेम्स का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब तक इसका निर्णय न हो जावे तब तक रिकवरी स्टे करने का आॅर्डर दिया जावेगा ?

श्री अमृत लाल यादव—यह प्रश्न नहीं उठता। उनके क्लेम का अलग प्रश्न है और जमीन की कीमत का प्रश्न अलग है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उनको क्या दिया जावे, इस पर सरकार विचार कर रही है तब तक के लिये उनसे रिकवरी रोकने के लिये सरकार ऑर्डर देगी ?

श्री अमृतलाल यादव—स्टे के लिये किसानों ने प्रार्थना-पत्र दिया था कि हमारे क्लेम पर विचार किया जावे और जब तक इसका फाइनल डिसिजन नहीं हो तब तक वसूली नहीं की जावे। मगर सरकार ने इसको मंजूर नहीं किया। इस पर भारत सरकार विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

(घंटी)

श्री गुरुदयाल सिंह संधु—मेरा एक सप्लीमेंटरी है।

श्री अध्यक्ष—आप पहले क्यों नहीं खड़े होते ?

श्री गुरुदयाल सिंह संधु—यह तो मेरा सप्लीमेंटरी का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—Next Question, No. 382

प्रश्न संख्या ३८२

गंगानगर में सन् १९५२ से १९५५ तक डकैती की घटनाएं

श्री मोतीराम चौधरी—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जिला गंगानगर में सन् ५२-५३, ५३-५४ एवं ५४-५५ में डकैती की कितनी घटनाएं हुईं, कितने केस चले और उनमें से कितने सफल रहे ? असफल केसों का क्या कारण रहा और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिला गंगानगर में सन् १९५२ में १५ डकैतियां हुईं जिनमें से ७ का चालान हुआ, २ में सजा हुई, २ में मुलजिमान बरी हुए तथा ३ जेर तजबीज हैं।

सन् १९५३ में ९ डकैतियां हुई जिनमें ४ का चालान हुआ, एक में सजा हुई, १ में मुलजिम बरी हुआ तथा २ केस जैर तजबीज हैं। सन् १९५४ में ५ केसेज़ दर्ज हुए जिनमें से २ का चालान हुआ, १ में मुलजिम बरी हुआ, बाकी केस जेर तजबीज हैं। सन् १९५५ में २ डकैतियां हुई जो जेर तफतीश हैं।

[श्री रामकिशोर व्यास]

केसों के असफल होने के कारण यह हैं कि शहादत शनाख्त अदालत से नाकाफी ख्याल की गई, गवाह मुखलिफ हो गये, अदालत ने शुबहा का फायदा मुलजिमान को दिया।

सम्बन्धित अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि एक्शन लेने की कोई ऐसी वजह नहीं थी।

श्री मोतीराम चौधरी— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि....

श्री रामकिशोर व्यास—हां वे भी करते हैं।

श्री मोतीराम चौधरी—डाकुओं से जो माल बरामद हुआ वह सरकार में जमा है, उसको देने के संबंध में सरकार क्या सोच रही है।

श्री रामकिशोर व्यास—(अश्रव्य)

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या इससे यह साफ जाहिर है कि गंगानगर के पुलिस कर्मचारी काबिल नहीं नहीं हैं कि वे वहां का काम अच्छी तरह से चला सकें।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३८३

राजस्थान के चल पशु-चिकित्सालय विशेषतया उदयपुर जिले में

श्री भैरोंसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में चल पशु–चिकित्सालय कुल कितने हैं ?

(ख) क्या उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी कोई हैं ? यदि हां तो किस स्थान पर ?

श्री भोगीलाल पंड्या— (क) दो।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न उहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह—क्या इसके लिए १० चिकित्सालयों का प्रोविज़न रखा गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं। ६ के लिये रखा गया था। आशा की जाती है कि वे खुल भी जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह—कब तक खोले जावेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस वर्ष के अन्त तक।

एक माननीय सदस्य—ये कहां कहां खोले जावेंगे ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—वर्ष से आपका तात्पर्य कलेन्डर इयर से है या फाइनेन्सियल इयर से है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जब बजट में स्वीकृत हो जाते हैं उनके बाद भी बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने अभी फरमाया कि वर्ष के अन्त तक खुल जावेंगे, क्या आपका वर्ष से मतलब कलेन्डर इयर से है या फाइनेन्शियल इयर से है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब वक्त का समय आवे तो आप फाइनेन्शियल इयर से ही उसका मतलब लगाया करें।

श्री भैरोंसिंह केलवा—क्या बजट में स्वीकृत हो जाने पर भी फन्ड्स इस विभाग में नहीं लगाये जाते हैं और दूसरे विभाग में लगा दिये जाते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस वर्ष बजट में है और उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३८४

दाख्या बांध (जिला टोंक) पर शासकीय व्यय की उपयोगिता

श्री लालूराम—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला टोंक में दाख्या बांध के बनाने में कितनी धन राशि खर्च की गई ?

(ख) क्या यह धन राशि ठीक तरह से खर्च की गई है ?

(ग) यदि हां, तो उसमें पानी क्यों नहीं ठहरता।

श्री भोगलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री सिंचाई मन्त्री की ओर से)—(क) २, १५, २७१ रु० ७ आना ६ पाई ।

(ख) हां ।

(ग) उसके पेटे में कुछ पानी का भराव होता है और इस कारण पानी कम टहरता है । कुछ वर्षों में पेटे में रेता जमने पर झरना बन्द हो जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ३८५

किशनगढ़ में रिफ्यूजी केम्प में दिये गये अनाज इत्यादि के लिये ठेकेदारों की बकाया रकम

श्री चांदमल मेहता—क्या पुनःस्थापन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः

(क) रिफ्यूजी केम्प, किशनगढ में कब से कब तक चालू रहा ?

(ख) रिफ्यूजी केम्प में अनाज, गुड़ ईंधन आदि सप्लाई करने वाले किन २ ठेकेदारों के कितने २ रूपये सरकार की तरफ बकाया है ?

(ग) उक्त बकाया रकम कब से सरकार की तरफ चली आ रही है और उसका पेमेन्ट नहीं होने के क्या कारण है ?

(घ) कन्टाक्टर्स के साथ पेमेन्ट के बाबत क्या शर्त रखी गई थीं ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनःस्थापन मन्त्री)—शरणार्थी कैम्प किशनगढ़ राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई सन् १६४६ से चालू किया गया और ३१-१०-४६ से इसमें नई भर्ती होनी बन्द हो गई थी ।

(ख) किशनगढ़ शरणार्थी कैम्प के निम्नलिखित ठेकेदारों का इस प्रकार रुपया देना बाकी है :

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	विषय	रकम रु०	आ०	पाई
१	श्री मूलचन्द नाऊमल	सप्लाई सब्जी	२,६७५	३	६
२	श्री अहमदअली	सप्लाई ईंधन	८५०	०	०
			३,८२५	३	६

[श्री अमृतलाल यादव]

(ग) ऊपरलिखित रकमें इस कार्यालय में जुलाई सन् १९४९ से बाकी हैं जिनकी अब तक अदायगी न होने का कारण यह है कि किशनगढ़ शरणार्थी कैम्प के सम्पूर्ण कागजात बहुत दिनों तक पुलिस में किसी तहकीकात के सम्बन्ध में पड़े रहे थे। इसके अतिरिक्त श्री मूलचन्द नाऊमल के बिल के सम्बन्ध में कुछ ऑडिट के एतराज़ भी थे जिनकी पूर्ति की कार्यवाही जारी है। अहमदअली के सम्बन्ध में यह लिखा जाना आवश्यक है कि यह बिल ठेकेदार द्वारा गलत पेश किये गये थे और इसका मिलान कैम्प रेकार्ड से नहीं होता था। बिल की अदायगी में विलम्ब होने का यही कारण है। अब बिलों की जांच सही रकम के लिये कर दी गई है और कार्यवाही अदायगी स्वीकृत की जा रही है।

(घ) टेन्डर लिये जाने के समय अदायगी के विषय में कोई शर्तें तय नहीं हुईं।

श्री चांदमल मेहता—यह पेमेंट अब कब तक हो जावेगा ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अभी जवाब दिया था कि जल्दी हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—श्री जयचन्द्र मोहिल।

प्रश्न संख्या ३८६

राशमी तहसील (जिला चितौड़गढ़) के घीसा रेगर के अत्याचार से जनता आतंकित

श्री जयचन्द्र मोहिल—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला चित्तौड़ की राशमी तहसील के निवासी श्री घीसा रेगर को कितने फौजदारी केसेज़ में सजाएं हुई हैं ? कोर्ट और पंचायत बोर्ड के केसों की अलग अलग विगतवार सूची बतावें ?

(ख) क्या इस समय भी गरीब जनता इसके आतंक से आतंकित है ?

(ग) क्या एस. डी. ओ. कपासन से राशमी आगमन पर इससे आतंकित गरीब जनता ने शिकायत की थी किन्तु एस. डी. ओ. ने शिकायतकर्ता को डांट दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास-(गृह मन्त्री) माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर अभी आया नहीं है। बाद में अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष-श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ३८७

राजस्थान निर्माण के पश्चात् अजमेर मेरवाड़ा द्वारा किशनगढ़ सब डिविजन के तालाबों के पानी को रोकना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री चांदमल मेहता]

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद अजमेर-मेरवाडा द्वारा किशनगढ़ सब डिवीजन के किन २ तालाबों का पानी कब २ रोका गया ?

(ख) अजमेर-मेरवाडा द्वारा ऐसे किन २ तालाबों को बड़ा बनाया गया है जिसकी वजह से किशनगढ़ सब डिवीजन के तालाबों को हानि पहुंची है ?

(ग) किशनगढ़ सब डिवीजन की जनता ने कब २ किस २ तालाब के बाबत शिकायत की ?

(घ) अजमेर-मेरवाडा की पानी रोकने व तालाब बढ़ाकर किशनगढ़ सब डिवीजन के तालाबों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ सरकार द्वारा क्या २ कार्यवाही की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री सिंचाई मन्त्री की ओर से)—(क) राजस्थान निर्माण के बाद अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा किशनगढ़ सब डिवीजन के बांध बालासागर और रामसागर का पानी १९५४ में रोका गया ?

(ख) (ग) अजमेर मेरवाडा द्वारा बंध तिलोनिया को बड़ा बनाया गया जिसकी वजह से बुहारू के जमींदारों की तरफ से ता. १३-१-५५ को एक शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त हुई।

(घ) अजमेर सरकार को तालाब की ऊंचाई कम करने के लिये लिखा गया है और वहां से आश्वासन भी मिला है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि १९५५ से नहीं बल्कि सन् १९५४ से लोहारू में किसानों ने अपनी ओर से कार्यवाही करने की मांग की है।

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है। मैंने जो तारीख बताई तब से शिकायत आई है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि अजमेर-मेरवाडा की गलत कार्यवाही से राजस्थान को नुकसान हुआ है और इसीलिये अजमेर-मेरवाडा को राजस्थान में मिलाया जा रहा है ?

(हंसी)

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका उत्तर आप भाग (ख) (ग) में देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३८८

यातायात कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने के सम्बन्ध में कमीशन की नियुक्ति

श्री तेजपाल—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सितम्बर सन् १९५४ में राजस्थान सरकार ने मोटर यातायात कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने के सम्बन्ध में एक कमीशन नियुक्त किया था ?

(ख) यदि हां, तो अभी तक कमीशन के कार्य शुरू न करने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या(उद्योग मन्त्री एवं यातायात मन्त्री की ओर से) (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरोंसिंह ।

प्रश्न संख्या ३८९

श्री महावीर प्रसाद, क्लर्क कोटा, वन विभाग का सरकारी रकम के गबन में पुलिस द्वारा चालान

श्री भैरोंसिंह (१६)--क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि कोटा वन विभाग के एक क्लर्क श्री महावीर प्रसाद का सरकारी रकम के गबन में पुलिस द्वारा चालान किया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त महावीर प्रसाद को उच्च न्यायालय ने बरी करके गबन में गई रकम श्री नन्दन भार्गव डी० एफ० ओ० से वसूल करने का निर्णय दिया है ?

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)-(क) किया गया था।

(ख) यह सही है कि उक्त श्री महावीर प्रसाद को उच्च न्यायालय से बरी किया गया। परन्तु यह सही नहीं है कि उच्च न्यायालय ने गबन की रकम को श्रीनन्दन भार्गव से वसूल करने का आदेश दिया।

Page No.37

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय ने फैसले में लिखा है कि इस गबन की ज्यादा जिम्मेदारी श्रीनन्दन भार्गव पर है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसा नहीं लिखा है ।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि उस निर्णय में यह भी लिखा है कि····

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—That should not be referred. If the Hon'ble Member has got that information, that is sufficient.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I have also seen the judgment.

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूर चन्द ।

प्रश्न संख्या ३९०

तहसील बनेड़ा (जिला भीलवाड़ा) की सहकारी समिति का दो हजार रुपया शेयर्स खाते में बैंक में जमा

श्री कस्तूरचन्द—क्या मन्त्री सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा की सहकारी समिति का २०००) रु० सरकार ने जबरदस्ती बैंक में शेअर्स खाते जमा कर लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सच है कि समिति द्वारा यह २०००) रु० जमा नहीं कराया गया ?

(ग) क्या यह सच है कि एक फर्जी सेक्रेटरी द्वारा समिति को भंग करने की गरज से ऐसा किया गया ? यदि हां, तो यह व्यक्ति कौन है ?

(घ) सरकार ने अब तक इस व्यक्ति पर क्या कानूनी कार्यवाही की है ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मन्त्री)—(क) सरकार द्वारा जबरदस्ती ऐसी कोई रकम जमा नहीं करवाई गई बल्कि यह रकम समिति के सेक्रेटरी श्री रूपलाल द्वारा जमा कराई गई।

(ख) उत्तर (क) विस्तृत है।

(ग) नहीं, यह रुपया समिति के हित में उसके सेक्रेटरी ने जमा करवाया था। सेक्रेटरी का नाम श्री रूपलाल है।

(घ) जांच जारी है। नतीजे पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री कस्तूरचन्द—क्या माननीय मन्त्रीजी को यह पता है कि यह दो हजार रुपया हमारी समिति की रकम है और जबरदस्ती से दी गई है। फर्जी सेक्रेटरी रूपलाल को बनाकर हमारी रकम दिला दी है जिसके कारण वे सहकारी समिति······

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—क्या लेक्चर दे रहे हो?

(हंसी) एवं (घंटी)

आपको जवाब दे दिया गया है।

श्री अमृतलाल यादव—श्री रूपलाल, समिति का सेक्रेटरी होने से, उसने वह रकम सेन्ट्रल बैंक भीलवाड़ा में जमा कराई है।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही नहीं है कि जनता ने शिकायत की थी कि रूपलाल ने फर्जी सेक्रेटरी बन कर रकम जमा कराई है?

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूरचंद।

श्री कस्तूरचन्द—ठीक है।

(हंसी)

मैं अर्ज करूंगा कि रूपलाल ने फर्जी सेक्रेटरी बन कर रकम जमा करायी है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उसने फर्जी सेक्रेटरी बन कर समिति की रकम जमा कराई है और सहकारी समिति को ठग कर।

("हियर, हीयर" विपक्ष द्वारा)

श्री अमृतलाल यादव—अगर फर्जी सेक्रेटरी है तो माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि समिति से उसको पृथक कर दिया जाय और अगर समिति उसको पृथक कर देगी तो बेशक सरकार की ओर से कार्यवाही होगी।

श्री कस्तूरचंद—मैं यह बता देना चाहता हूँ कि वह समिति से पृथक है और हमारा सेक्रेटरी नहीं है। उसकी कार्यवाही हो चुकी है और मंत्रीजी साहब बता रहे हैं कि अब कार्यवाही होगी।

श्री अमृतलाल यादव—आपने सूचना दी उसके लिए धन्यवाद और अब उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी। आपने अलग कर दिया है।

श्री कस्तूरचंद—अध्यक्ष महोदय, मैं दो साल से मंत्रीजी से कह रहा हूँ कि वह फर्जी सेक्रेटरी है और फर्जी कार्यवाही करायी है। आपने कार्यवाही करायी और फिर बता रहे हैं कि फर्जी सेक्रेटरी की कोई सूचना नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है!

(हंसी एवं हियर, हियर विपक्ष द्वारा)

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या समिति द्वारा उनको अलग करने की सूचना सरकार को दी गई है?

श्री अमृतलाल यादव—समिति से अलग करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव के रूप में कोई सूचना नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास अभी नहीं आया है।

श्री कस्तूरचंद—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रस्ताव की नकल है। मैं पढ़कर सुना सकता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो।

(हंसी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वे दो साल से कह रहे हैं।

श्री कस्तूरचंद—फर्जी सेक्रेटरी बन करके हमारी समिति को ठग करके जमा कराया। मैं यह बात बता देना चाहता हूँ कि इस कोऑपरेटिव विभाग के कर्मचारियों की उनसे मिली-जुली भगत है।

श्री अध्यक्ष—But if he has a genuine grievance the Government should look into it.

श्री अमृतलाल यादव—I assure that.

Page No.40

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपने इतने दिनों तक क्यों नही जांच की ?

श्री अध्यक्ष—Next.

(हंसी एवं घंटी)

श्री कस्तूरचंद—एक और सप्लीमेन्टरी है साहब।

श्री अध्यक्ष—Order please!

श्री कस्तूरचंद—मैं सप्लीमेन्टरी करना चाहता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अध्यक्ष महोदय, काफी सुन ली है इनकी बातें।

(हंसी एवं शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—Order please! Order please !! Next.

प्रश्न संख्या ३९१

धोलपुर सब डिवीजन में पारबती बाँध के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि का ग्रामवासियों को मुआवजा

श्री हंसराज जटिया—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धोलपुर सब डिवीजन में पारबती बांध के अन्तर्गत कितने व कौन २ से गांव डूब में आवेंगे ?

(ख) उपरोक्त ग्रामों के वासियों को बसाए जाने के हित में सरकार ने क्या योजना सोची है ?

(ग) क्या ग्रामवासियों को सरकार की ओर से सूचना मिल चुकी है कि बांध भर जाने से गांव डूब जावेंगे और उन्हें दूसरे स्थान के लिए उठना पडेगा।

(घ) क्या ग्रामवासियों को दूसरा स्थान बसने के लिये बताया जा चुका है ?

(ङ) सरकार ग्रामवासियों को उनकी भूमि का मुआवजा किस प्रकार से देगी ?

Page No.41

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री, सिंचाई मंत्री की ओर से)—(क) पारवती बांध का जब निर्माण हो जावेगा तो तीन ग्राम पानी में डूब में आवेंगे; जिनके नाम (१) काकरेट (२) भामनपुरा (गोरधन पुरा) हैं। दूसरे ग्राम, जिनका कुछ हिस्सा डूबेगा कुरगांव (२) कोही (३) हरिसिंह का पुरा है।

(ख) बसाने की योजना राजस्व विभाग के विचाराधीन है।

(ग) हाँ।

(घ) उत्तर (ख) में सम्मिलित है।

(ङ) मुआवजा देने के लिए बांध के बजट में १,७३,०००) सरकार ने मंजूर कर रखे हैं जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के मार्फत फौरन ही ग्रामवासियों को वितरित कर दिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३९२

कस्टम्स विभाग के कर्मचारियों को परमानेन्ट व प्रीमर्जर होते हुए भी एब्जोर्ब करते समय योग्यता की शर्तें

श्री हरिसिंह—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कारण है कि कस्टम्स महकमे के कर्मचारियों के लिये परमानेन्ट व प्रीमरजर कर्मचारी होते हुए भी उनको एब्जोर्व करते समय सूटेबल होने की शर्त लगाई गई ?

(ख) क्या सप्लाइज़ डिपार्टमेन्ट के एम्प्लाइज़ को जो कि टेम्परेरी बेसिस पर रक्खे हुए थे व मर्जर के बाद के थे बगैर किसी क्वालीफिकेशन या शर्त के एब्जोर्व कर लिया गया ?

(ग) यदि हां, तो यह भेद क्यों ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—कस्टम्स व सप्लाई दोनों विभागों के ही कर्मचारियों की विभिन्न स्थानों पर नियुक्ति उनकी उन पदों के लिये उपयुक्तता (सूटेब्लिटी) के आधार पर की गई है। स्पष्टतः, सरकार दोनो ही विभागों के व्यक्तियों को ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं कर सकती थी जिनके लिए वे उपयुक्त नहीं थे। सरकार ने कस्टम्स विभाग के सभी स्थायी व्यक्तियों को जो रिटायरमेन्ट पर नहीं चले गये, उचित पदों पर लगाये जाने का प्रबन्ध कर दिया है और अब

[श्री अमृतलाल यादव]

यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग तीन हजार कर्मचारियों को एब्जोर्व कर लिया गया है। कस्टम्स डिपार्टमेन्ट का कोई स्थायी कर्मचारी अब सरप्लस में बाकी नहीं है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही नहीं है कि इस विभाग के जो टेम्परेरी कर्मचारी थे उनको भी एज़ोर्ब्ब किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—टेम्परेरी कर्मचारियों को भी यथा-संभव एब्ज़ोर्ब किया गया है।

श्री किशनलाल शाह—जो स्थायी कर्मचारी थे उनको न लगाकर उनकी जगह अस्थायी कर्मचारियों को लगाया गया, इस संबन्ध में कुछ शिकायतें आई हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—अभी जैसा मैंने जवाब दिया स्थायी कर्मचारियों को सब को लगा दिया गया है कोई भी बाकी नहीं हैं।

श्री किशनलाल शाह—कस्टम के जो परमानेन्ट एम्पलोईज़ थे, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से पास होते हुए भी क्या उनकी सूटेबिलिटी के लिये एक्जामिनेशन लिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने उत्तर दिया जहां तक कस्टम विभाग के स्थायी कर्मचारियों के एब्ज़ोर्ब करने का सवाल था सबको एब्ज़ोर्ब कर दिया गया। अब रहा सवाल सूटेबिलिटी का; कोई भी सरकार कभी अपनी एफीशियेन्सी कम नहीं कर सकती इसलिये स्यूटेबिलिटी को जरूर माना गया है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों को इन्टव्यू की तहत सूटेबल समझकर नियुक्त किया गया अगर वे एक्जामिनेशन में पास नहीं हुए तो क्या उनको निकाल दिया जायगा ?

(घंटी)

श्री किशनलाल शाह—माननीय अध्यक्ष, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—हाइपोथेटीकल सवाल का जवाब नहीं दिया जाता।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

अब १२ अक्टूबर का क्वश्चन लिया जायगा।

(विराम)

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

(अनुपस्थित)

अल्पकाल सूचना प्रश्न, श्री कंवरलाल जेलिया।

अल्प-काल सूचना प्रश्नोत्तर कोटा शहर में हुई दुःखद पूर्ण घटनाओं संबंधी भ्रान्तियें

१. (६। एस. एन. क्यू.) **श्री कंवरलाल जेलिया (७०)**—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या कोटा शहर में यह भ्रांति फैली हुई है कि वहां की जनता से राजस्थान सरकार द्वारा गत माह में हुई दुखदपूर्ण घटनाओं के फलस्वरूप सामुहिक जुर्माना वसूल किया जाने वाला है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की ओर से इस भ्रांति को दूर करने का क्या उपाय किया गया ?

(घ) इस हड़ताल को खुलवाने के क्या २ प्रयत्न किये जा रहे हैं और उसका अब तक क्या परिणाम रहा ?

श्री **रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री)—१. जी हां, ऐसी भ्रान्ति फैली हुई थी।

२ ऐसी भ्रान्ति लोगों को भड़काने के लिये फैलाई गई थी।

३. इस सम्बन्ध में जिलाधीश कोटा ने विज्ञप्ति दिनांक १०।१०।५५ को जारी कर दी है।

४. कोटा की जनता को सही स्थिति का ज्ञान कराया गया और हड़ताल ता० ११-१०-५५ को खुल गई।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि यह भ्रान्ति किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा फैलाई गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—सम्भव हो सकता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान सरकार की अब तक की जानकारी के आधार पर भ्रान्ति फैलाने वाले कौन तत्व हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि किसी माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में पब्लिक मीटिंग में वक्तव्य दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, एक वक्तव्य एक माननीय सदस्य द्वारा दिया गया था।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में भी वह वक्तव्य प्रकाशनार्थ गया।

श्री रामकिशोर व्यास—समाचार पत्रों में वक्तव्य गया होगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—इस सम्बन्ध में क्या स्पष्टीकरण किया गया ?

श्री अध्यक्ष—यहां स्टेटमेन्ट दिया गया।

नवयुग दैनिक समाचार पत्र एवं श्री दामोदर लाल व्यास के प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—Yes. We now come to the next item on the agenda. The questions on privilege moved by Shri H. K. Vyas and Shri Jaswant Singh. They are ragarding the breach of privilege committed by the 'Navyug' daily of Jaipur and Shri Damodar lal Vyas in having disclosed the discussions of the Select Committee on the Rajasthan Land Revenue Bill, 1954, in his reply to the debate on 29-9-55.

So I would first like both the movers to lay down their case before the House and after hearing the other members I will decide about its adminissibility; I will decide whether I should give consent to such motions or not.

Yes, Shri H. K. Vyas.

One thing again I may ask the Hon'ble members that it should be strictly Confined to the preliminary discussions, the legality and how such motions are entitled to receive the consent of the Speaker.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, We are at the moment discussing the question of the admissibility of the motion of privilege raised by me. In this connection, in the first instance I invite attention to Rule 131 (7) of the Rules of Procedure of our House. Sub-rule (7), as we all know, reads as under:-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"The discussions of a Select Committee shall not be disclosed by any member, nor shall any reference to such discussions be made in the Assembly."

This is a prohibitory order; I think, an order which prohibits a member, at any stage, before presenting the report......

यह जो नियम है वह इस बात की पाबन्दी लगाता है कि कोई भी माननीय सदस्य अथवा और कोई व्यक्ति सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के पहले अथवा बाद में किसी भी जगह किसी भी मौके पर विधान सभा में भी सिलेक्ट कमेटी में जो वाद-विवाद हुआ है उन वाद विवादों का उल्लेख नहीं कर सकता, सदन में भी नहीं कर सकता। इस प्रकार ये दोनों प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुए हैं उनका ताल्लुक इस प्रकार के वाद-विवाद के होने से है।

पहला उल्लेख एक समाचार पत्र डेली नवयुग ने किया है और वाद--विवाद का माननीय राजस्व मन्त्री श्री दामोदरलाल व्यास ने किया। यह क्यों किया इस तफसील में न जाते हुए इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में अमुक-अमुक वाद-विवाद हुआ, अमुक सदस्य उपस्थित थे या न थे। उन्होंने अमुक राय प्रस्तुत की। उन्होंने फलां-फलां क्लॉज़ के पक्ष में राय दी या इसके विरोध में राय दी, इस प्रकार का उल्लेख इस सदन की कार्यवाही में राजस्व मंत्रीजी ने किया और नवयुग नामक समाचार पत्र ने उसको छापा। पहले वाला प्रस्ताव मेरा है और दूसरा कुं० श्री जसवन्तसिंहजी का है। इस पर ज्यादा समय न लेते हुए मुख्य प्रस्ताव जो है उसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ।

यह बात उचित है कि इस सदन में सिलेक्ट कमेटी की कार्यवाही के बारे में उल्लेख करना एक प्रकार से सदन की मानहानि थी। अब प्रश्न यह है कि अगर किसी समाचार पत्र द्वारा इस सदन में माननीय मन्त्री द्वारा कहे गये शब्दों का उल्लेख मात्र किया हो और इस हाउस की कार्यवाही का पब्लिकेशन मात्र किया हो तो क्या उसको कानून के मातहत किसी प्रकार का प्रोटेक्शन है या नहीं ?

इस सिलसिले में मैं, माननीय अध्यक्ष, आपका ध्यान Wason vs. Walter के केस की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वह है 1868, page 55 of May's Parliamentary Practice.

इस केस में प्रश्न यह आया कि सदन की कार्यवाहियों की जो रिपोर्ट छपती है, वह रिपोर्ट एक्शनेबल है अथवा नहीं। सदन द्वारा ही नहीं, दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा भी और इस केस में यह तय पाया कि जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज़ को प्रोटेक्शन है उसी हद तक और केवल उसी हद तक सदन की कार्यवाही को प्रोटेक्शन है। अर्थात् पूरी की पूरी कार्यवाही बगैर किसी कम-ज्यादा के यदि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कोई छापे तो केवल उसको कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल सकता है। किसी स्पीच को या उसके किसी भाग को छापे या उसका उल्लेख करे, उसकी आलोचना करे, अपनी सम्मति दे उसे किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन सदन के द्वारा ही नहीं, लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा एक्शन लिया जावे तो भी नहीं मिल सकता और जो पब्लिकेशन नवयुग डेली ने किया है वह पब्लिकेशन सदन की कार्यवाहियों की रिपोर्ट को देते हुए नहीं कर सकता है। फिर कार्यवाहियों की विवेचना करते हुए, आलोचना करते हुए उल्लेख किया गया है और वह उल्लेख, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि वह प्रोटेक्टेड किसी भी हालत में नहीं। ऐसा जब संकेत किया है वहां पर कि पूरी प्रोसीडिंग्स नहीं थी केवल एक विशेष स्पीच को प्रोड्यूस किया वह भी गलत थी, फैक्चुअली रोंग थी और इसके अलावा इस पर कमेन्ट भी दी गई थी कि जिसके प्रोटेक्शन का इस Wason versus Walter के केस में जैसा उल्लेख है, उसमें नहीं है।

इसी प्रकार मैं "Stockdail vs. Hansand" के केस की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें भी यह माना गया है कि यदि सदन के बाहर सदन की प्रोसीडिंग्स छापी जावें तो महज इस वजह से कि वह छप गई है रूल अथवा दूसरी कार्यवाही से प्रोटेक्शन नहीं उपलब्ध है, सदन के रूल्स का प्रोटेक्शन मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता।

अब प्रश्न यह आता है कि यदि किसी भी समाचार पत्र में इस सदन की कार्यवाही छापते समय भी यदि वह कुछ ऐसी चीज़ छापे जो एतराज काबिल है तो सदन की कार्यवाही छापना प्रोटेक्टेड है या नहीं: यदि छापते समय का प्रोटेक्शन है तो वह भी कितना ? मैं इस बात को पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि जिस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया है वह सदन की कार्यवाही छापने की रिपोर्ट नहीं है वह एक कमेन्ट है और कमेन्ट के नाते इस पत्र के सम्पादक की स्वतन्त्र आज्ञा के बारे में जवाबदारी न हो लेकिन यह बात जैसी है उसमें तो मामला और भी ज्यादा गम्भीर है क्योंकि जो कार्यवाही छापी गई है वह अथवा उस कार्यवाही का अंश छापा गया है उसका ताल्लुक सदन की एक सिलेक्ट कमेटी का पब्लिकेशन प्रीमेच्योर पब्लिकेशन है, वह प्रोसीडिंग और डिस्कशन का पब्लिकेशन है और इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान, माननीय अध्यक्ष महोदय, आकर्षित करना चाहूँगा एक दूसरे केस की ओर: Sheehan's Case, C. J. 1831-32, on page 119 of May's Parliamentary Practice.

यह केस इस प्रकार का है जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुना दूं। पेज ११६, पैराग्राफ २, लाइन ४ :

"That the evidence taken by any select committee of this House, and the documents presented to such committee, and which have not been reported to the House, ought not to be published by any member of such committee or by any other person"

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"Where the public are admitted this rule is usually not enforced." and the last is:

"The publication of proceedings of committees conducted with closed doors or reports of committees before they are available to Members will, hovever, constitute a breach of privilege."

This is Sheehan's case referred to at the bottom of page 119 of May's Parlimentery Practice, referred to as No. (n).

इस केस द्वारा यह प्रस्तापित किया गया है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत हो उसके पहले यदि कोई पब्लिश कर दे तो वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगा और इतना ही नहीं, जो कार्यवाही सिलेक्ट कमेटी के क्लोज डोर्स में हो अर्थात जिस कार्यवाही की रिपोर्ट में उल्लेख नहीं हो, जो कार्यवाही कमेटी रूम में होती है उसकी प्रोसीडिंग्स, उसके वाद-विवाद को छापा जाता है या पब्लिश किया जाता है एट एनी स्टेज तो वह भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है।

ये दो प्रिविलेजेज़ इस Wason Vs. Walter and Sheehan's Case केस द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। एक यह कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने आने से पहले छापना, यह एक प्रकार का। पर जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ वह दूसरे प्रकार का है और वह यह है कि जिसमें प्रोसीडिंग्स क्लोज्ड डोर्स में हुई हैं उनको छापना, उनका उल्लेख करना अथवा उनके बारे में किसी प्रकार की चीज सदन में लाना यह भी स्वतन्त्र रूप से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज गिना गया है। यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केस जिस आधार पर हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूँ कि लगभग इसी आधार पर हमारी सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर का रूल १३१ बना है जिसमें यह स्पष्ट मेन्डेटरी प्रोवीजन रक्खा है :

"that the discussions of a Select Committee shall not be disclosed."

अन्त में मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा। पहले जिस बात के आधार पर मैंने अपना सारा का सारा केस प्रस्तुत किया है वह यह है कि इस मामले में रूल १३६ (७) का हनन हुआ है। दूसरी बात जिसका जिक्र किया है वह यह है कि सिलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्स जो क्लोज्ड डोर्स में हुई हैं उनका पब्लिकेशन एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। यदि ये दो बातें आधार मानकर चला जावे तो यह कहा जायगा कि आया वास्तव में प्रोसीडिंग्स का व डिसकशन का पब्लिकेशन हुआ अथवा नहीं। इस सिलसिले में दो चीजें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली बात यह कि अगर रूल्स में प्रोसीडिंग्स के, डिस्कशन का पब्लिकेशन हुआ हो केवल इतना ही गैर वाजिब नहीं है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"Any reference to such discussions also is prohibited."

इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई माननीय सदस्य गलत स्टेटमेन्ट कर जावे, गलत बात कह जावे कि फलां सिलेक्ट कमेटी ने फलां बात कही जो वास्तव में हुई न हो फिर भी उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। गलत बात कहने वाले को भी प्रिविलेज का भी जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जिन केसेज़ का जिक्र किया गया है वे साफ हैं और उन्हीं की तहत में फैसला किया जावे।

और दूसरी बात, नवयुग ने जो छापा है वह फेक्चुअली भी गलत है। इस सदन में २६।६।५५ को श्री दामोदरलाल ने यह अवश्य कहा था कि रेन्ट रेट के सिलसिले में अथवा विलेज सरवेन्ट के सिलसिले में जिन क्लॉजेज़ के बारे में आज, मेरा उल्लेख करके कहा था, मैंने एतराज उठाया था उन्हीं क्लाजेज़ के डिस्कशन के समय सिलेक्ट कमेटी में मैं मौजूद था और उन क्लाजेज पर डिस्कशन वहां होते समय कोई एतराज नहीं उठाया, मेरी कन्सेन्ट से ही यह पास हुआ और आज मैं उन्हीं पर ऐतराज उठाता हूँ।

पर नवयुग ने छापा है वह दूसरी चीज छापी है। वह यह है : इन तीन धाराओं पर बहस होने से यह प्रतीत हुआ कि सिलेक्ट कमेटी ने अपनी कार्यवाही पूरी नहीं की और राजस्वमन्त्री का हवाला देकर छापा है कि जैसा कि राजस्व मंत्री ने कहा कि इन धाराओं पर बहस होने के समय श्री हरिकृष्ण व्यास ने कोई संशोधन सिलेक्ट कमेटी में नहीं रखा और इन तीन धाराओं में बहस होने के समय वे वहां मौजूद थे। तो नवयुग ने जिन धाराओं का उल्लेख किया है वे शब्द इन तीन धाराओं में, उन तीन धाराओं का उल्लेख है जो तीन धाराएं सदन में उस दिन विचारार्थ ली गई थीं जो रेवेन्यू बोर्ड से ताल्लुक रखने वाली हैं। उनका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है जिन तीन धाराओं का उल्लेख श्री दामोदरलाल व्यास ने किया था तो अन्त में मैं यही कहूंगा कि न सिर्फ डिस्कशन का उल्लेख इस समाचार पत्र में छपा है वह गलत छपा है पर प्रोसीडिंग्स जो हैं वेभी गलत छपी हैं। जिन धाराओं के सिलसिले में राजस्व मंत्री ने कहा उन्हीं का उल्लेख किया है तो यह कहकर उन्होंने यदि कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है तो उसी को छापने का नाम लेकर नवयुग प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकता। पर नवयुग ने न सिर्फ यही किया कि जो डिस्कशन्स हुए उनको रिप्रोड्यूस किया पर नवयुग ने अपनी ओर से उस पर टीका करने की दृष्टि से धाराओं में भी रद्दोबदल करके और उस पर की गई स्पीच को डिसटोर्ट किया। इसे आप रियल फैक्चुएलिटी कहो। इसलिए नवयुग की जिम्मेवारी अपने आप स्थापित होती है।

इन तीन आधारों पर, एक तो रूल १३१ के सब रूल (७) का हनन हुआ है दूसरा मेज़ पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस के आधार पर जो प्रोसीडिंग्स ऑफ दी कमेटी इन क्लोज्ड डोर्स अर्थात् उसमें जो रूलिंग और डिस्कशन्स शब्दों का उल्लेख है, उनका पब्लिकेशन हुआ है, और तीसरा जो अखबार, समाचारपत्र में रिपोर्ट छपी है वह रिपोर्ट एक बोनाफाइड रिपोर्ट नहीं हुई है कमेटी था

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसमें पूरी रिपोर्ट नहीं छपी। एक विशेष स्पीच छापी गई और स्पीच को भी गलत तरीके से छापा गया है। श्री दामोदर लाल ने जिन धाराओं का उल्लेख किया था तो उसमें दूसरी धाराओं को जोड़ा गया है। इसलिए इसकी स्वयं जिम्मेवारी 'नवयुग' दैनिक की होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रिविलेज का आपके सामने प्रस्तुत करता हूं माननीय अध्यक्ष की आज्ञा के लिए, और मुझे आशा है वह आज्ञा प्रदान की जायगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, अभी मेरे मित्र, जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य, ने एक मोशन इस सदन के सामने रखा है और उसी प्रकार का एक मोशन मेरा नियम से आज के एजेन्डा में है। उन्होंने अपने सुन्दर भाषण में जो हकीकत थी और जो इनके लीगल आस्पेक्ट्स थे वे सदन के सामने रखे और चूंकि दोनों मसले एक ही किस्म के हैं, इसलिये उन्होंने मेरा काम बहुत ही सरल कर दिया और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं रही। फर्क जो कुछ है वह यह है कि माननीय सदस्य एक अखबार के प्रति ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन इस सदन में लाये हैं और मेरा मोशन एक सदन के माननीय सदस्य के विपरीत ही नहीं लेकिन इस राजस्थान सरकार के एक मन्त्री के विरुद्ध है और इसलिये इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है।

यह जो डेमोक्रेसी हिन्दुस्तान में हम लोगों ने स्थापित की, इसकी नकल हमने पाश्चात्य देशों से की और खास तौर पर इंगलैन्ड की पार्लियामेंट की नकल करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसी पद्धति के अनुसार हम संसार को यह बतलाना चाहते हैं कि जनतन्त्रवाद को हम सफल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनका सही अनुकरण नहीं करेंगे तो हमारे जनतन्त्रवाद के खतरे में पड़ जाने की संभावना है।

यह कहकर, माननीय अध्यक्षजी, मैं यह बतलाना चाहूँगा हमारी विधान सभा को चलाने के लिये कि किस तरह हमारी विधान सभा चले, हमारे यहां जैसा कि और जगह भी यह रीति प्रचलित है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एन्ड कन्डक्ट ऑफ बिजिनेस करके एक पुस्तक है, जिसमें हमें यह साफ बताया गया है कि क्या कार्य यह हमारी विधान सभा कर सकती है और कौन २ से कार्य वह नहीं कर सकती है। उसमें रूल १३१ का सब रूल (७) एक अनिवार्य रूल है। उसमें यह साफ लिख दिया गया है कि यह बात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। सिलेक्ट कमेटी इस सदन द्वारा नियुक्त की जाती है। उसमें जो वाद विवाद होता है। वह वादविवाद एक पार्टी के रूप में जैसा कि वह सदन में धारण करता है वह वहां धारण नहीं करता है और हर एक सदस्य खुल्लमखुल्ला बिना किसी रिज़र्वेशन के और बिना इस बात के डर के कि जो कह रहा हूँ वह कमेटी के बाहर किसी हालत में मालूम नहीं हो, अपने विचार बिल्कुल खुले दिल से वहां व्यक्त करता है और उनको इस बात का निश्चय रहता है कि उस वक्त जो कुछ उसने कहा वह सिवाय वहां पर मौजूद सदस्यों के किसी भी हालत में और किसी को मालूम नहीं हो सकता है। इसका कारण भी साफ है कि वहां एक पार्टी का मेन्डेट या व्हिप

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

नहीं होता है जिससे कि वह एक अमुक पार्टी का सदस्य होते हुए भी उस पार्टी के विचार के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त कर सकता है। इसलिये रूल १३१ के सब रूल (७) में इतना स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिलेक्ट कमेटी में जो बहस हो उस बहस को कोई मेम्बर किसी भी रूप में किसी को न बतलाये, और यही नहीं बल्कि उसका जिक्र सदन में, विधान सभा में, कहीं उसके नाम का भी न हो। इतना जबरदस्त इस रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजीनेस में इसके मुताल्लिक प्रोवीज़न है।

अब हमें यह देखना है कि क्या ऐसी बात या ऐसी घटना इस सदन में घटी? माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको निवेदन करूं कि विलायत में जो पार्लियामेंट है वहां के सदस्यों का नैतिक स्तर, यह एक मानने की बात है, बहुत ऊंचा है, और उस स्तर तक हमें पहुँचने में काफी समय लगेगा। लेकिन फिर भी जब इस प्रकार का प्रोवीज़न हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में बन जाता है तो कोई हो, मुख्य मंत्री हों, मंत्री हों या इस सदन के माननीय सदस्य हों, कोई भी किसी प्रकार की उस सिलेक्ट कमेटी में बहस हो जाती है उसका जिक्र किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि २६ सितम्बर को इस सदन में रेवेन्यू बिल की बहस हो रही थी। उस बहस के दौरान में मेरे मित्र जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कुछ आपत्ति उठाई और उस आपत्ति के दौरान में उन्होंने इस सदन में यह बात रखी कि फलां फलां घटना नहीं घटी थी। सिलेक्ट कमेटी में उनके कन्टेन्ट्स वगैरह की सुनवाई नहीं हुई, इसलिये यह बिल वापिस सिलेक्ट कमेटी में जाय। उसको चेलेन्ज करते हुए माननीय राजस्व मंत्रीजी ने अपनी जिम्मेवारी को उस वक्त महसूस नहीं किया और शायद उन्होंने जोश में आकर यह नहीं समझा कि उत्तर देते हुए कितनी बड़ी गलती वे कर रहे हैं। मामूली तौर पर इस प्रस्ताव को सदन में लाने की आवश्यकता नहीं होती, मगर हमें भारतवर्ष में डेमोक्रेसी की स्थापना करनी है और....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Mr. Speaker, Sir, the Member is speaking on the merits or on the validity of the points?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जो रूल्स हमने सदन में बनाये हैं, हम लोगों के लिए पाबन्दी रखी गई है, और ऐसे रूलिंग के बचाव करने के लिए अगर हम इस बात में उनको भंग कर देंगे तो एक बड़ी अस्वस्थ परम्परा हम देश में कायम करेंगे, जिससे कि जनतन्त्रवाद को हानि हो सकती है। तो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने अपनी बहस के दौरान में यह कहा कि सिलेक्ट कमेटी में रेन्ट रेट्स और विलेज ऑफिसर्स की जो क्लाज़ है उन क्लॉज़ेज़ के डिसकशन के वक्त माननीय जोधपुर से आये हुए सदस्य श्री एच० के० व्यास वहां पर मौजूद थे।

फिर उन्होंने यह फरमाया कि उस वक्त उन्होंने कमेटी में कोई एतराज इसके

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

विरुद्ध नहीं उठाया इस क्लॉज पर और आगे चल कर यहां तक कहा कि जब रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी की पेश हो रही थी उस वक्त माननीय एच० के० व्यास की अपनी रजामन्दी उस ड्राफ्ट के साथ थी। माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूं कि रूल १३१ के सब रूल (७) में यहां तक लिखा हुआ है कि: "The discussions of a Select Committee shall not be disclosed by any member, nor shall any reference to such discussions be made in the Assembly."

तो इस रूल की मौजूदगी में लिबर्टी, यह स्वतंत्रता राजस्व मंत्रीजी कैसे ले सकते हैं कि सिलेक्ट कमेटी में क्या हुआ उसका इस सदन में वे जिक्र करें। हमें इस जनतंत्रवाद को बचाने के लिए स्वस्थ्य परंपरा कायम करनी पड़ेगी। हम और माननीय मित्र एक दूसरे के मित्र हैं, फिर भी हमें अप्रिय काम अपने कर्तव्य के लिये करने पड़ते हैं और स्वस्थ्य परंपरा कायम करने के लिये यह लाजिमी बन जाता है कि रूल भंग करे उसको नोटिस दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, पाश्चात्य देशों में और खास कर इंगलैंड में क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसका जिक्र तो इस केस के मेरिट पर, जब आप इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करेंगे उस वक्त बताऊंगा कि यह एक बहुत संगीन मामला है। इसके मुकाबले में बहुत अच्छे अनुभव रखने वालों से गल्ती हो जाती है तो उसका अंजाम क्या हो जाता है और क्या सजा बड़े से बड़े मंत्री को दी जा सकती है? यह जब आप इसकी स्वीकृति देंगे और मेरिट पर सवाल आयगा तब हम बतायेंगे लेकिन अभी तो इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि मेज़ पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस नाम की किताब जो पार्लियामेन्टरी कार्य चलाने की ओथोरिटी समझी जाती है उस किताब में एक हंट्स केस करके एक केस सन् १६१६ का उसमें जिक्र है। इस किताब के पेज १२० पर यह दर्ज है, उसमें यह बताया गया है कि रूल्स ऑफ प्रोसिजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इस हाउस का ऑर्डर है और हाउस के लिये उसे मानना लाजमी है। हंट्स केस का जो जिक्र पेज १२० पर है उसमें हंट को बहुत सख्त सजा मिली है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। उसमें लिखा है:

"Slighting or contemning of an order by either House" यह कंटेम्प्ट की परिभाषा में आते हैं। तो जब हम डेमोक्रेसी को जिन्दा रखने के लिये और उसको सफल बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं और हम यह चाहते हैं कि हमारा नैतिक स्तर उतना ही ऊंचा बने जितना कि पाश्चात्य देशों का है बल्कि हम एक कदम और आगे जाकर कहेंगे कि भारत का इतिहास और भी ऊंचा है तो हमें अपने नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहिये। तो यह बिल्कुल साफ है कि मेरे परम मित्र माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो काम गलती से किया है या कैसे ही किया है लेकिन उन्होंने रूल को भंग किया है। और यदि रूल भंग किया है तो स्वस्थ परम्परा के लिये कार्यवाही करना जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं अपना मोशन सदन के सामने रखता हूं। आप इस पर सब तरह के दृष्टिकोण से विचार करके स्वीकार करें और यह आज्ञा देंगे कि स्वस्थ परम्परा को कायम करने के लिए यह सदन नोटिस ले।

१२५० नवयुग दैनिक समाचार पत्र एवं श्री दामोदरलाल व्यास के प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री भैरों सिंह—(वि. सं. १६) अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष—श्री कपिलदेव अग्रवाल।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अध्यक्ष महोदय, जो मोशन जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने सदन के सामने उपस्थित किया है......

श्री अध्यक्ष—मोशन अभी उपस्थित नहीं हुआ है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मोशन उपस्थित करने की आज्ञा चाही है, उसके लिए उन्होंने रूल १३१ सब रूल (७) कोट किया है; जिसमें लिखा है कि...

"The discussions of a Select Committee shall not be disclosed by any member, nor shall any reference to such discussions be made in the Assembly."

तो जहां तक नवयुग डेली का प्रश्न है, यह सब रूल (७) सिर्फ एक मैम्बर पर आयद होती है और किसी समाचार पत्र पर उसका असर नहीं होता (हीयर हीयर) तो जो बात माननीय सदस्यों ने कही है कि नवयुग द्वारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है वह इस धारा के अन्तर्गत नहीं हुआ है। अब मैं एक दो बातें आपको सुनाना चाहता हूं पहली बात है कि...

"The discussions of a Select Committee shall not be disclosed."

प्रश्न यह है कि डिस्कशन क्या चीज है ? नवयुग डेली ने जो अक्टोबर ४ को छापा है वह यह है कि राजस्व मन्त्री श्री दामोदर लाल व्यास ने अपने भाषण में बताया कि जो सुझाव श्री हरि कृष्ण व्यास ने सदन में दिये हैं वे उन्होंने प्रवर समिति को नहीं दिये; जब कि प्रवर समिति में हुई बहस के समय वे स्वयं उपस्थित थे।

सवाल यह पैदा होता है कि क्या अखबार ने ऐसी बात लिखी जो सिलेक्ट कमेटी द्वारा डिस्कस हुई ? सिर्फ यह लिखा है कि प्रवर समिति के सामने जब बहस हुई थी तब उन्होंने सुझाव नहीं दिया। एक पेक्ट की बात राजस्व मन्त्री जी ने हाउस में कही थी उसको उसने पब्लिश किया है ; वहां क्या बहस हुई, क्या नहीं हुई, क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया उसको नहीं छापा गया है। सिर्फ यही कहा गया कि सुझाव नहीं दिया। यह स्पष्ट है कि राजस्व मंत्री जी ने कहा इस बात से स्पष्ट है कि सिलेक्ट कमेटी की प्रोसिडिंग्ज़ नोट नहीं की। इसलिये यह कन्क्लयुजन ड्रा किया गया कि राजस्व मन्त्री जी के कहने से और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हाउस के सामने पेश हो चुकी थी जिसे प्रत्येक पत्र को पब्लिसिटी देने का पूरा अधिकार था, यह खबर पब्लिश की गई। ऐसी सूरत में जो डिस्कशन नहीं छापा गया है और न राजस्व मन्त्री जी ने डिस्कशन किया। उन्होंने जो कहा वह यह है कि ऐसा सुझाव माननीय सदस्य ने कमेटी में नहीं दिया जिसके कि वे मेम्बर थे। और रूल्स ऑफ प्रोसिजर यह कहते हैं कि जो सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर हैं उन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दिया है और रिपोर्ट युनानिमस है, तो वे बोल नहीं सकते और न अमेन्डमेन्ट पेश कर सकते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—In which rule ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह परपरा है। हम हाउस ऑफ कोमन्स और पार्लियामेन्ट के कनवेन्शन्स को पेश करते है। उसमें यह है कि जो सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर हैं और जिन्होंने डिसेन्टिंग नोट नहीं लिखा है वे बोल नहीं सकते हैं और न अमेन्डमेन्ट दे सकते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ऐसा कहीं नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—Is the Hon'bee Member aware of our conventions in the House ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—You are right. I am quoting the conventions of the House of Commons and the House of the People.

श्री हरि कृष्ण व्यास—Quote. Please quote here.

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—I have given possession to the Hon'ble Member and I wish that he should not be interrupted.

(श्री हरि कृष्ण व्यास के पुनः खड़े होने पर घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am making a request.

श्री अध्यक्ष—No request.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—तो इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं कहता हूँ कि डिस्कशन का कोई रेफरेन्स माननीय राजस्व मंत्रीजी ने नहीं दिया, जो कुछ कहा उनका कन्क्लूजन था जो उन्होंने डिराइव किया क्योंकि वे सम्बन्धित मिनिस्टर हैं, वही इन्चार्ज ऑफ दी बिल हैं और वे सिलेक्ट कमेटी में भी मौजूद थे और इस हाउस में रिपोर्ट पेश हुई वह यूनोनिमस थी।

इसके अलावा मेरे लायक दोस्त ने २,३ केसेज साइट किये हैं। एक केस जो उन्होंने साइट किया है वह है " Stockdail versus Hansarta"

तो माननीय अध्यक्ष, मैं अपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूँ कि यह केस तो सिर्फ यह है कि १८४५ में हाउस ऑफ दी पीपुल और कोर्ट ऑफ जस्टिस के बीच यह झगड़ा था कि जिस चीज को हाउस ऑफ पीपुल प्रिविलेज मानता है उसको कोर्ट सजा दे सकती है। हाउस ऑफ पीपुल,

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

का कहना था कि हमारे प्रिविलेज की हम ही सजा देंगे। उसको नहीं मानते तो कोर्ट उसको प्रिविलेज मान कर सजा दे दे।

बाद में Section 4 of the law of Parliament, Papers Protection Act, बना जिसके तहत फाइनली यह तय कर दिया गया कि हाउस की इजाजत से कोई पेपर पब्लिश किया जाता है तो कोर्ट पनिश नहीं करे।

इस मौजूदा सूरत में जहां तक मैं समझता हूँ यह कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—हाउस ऑफ दी पीपुल बार बार आप कहते हैं, वह क्या है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हाउस ऑफ कोमन्स समझ लीजिये। आप तो इसी तरह के नुक्स निकालते हैं। आपकी बहस मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने लालसिंह और लाल चन्द को...

दूसरा केस आपने रेफर किया है Wason vs. Walter का। आपने इसका नाम लेकर ही हाउस के सामने रेफर कर दिया। मैं इसे पढ़ कर सुनाता हूं, दो मिनिट हाउस के लगेंगे पर वह केस मैं पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष—Page ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Page 55, Sir.

"The jugment in Wason v. Walter in 1868 was made on the principle that the publication of the proceedings, both of courts of justice and of Parliament, are protected by privilege on the same ground 'that the occasional inconvenience to individuals arising from it must yield to the general good.' A fair and faithful report of the whole debate would therefore not be actionable.

The judgment further indicated why the publication of a single speech from a debate would not be privileged- 'It is to be observed that the analogy between the case of reports of proceedings of court of justice and those of proceedings in Parliament being complete, all the limitations placed on the one to prevent injustice to individuals will necessarily attach the other; a garbled or partial report, or of detached parts of proceedings, published with intent to injure individuals, will equally be disentitled to protection.'

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

तो इस सारे जजमेंट को पढ़ने से रोशन होता है कि अगर इस प्रस्ताव की इज़ाज़त इस फोर्म में आवे कि इन्डिविज्युअल को इन्ज्योर करने के लिये था तो यह बात आती पर इसमें तो सिर्फ यह लिखा है :

मोशन एज़ सच यह है :

" That this House do discuss the breach of privilege eommitted by the 'Navyug' Daily of Jaipur in having published in its issue dated 3rd October, 1955 (at page 3)-- ..."

अखबार में पेज ४ पर है, इसमें पेज थर्ड है। अगर मैं माननीय लीडर ऑफ ऑपोज़िशन की जगह होता तो मैं यह कहता कि पेज थर्ड में कहीं है ही नहीं।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—यह असेम्बली के साइक्लोस्टाइल की गलती नज़र आती है।

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**—कुछ भी हो जो हाउस में है उसमें तो "थर्ड" ही है।

(contg.) "In having published in its issue dated 3rd october 1955, referen ce to proceedings of the Select Committee on the Land Revenue Bill and in having, in the same write-up, misquoted the Revenue Minister."

तो अगर इस केस को भी फोलो किया जाय तो इसमें भी यह नहीं लिखा है कि किसी इन्डिविज्युअल मेम्बर को, किसी परसन को इन्जर करने के लिये यह चीज छापी गई थी। तो मैं अर्ज करूंगा कि इस केस से भी यह साबित नहीं होता कि कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है।

अब जैसा कि माननीय लीडर ओफ ओपोजिशन ने बताया कि हमारी डेमोक्रेसी हिन्दुस्तान में अभी शुरू हुई है और इन छोटी छोटी...

श्री **अध्यक्ष**—इसका जवाब फिर दे देना।

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**—वह मैं अर्ज कर दूं कानून की बात तो ! कानून की बात तो नहीं समझेंगे। बाकी बात मैं अर्ज करदूं।

(हंसी, हीयर हीयर)

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ अखबार में छापा गया, जो कुछ विधान सभा में घटना हुई सही रूप से छाप दिया गया, कोई मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं था। जिस भावना से सदन के मेम्बरों को इम्प्रेस करना था, वहां प्रेस रिपोर्टर बैठे हुए थे, उनके दिमाग में जैसा इम्प्रेशन हुआ, वैसा नवयुग ने छापा। उससे किसी को इन्जरी करने की ऐसी कोई मेलाफाइड भावना नहीं थी।

ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि नवयुग के खिलाफ कोई ब्रीच ओफ प्रिविलेज एड्मिट न किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष,...

श्री अध्यक्ष—आप जवाब देना चाहते हैं ?

(श्री भैरोंसिंह के खड़े होने पर)

Does it need much discussion ?

श्री हजारीलाल शर्मा—why not ?

श्री अध्यक्ष—All right. Then the time-limit will be there.

श्री भैंरूसिंह(१६)—माननीय अध्यक्ष, अभी सदन के सामने दो प्रिविलेज मोशन प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने के लिये आये हैं। पहला प्रिविलेज मोशन जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये रखा है और दूसरा प्रिविलेज मोशन, विरोधी दल के नेता, अथवा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये रखा है।

इन दोनों प्रिविलेज मोशन्स का सम्बन्ध एक दूसरे से काफी सन्निकट हैं। इन दोनों पर विचार करने से पूर्व हमें यह सोचना पड़ेगा कि इन प्रिविलेज मोशन्स के पीछे भावना कौनसी है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद सदन की मानहानि हुई है या जिन डोक्यूमेंट्स या डिस्कशन्स का सदन में हम जिक्र नहीं कर सकते, वह जिक्र इस नीयत से किया गया है कि सदन की मानहानि हो तो अवश्य Breach of privilege होता है। परन्तु जिस दिन इस बिल के बारे में इस सदन में चर्चा हुई, जब एक माननीय सदस्य ने एतराज उठाया और सदन से मांग की कि इस बिल को वापिस सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय, उन्होंने अपनी दलील में जो बातें थीं वे सदन के सामने प्रस्तुत कीं और खास कर उन धाराओं का जिक्र किया जिनकी वजह से यह आवश्यक था कि सिलेक्ट कमेटी में पूर्णतया विचार नहीं होने के कारण

[श्री भैरोंसिंह]

वापिस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिये ताकि सिलेक्ट कमेटी दुबारा विचार करे, क्योंकि सदन में उन सब बातों पर अच्छी तरह से बहस नहीं हो सकेगी। इसका उत्तर देते हुए माननीय राजस्व मन्त्री जी ने बताया कि जिस समय इन धाराओं पर सिलेक्ट कमेटी में जिक्र हो रहा था उस समय उक्त सदस्य मौजूद थे और उन्होंने इस पर कोई एतराज नहीं किया।

मैं समझता हूं जिस ढंग से उत्तर दिया गया था, जैसी भावना उसके पीछे थी वही इस privilege motion का आधार होगी। आज इस चीज से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आज हमारा देश नव जनतन्त्रवाद में गुजर रहा है। ...

श्री अध्यक्ष—Only to the legal side. Nothing about the infancy of the democracy or so.

श्री भैरोंसिंह--बिल्कुल वही कह रहा हूं। जो कुछ परम्पराएं हम बना रहे हैं वे कैसी हैं, परम्पराएं बनाने में भावनाएं कैसी हैं, यह सब देखना पड़ेगा। जिस सिलेक्ट कमेटी के डिस्कशन का जिक्र माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने किया वहां उनके पीछे कौनसी भावना थी। मैं समझता हूं कि सदन की मान हानि करने की दृष्टि से या सिलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्स को एक्सपोज़ करने की दृष्टि से वह बात कहने को, एतराज करने की उनकी भावना बिल्कुल नहीं थी।

उनकी भावना इस बात के लिए नहीं थी कि जो कुछ सदन की सिलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्ज हों उनको एक्सपोज़ किया जावे। हम मानते हैं कि वह एक्सपोज़ नहीं की जावे और उसकी सिक्रेसी को डिस्कस नहीं किया जावे। लेकिन जहां कहीं किसी खास कारण से डिस्कशन में सिलेक्ट कमेटी की कोई बात, जिसका सिलेक्ट कमेटी की सिक्रेसी से कोई संबंध नहीं, उसका सदन में जिक्र किया जाता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि यह सिलेक्ट कमेटी के सिक्रेट डोक्यूमेंट या discussions का part है या नहीं, और जो कुछ उत्तर दियाजाता है वह उससे बिल्कुल भिन्न है या नहीं। उन्होंने केवल यही कहा कि साधारणतया जिन धाराओं का जिक्र किया जा रहा है वे सारी की सारी चीजें एक मत से तय हुई हैं। अगर उसमें कोई विरोध या उसके विरोध में कोई बात होती तो नोट ऑफ डिसेन्ट जरूर होता। नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं है वहां पर यह मानना होगा कि वह सारी की सारी एक मत से पास हुई। तो यह कहना कि उस वक्त में उसका जिक्र नहीं हुआ, यदि उसमें मत मतान्तर होते और दलीलें दी जातीं और नोट ऑफ डिसेन्ट का जिक्र होता तो मानने में आता। लेकिन डिस्कशन हुआ या नहीं यह बात डिस्कशन की सीमा को नहीं पहुँचती। एक माननीय सदस्य अपनी परम्पराओं के सम्बन्ध में कहते हैं, हमें सदन की परम्पराओं के लिए सोचना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि सदन का अपमान करने का उनका इन्टेन्शन था या नहीं? लेकिन जब हम इन्टेन्शन को देखते है तो मालूम होता है कि उनकी भावना बिल्कुल तोहीन करने की नहीं थी; केवल सूचना मात्र के लिए कहा गया कि जहां नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं था वहां पर यह कहना कि यह

[श्री भैरोंसिंह]

डिस्कस नहीं हुआ, किसी ने एतराज नहीं उठाया, वह मेलाफाइड इन्टेन्शन को साबित करता है, इसलिये Breach of privielge होता है, ठीक नहीं होगा।

दूसरा प्रश्न आता है नवयुग का। हमारे माननीय मित्र जो नीम के थाने से आये हैं उन्होंने बताया कि यह ब्रीच ऑफ प्रीविलेज नहीं है। यदि हाउस की Daily प्रोसीडिंग छप रही हों और उस पर कोई टीपा टिप्पणी करता है तो कोई ब्रीच ऑफ प्रीविलेज नहीं, लेकिन अखबार में छपती है और उसको विशेष इत्तला करने के बावजूद भी जब वह साप्ताहिक में छापते हैं और वह भी एक विशेष ढंग से अपने कमेन्ट्स के साथ, तो देखना होगा कि कहीं ब्रीच ऑफ प्रिवीलेज होता है या नहीं और क्या वह सिलेक्ट कमेटी की सिक्रेसी को expose तो नहीं करता है। पत्रकारिता के भी कुछ फर्ज होते हैं और मुख्य यह कि वे बुरे विचार से खबर नहीं छापे। लेकिन नवयुग ने अपनी साप्ताहिक की डायरी में अपने कमेन्ट्स किये हैं और उनको देखते हुए मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता के नाते ब्रीच ऑफ प्रिवीलेज किया गया है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जहां तक Breach of privilege का प्रश्न है, बीकानेर से आने वाले सदस्य ने जो पेश किया है उसको न लिया जावे और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रखा है, उनके मोशन को ले लिया जावे।

श्री नारायण चतुर्वेदी—माननीय अध्यक्ष, नवयुग के बारे में जो इजाजत चाही है उस सिलसिले में मैं अपने दो-चार शब्द कहना चाहता हूँ। असल में मुश्किल तो जो है वह यह है कि विशेषाधिकार की जो बात कही जाती है उसके सम्बन्ध में भारतीय संसद, पार्लियामेंट में अभी तक कोई नियम नहीं बने हुए हैं और यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सिलसिले में क्या किया जावेगा। हमारे यहां जो परम्परा है, उस सिलसिले में भारतीय संविधान की धारा १०५ और १०६ में इस सम्बन्ध में जो उल्लेख किया गया है वह यह है कि जब तक इस सिलसिले में कोई कानून नहीं बनाया जाय तब तक हाउस ऑफ कोमन्स की परम्पराओं के माफिक विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में एक्शन लेना चाहिये और हाउस ऑफ कोमन्स में बहुत अर्से से जो परम्पराएं चल रही हैं उनके मुताबिक समाचार पत्रों के बारे में इस प्रकार जिक्र किया गया है :

"So long as the debates are correctly and faithfully reported, however, the privilege prohibits their publication is waved" (Page 118 of May's Parliamentary Practice).

आगे चल कर इस सिलसिले में Clarendon (1826) (may's Parliamentary Practice) में उल्लेख किया गया और लिखा है "By the ancient custom of Parliament no act done at any committee should be divulged before the same be reported to the House".

[श्री नारायण चतुर्वेदी]

प्रश्न यह आता है कि नवयुग डेली ने क्या ऐसी रिपोर्ट अपने पत्र में छापी जो सही है, या वह तोड़ मरोड़ कर छापी है या मेलाफाइड इन्टेन्शन से छापी या स्पीकर ने ऐसी आज्ञा दे दी हो जिसे न छापा जाना चाहिये अथवा वह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट छापी जो हाउस के सामने पेश नहीं हुई हो। अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट नवयुग में छपी है उस पर इस सिलसिले में कोई भी बात लागू नहीं होती, जिसके ज़रिये यह कहा जा सकता है कि वह मेलाफाइड इन्टेन्शन से पब्लिश किया गया हो या अध्यक्ष महोदय ने ऐसे पोरशन को आज्ञा देकर निकलवा दिया हो उसको छापा हो या तोड़-मरोड़ कर छापा हो या बिना सदन के पेश हुए प्रवर समिति की रिपोर्ट छपी हो। इसलिये यह कहना कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ हुआ, उचित नहीं माना जा सकता है। पत्रकारिता के भी कुछ कर्तव्य होते हैं और इस सम्बन्ध में मैं आपका और माननीय सदस्य का ध्यान प्रेस आयोग की उस रिपोर्ट के बारे में दिलाना चाहता हूँ जिसमें जस्टिस Rajadhyaksh ने विशेषाधिकार के बारे में अपनी सम्मति व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ बहुत बड़ी चीज़ है और वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ तब माना जाना चाहिये जब बहुत बड़ा मामला हो। उन्होंने मजिस्ट्रेटों को आदेश दिये हैं कि छोटी-छोटी बातों का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ में समावेश करना न्यायसंगत नहीं हो सकता। असल में पत्रकारिता के भी कर्तव्य होते हैं। जिस प्रकार सदन का कर्तव्य है उसी प्रकार पत्रकारों का भी अपना महत्वपूर्ण और पवित्र उद्देश्य है। इसलिये इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों को लेना सदन के लिये उचित नहीं होगा। जनतन्त्र और जनता के हित के लिये पत्रकारों का भी कर्तव्य है कि वह जनता की भलाई करें। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि इसको स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये।

श्री किशनलाल शाह—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सब रूल (७) का हवाला दिया गया है :

"The discussions of a Select Committee shall not be disclosed by any member, nor shall any reference to such discussions be made in the Assembly."

अगर इसका एक इन्टरपिटेशन है तो यह साबित हो जाता है कि, "shall not be disclosed by any member"

इसको इसमें शामिल कर दिया जावे "By a member of this House only and not by any other body or any member or person" तो दोनों सदस्यों के लिये हो जाती है। अगर इसको अलग अलग करते हैं तो disclosure by a member and reference to discussion by member; एसेम्बली में रेफरेन्स नहीं आ जावे। एसेम्बली में वही रेफरेन्स देते हैं जो एसेम्बली के माननीय सदस्य होते हैं। यहां माननीय सदस्य के लिए जिक्र है और अखबार में छपा है उसके वे सदस्य सम्पादक हैं और इस एसेम्बली के सदस्य हैं। अगर उस कायदे में लेकर भी उन्होंने मेम्बर की हैसियत से छापा है तो कहा जा सकता है। अब सवाल है about privilege, the simple

[श्री किशनलाल शाह]

grammatical meaning of which यह है कि उनको विशेषाधिकार है। इसके दो माने होते हैं। किसी एक सदस्य को सिलेक्ट कमेटी में बैठने का अधिकार है, उस पर पाबन्दी लगी है कि वह सिक्रेसी को डिस्कस नहीं करे और यदि वह करता है तो यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ है।

और अगर मेरे मित्र ने ब्रीच किया है और उसका उल्लंघन किया है, डिस्क्लोज़ करने का दूसरों को अधिकार नहीं है और अगर वे करते हैं तो उसके सम्बन्ध में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ होगा। तो इसका डबल अर्थ है। एक उसके लिए और एक खुद में जो अधिकार निहित हैं उनको उल्लंघन करे तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ होता है। तो जहां तक सिलेक्ट कमेटी की धारा का अर्थ है, सिलेक्ट कमेटी की प्रोसिडिंग्स से सम्बन्ध है, वहां जो डिस्कशन करते हैं, उसके लिए एक विशेषाधिकार रखा गया है और एक प्रोटेक्शन लिया गया है। अगर उस प्रिविलेज़ को कोई ब्रीच करे तो यह सिलेक्ट कमेटी और हाउस की प्रिविलेज़ दोनों का ब्रीच होता है और दूसरा मेम्बर जिसको सिलेक्ट कमेटी में बैठने का अधिकार दिया गया है, वह करता है तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज़ करता है। अब 'discecssion shall not be held and reference shall not be made' लीजिये।

"डिस्कशन" और "रेफरेन्स" इन शब्दों में डिफरेन्स क्या है? जो बात छूट गई वह इसमें नहीं आती है। जो बात कही गई है वह इस माने में नहीं आती है या आती है अध्यक्ष महोदय, इसको ख्याल में नहीं रखा गया। रेफरेंस का मतलब यह हैं कि कोई व्यक्ति या सदस्य यह कहता है कि फलां फलां धारायें ऐसी नहीं हैं, ऐसी होनी चाहिये और उनमें यह संशोधन होना चाहिये और उसका उत्तर यह दिया जाता है कि सिलेक्ट कमेटी में भी यह आर्गूमेन्ट दिया गया था और यह आपने बात कही थी उसका स्पष्ट माने यह है कि that is a reference to these discussions and disclosure of those discussions.

इसलिए इन सारे मामलों को देखते हुए यह कहा गया कि यह मेलाफाइड (malafide) नहीं था या यह बोना फाइडी (bonafide) नहीं था, तो मैं यह समझता हूँ कि जहां रूल का संबन्ध है the question of motive or intention is quite irrelevant, it is purely a question of procedure.

इसलिये मेलाफाइडी था या बोनाफाइडी था, यह बिलकुल असंगत है। सवाल यह है कि there was a refeience to the discussions. There was a disclosure.

(विरोधी पक्ष द्वारा हियर, हियर)

इसलिये सिद्धान्ततः ब्रीच ऑफ प्रिविलेज था। जिस माननीय सदस्य को सिलेक्ट कमेटी में बैठने का प्रिविलेज है उन्होंने उसका (प्रिविलेज का) उल्लंघन किया है और सिलेक्ट कमेटी की प्रोसिडिंग्स को डिस्क्लोज़ न करने का जो प्रिविलेज है उसका ब्रीच हुआ है। दोनों सूरतों में यह मोशन सही है और उसकी आज्ञा दी जानी चाहिये।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय अध्यक्ष, जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है उसको पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसके दो अंश हैं। इन महत्वपूर्ण भाषणों के बाद में मैं आपके सामने एक बहुत सीधी सी युक्ति प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इन दोनों अंशों को अलग अलग करके यदि पढ़ा जाय तो उस प्रस्ताव का भावार्थ बिल्कुल स्पष्ट मालूम होता है। पहला अंश है—

"That this House do discuss the breach of privilege committed by the 'Navyug' daily of Jaipur in having published in its issue dated 3rd October at page 3 reference to the proceedings of the Select Committee on the Land Revenue Bill..." यह अंश उस उद्धरण के सम्बन्ध में है जब कि सिलेक्ट कमेटी में कोई प्रश्न उपस्थित हुआ। स्पष्टतया अब इस अखबार की उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो सदन के सामने यह प्रतीत होगा कि उसमें (अखबार में) किसी सिलेक्ट कमेटी की किसी बात के बारे में, डिस्कशन अथवा प्रोसिडिंग्स के बारे में, कोई रिपोर्ट किसी तरह पर भी नहीं है। इस युक्ति से, इस तरीके पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस अंश में कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का अथवा अन्य किसी बात का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने 'मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के सफा ५५ सन् १८६८" के एक केस का उदाहरण देते हुए यह बताया और यह दलील उपस्थित की कि इस सदन की कार्यवाही को जनता के सामने उपस्थित करने के लिये प्रिविलेज या अधिकार एक पत्र को और किसी व्यक्ति को उस हद तक है जैसा कि किसी अदालत की कार्यवाही को जनता के समक्ष उपस्थित करने का अधिकार हो सकता है। उन्होंने यह पोजिशन रखी है लेकिन इसको रखने के साथ साथ उन्होंने यह नहीं बताया, किन्तु इतना कह कर ही टाल गये कि इसमें भी ऐसा ही है, उस रिपोर्ट के किसी अंश का उद्धरण करके उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें कौनसा अंश ऐसा है जो कि कोर्ट की प्रोसिडिंग्स छापी जा सकती है, उससे किस तरह एक्सीड करता है। यह मैं आपके सामने दो पोइन्ट्स पहले अंश के बारे में उपस्थित करता हूँ।

अब दूसरा जो है वह यह कि "in having in the same writeup mis-quoted the Revenue Minister."

मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक पत्र को यह अधिकार है, व्यक्ति को अधिकार है, पत्र को भी यह अधिकार है कि किसी को quote (कोट) करे और उसको misquote मिस्कोट करे। उसे misquote (मिस्कोट) करने में उसका कुछ ध्येय हो सकता है जब कि उस ध्येय को इस तरह से नहीं बनाया जावे कि जैसा कि नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि उसका अभिप्राय मानहानि करने का था, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का था, किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुँचाने का था। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर को किसी तरह का नुकसान पहुँचाने का अथवा कोई मानहानि करने का यदि नवयुग का अभिप्राय था तो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर आपत्ति कर सकते थे। माननीय सदस्य ने रेवेन्यू मिनिस्टर की मानहानि को अपनाने की कोशिश की है उस मानहानि के सम्बन्ध में इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि दूसरा प्रस्ताव जो विरोधी दल के,

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

माननीय नेता ने उपस्थित किया है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ पढ़ने पर यह प्रतीत होता है कि यह एक तरह का कन्सर्टेड एक्शन(concerted action) था।

(विरोधी पक्ष द्वारा हियर, हियर)

उस कन्सर्टेड एक्शन को विचार में रखते हुए देखा जावे, एक तरफ एक माननीय सदस्य यह कहे कि एक माननीय सदस्य ने प्रिविलेज़ को ब्रीच किया है, दूसरी तरफ यह कहा जाय कि उस माननीय सदस्य की, उस माननीय मंत्री की मानहानि हुई। ये दोनों बातें हमारे समक्ष रहती हैं। यहां मेरा अभिप्राय यह प्रश्न उपस्थित करने का है कि दूसरे अंश में कहा है 'and in having in the same writeup misquoted the Revenue Minister.' मिस्कोटेशन को भी सदन के सामने उपस्थित नहीं किया कि इससे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ हुआ। ऐसी स्थिति में इन दोनों ही प्रस्तावों को सदन के सामने उपस्थित करने की अनुमति देना कानून के माफिक नहीं होगा।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, १०.४० बजे पदासीन)

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, आज मेरी तबीयत अलील होते हुए भी सदन के अन्दर जिस प्रकार के प्रस्ताव जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने और माननीय विरोधी दल के नेता ने रखे हैं उनके बारे में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—I believe there will be another breach of Privilege.

कुं० श्री जसवंतसिंह—इनके सपोर्ट में ?

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जरा सब्र रखिये। पहले मैं अपनी बात कहूँगा उससे आप पता लगा सकेंगे कि मैं सपोर्ट करता हूँ या विरोध। मैं यह समझता हूँ कि जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रस्ताव माननीय विरोधी दल के नेता ने रखा है उसको तो मैं एक ऐसी चीज़ मानता हूँ जो बिल्कुल निराधार सी है। इस प्रस्ताव के गहरेपन में जाकर देखा जाय तो मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार की छोटी बातों को लेकर इस प्रकार के प्रस्ताव रखे जायेंगे तो सदन में जितने ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने किये हैं उतने किसी ने नहीं। यहां तक कि पब्लिक अकाउन्टस कमेटी की प्रोसीडिंग्ज तक उन्होंने अखबारों में छपवा दी हैं और अपने हाथ पैर बचाने की कोशिश की है। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो प्रस्ताव रखा उसका अगर समर्थन वे करते हैं तो यह कह देना चाहता हूँ कि उनके लिये इस सदन में बोलना तो दूर रहा बातचीत करना भी खतरनाक हो जायगा इसलिये मैं यह मानकर चलता हूँ...

श्री एच. के व्यास—If the challenge is accepted let him accept the challenge.

श्री मानसिंह मद्दार—(जारी) मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ बातें माननीय राजस्व मंत्री ने इस सदन में कहीं उस समय हम सब लोग उपस्थित थे; बुरे इन्टेन्शन से या बुरी नीयत से उन्हों ने नहीं कहीं और न किसी सदस्य को डिफेम करने के लिये ही कहीं। मैं यह मानकर चलता हूँ कि उन्होंने जो कुछ बातें कहीं वे एक रेफरेन्स के तौर पर कहीं।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

नीम के थाने से आये हुए माननीय सदस्य ने यह बात कही कि कन्वेन्शन कहां लिखा हुआ है वे खुद इस बातको जानते हैं, कलेजे परहाथ रख कर देखें तो उनको पता चलेगा कि कनवेन्शन पार्लियामेन्ट का क्या है। उसके अनुसार वे तसलीम करेंगे कि सिलेक्ट कमेटी का हर मेम्बर इस बात की ताईद करेगा। सिलेक्ट कमेटी की कार्यवाही पर यदि नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं देता है तो उसके बारे में इस सदन के अन्दर बोलने और उसके अन्दर किसी प्रकार का मोशन रखने का अधिकार उन माननीय मेम्बर को नहीं रहता है। लेकिन जोधपुर से आये हुए मेरे मित्र ने पार्लियामेन्टरी कन्वेन्शन भंग किया, इस सदन के अन्दर अन हेल्दी बातें कहीं हैं और सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर होते हुए भी ऐसा मोशन मूव किया है। उनको इस सदन की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये ऐसा नहीं करना चाहिये था। इस बात को मानते हुए और यह समझते हुए भी विरोधी दल के नेता ने जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य के कहने के मुताबिक यह प्रस्ताव रखा है ...

कुं० श्री जसवंतसिंह—Not at all. I moved it of my own accord.

श्री अध्यक्ष—That is the impression of the hon'ble member.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—The whole House, Sir.

श्री मानसिंह मद्दार—(जारी) यह फेक्ट है। एक मोशन जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने दिया, दूसरा एक मोशन विरोधी दल के नेता ने दिया, यह बात गलत नहीं। ऐसी सूरत में मैं यह मानता हूँ विरोधी दल के नेता का जो मोशन है वह तो ब्रीच ऑफ प्रीविलेज पर स्टेन्ड ही नहीं कर सकता।

इस तरह की छोटी छोटी बातों को हम प्रीविलेज कमेटी को रेफर करने लगेंगे तो सदन के सदस्यों सोचना चाहिये कि उनके लिये बहुत मुश्किल हो जायगी कि सदन के अन्दर किस तरह क्या किया जाय।

[श्री मानसिंह मंहार]

नवयुग के बारे में जो कुछ बातें कहीं गई हैं उस पर माननीय अध्यक्ष, मैं यह दिवेदन करूंगा कि जो मोशन है और जिस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया है उस सूरत में मैं यह मानता हूँ कि नवयुग के खिलाफ इस प्रकार की कोई बात साबित नहीं हुई। दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य की तरह से दों बातें कहीं उनसे जरूर कुछ बातें मालूम होती हैं। मैं यह समझता हूँ कि वे बातें सत्य नहीं हैं। मैं यह मान कर चलता हूँ ऐसे मोशन्स सदन को रिजेक्ट कर देने चाहिये अर्थात् इसकी एडमिसिबिलिटी को माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा रिजेक्ट किया जाना चाहिये और इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह अपना निजी मामला है।

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, यह प्रिविलेज का मोशन जो सदन के समक्ष पेश किया गया है वह मेरे २६ सितम्बर को इस सदन में दिये गये स्टेटमेन्ट के बारे में है और उसी के बेसिस पर है और जो पोइन्ट्स माननीय विरोधी दल के नेता ने रखे हैं वे यह हैं।

"(1) Shri H. K. Vyas was present in the Select Committee while the clauses in respect of Rent Rates and village ofiicers were under discussion.

(2) Shri H. K. Vyas did not raise any such point in the Select Committee.

(3) Shri .H. K. Vyas on the contrary gave his consent to the present draft of the clauses."

I am just reading from the motion moved otherwise Shri and hon,ble member may be presumed. I am reading from a cppy of the letter received from the Leader of Opposition.

कुं० श्री जसवंत सिंह—मैंने जो चिट्ठी अध्यक्ष महोदय को लिखी थी वह पढ़ रहे हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास—यह इसलिए कि इसमें आपने श्री नहीं लगाया, I should not add माननीय अध्यक्ष, जिस बिना पर यह प्रिविलेज मोशन पेश किया गया है उसके लिए यह आवश्यक है कि मैंने २६ सितम्बर को जो बातें कहीं इससे सम्बन्धित पोर्शन्स पढ़ दिये जांय। मैंने उस रोज यहां यह बताया कि :

"श्री एच० के० व्यास प्रवर समिति के सदस्य थे। जिस वक्त रेन्ट रेट डिटरमिन करने को और विलेज सर्विसेज की दोनों सेक्शन्स पर विचार किया और सिलेक्ट कमेटी ने फैसला किया था तो

[श्री दामोदरलाल व्यास]

वे वहां मौजूद थे और उन्होंने किसी तरह के समाजवादी ढांचे का या कम्युनिस्ट ढांचे का सुझाव पेश नहीं किया और उनकी पूर्ण सहमति से दोनों सेक्शन्स प्रवर समिति ने पास किये थे ।"

रूल्स ऑफ प्रोसिज़र एन्ड कडक्ट ओफ बिजिनेस के रूल १३१ के सब क्लॉज़ ए के अन्दर यह साफ दर्ज है कि "Discussions of a Select Committee shall not be diseclosed by any Member nor shall any reference to such discussions be made in the Assembly."

रूल १३१ के अन्दर जो वार्डिंग्ज हैं और जिन पर डिस्कशन चालू हुआ है उसमें तीन बातों पर एतराज किया गया है ।

पहली बात यह है कि श्री एच० के० व्यास अमुक तारीख को वहां पर मौजूद थे, यह डिस्कशन में नहीं आता ।

दूसरी बात यह कि श्री एच० के० व्यास ने कोई अमेंडमेंट या सुझाव पेश नहीं किया ।

तीसरी बात यह है कि उनकी सहमति और राय से सिलेक्ट कमेटी ने यह क्लॉज़ पास किया ।

इन बातों में जाने से पहले सिलेक्ट कमेटी के मैंने जो तीन पोइन्टस रखे आया वे डिस्कशन्स की तारीफ में आते हैं या नहीं; रूल्स ऑफ प्रोसीज़र में 'डिक्शन' शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए 'डिस्कशन' शब्द की डेफीनेशन क्या है इसके लिए हमें डिक्शनेरी में जिस प्रकार इस शब्द को डिफाइन किया गया है उसको देखना पड़ेगा । माननीय अध्यक्ष, वह इस प्रकार है:—

Litrally the word "discussion" derived as it is from the Latin word 'discussis' meaning a shaking or examination, signifies an act of examining-an argumentative treatment of a topic-an argument by presenting the various sides of a topic. To 'discuss' is to sift or examine by presenting considerations pro and con (vide Webster's New International Dictionary, 2nd Ed., p. 746, Col. 1.).

तो माननीय अध्यक्ष, जहां तक डिस्कशन का सम्बन्ध है वहां तक मैंने सिलेक्ट कमेटी में किसी एक सदस्य द्वारा जो आर्गुमेन्ट्स पेश की गई, जो दलीलें दी गईं या बहस की गईं उसका जिक्र मैंने अपने भाषण में नहीं किया । सिर्फ मैंने अपने भाषण में यह बतलाया कि एक अमुक सदस्य वहां उपस्थित थे जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई । यह कहना किसी हालत में डिस्कशन को डिस्क्लोज़ करने की केटेगरी में शुमार नहीं हो सकता । मैंने यह भी बताया कि कोई अमेंडमेंट उन्होंने पेश नहीं किया । इसके लिये अर्ज करना चाहूंगा कि जहां तक अमेंडमेंट पेश करने का प्रोसीजर है वह प्रोसीजर इस सदन का और सिलेक्ट कमेटी का भी दोनों का एक ही है । इसके लिये मैं चाहूंगा कि आप रूल १३१ के सब रूल (२) को मुलाहिजा करेंगे तो मालूम हो जायगा कि वहां भी अमेंडमेंट पेश करने का वही प्रोसीजर है जो प्रोसीजर सदन में अमेंडमेंट पेश करने का है । यानी

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जिस या जिन सदस्य या सदस्यों को सिलेक्ट कमेटी को कोई सुझाव देना होता है, किसी खास सेक्शन में या क्लॉज़ पर तो उनका यह कर्त्तव्य है कि वे एक रोज पहले अपना वह सुझाव भेज दें। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि उन्होंने ऐसा कोई सुझाव इस प्रोसीजर के मुताबिक सिलेक्ट कमेटी में नहीं दिया और इसका मतलब साफ है कि इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट उन्होंने नहीं भेजा जो उन्हें भेजना चाहिये था।

तीसरी बात यह कही कि उनकी सम्मति से या उनकी राय से ये क्लॉजेज़ पास हुए। तो यह तो एक कन्क्लूज़न है और वह यह जो रिपोर्ट है उससे ज़ाहिर होता है, जो रिपोर्ट कि पब्लिश हो चुकी है और जो सदन में प्रस्तुत की जा चुकी है, यह इससे साफ ज़ाहिर है कि जितने भी सदस्य थे उनकी यूनानिमस राय से यह पास हुआ और इसमें श्री एच के व्यास या अन्य सदस्य का मिनिट आफ डिस्सेन्ट भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई डिस्कशन के डिस्क्लोज़ होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं बहुत अदब के साथ में, माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने डिस्कशन का कोई डिस्क्लोजर नहीं किया और उनके लिये मैंने किसी प्रकार का कोई रेफेरेन्स भी नहीं दिया। सिर्फ मैंने जो कुछ कहा है वही कहा है कि जिसका उपयोग करना इस रूल के कतई प्रतिकूल नहीं है। और अगर जो कुछ कॉन्क्लूजन के बारे में मैंने कहा उसको भी अगर नहीं कहा जाने की मन्शा इस रूल की होती तो इस रूल में यह प्रोवीजन होता कि सिलेक्ट कमेटी की कोई भी प्रोसीडिंग का रेफेरेन्स नहीं दिया जा सकता।

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—यह है इसमें "Nor shall any reference be made of the discussions."

श्री **दामोदरलाल व्यास**—यह नहीं है, डिस्कशन का जिक्र है। तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जानना जरूरी है कि distinction between 'proceedings' and 'discussions' and 'conclusions' we must make. इसमें क्या अन्तर है? इसमें खाली महज डिसकशन शब्द लिखा है। इसमें लफ्ज़ प्रोसीडिंग्स होता तो माननीय सदस्य का एतराज किसी हद तक विचारने लायक हो सकता था।

श्री **कपिलदेव**—ये बारीक बातें हैं साहब।

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—मोटी बातें हैं।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—आपके लिये मोटी हैं, मेरे लिये तो बारीक हैं। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि रूल १३१ डिस्कशन्स के लिये मना करता है, न कि प्रोसीडिंग्स के लिए। तो यह जो दलील माननीय विरोधी दल के नेता ने दी है यह सही नहीं है।

अब रहा सवाल इस बात का थर्ड पोइन्ट जो मैंने यह कहा कि उनकी सम्मत्ति से, उनकी राय से ये क्लॉजेज़ पास हुए, तो मैंने यह कभी भी नहीं कहा है कि जो क्लॉजेज़ प्रवर समिति की रिपोर्ट के अन्दर जिन शब्दों में है यह उनकी राय थी। प्रिन्सिपल या सिद्धान्त उस क्लॉज़ में है उनमें उनकी सम्मति थी, यह कहना बिल्कुल सही था; जिन सिद्धान्तों या प्रिन्सिपलों पर उन क्लॉज़ेज़ में उनकी राय थी। इसका मतलब यह था कि जो डिसीजन हुआ जो डिसीजन सिलेक्ट कमेटी ने लिया उससे मेरा मतलब यह था, उसके डिस्कशन से मेरा मतलब कोई नहीं था। उनमें यही कहा कि अमुक की राय थी या यूनेनिमस था। इसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कोई नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हियर हियर। आइन्दा सावधान रहियेगा। (हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, अब मैंने जिस प्रकार की मेरी स्पीच थी उसके लिये सबको अर्ज कर दिया है कानून की दृष्टि में। इसके अलावा मेरा कोई इन्टेन्शन भी नहीं था, किसी प्रकार का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करने का। तो जो मुझे अर्ज करने का था वह मैंने कर दिया है और फिर अन्त में यही निवेदन कर रहा हूँ कि मामला ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नहीं है और कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ भी नहीं है।

और साथ ही यह भी अर्ज कर दूं कि नवयुग के मुतल्लिक जो मामला पेश किया है उसमें भी जो शब्द मैंने कहे हैं वे ही नवयुग ने क्वोट किये हैं। उस दिन की प्रोसिडिंग भी देख ली जावे। उन्होंने न अपनी तरफ से बात बढ़ाकर कही और न कम करके कही, जो वास्तव में बात थी वही उन्होंने कही।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपकी मानहानि तो नहीं हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं हुई, बिलकुल मेरी मान-हानि।

(श्री एच० के० व्यास के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—The hon'ble Member has no right of reply.

श्री हरि कृष्ण व्यास—The word 'discussion' may be interpreted if the Hon'ble Speaker gives his permission.

श्री अध्यक्ष—The point has been sufficiently debated.

श्री हरि कृष्ण व्यास—The word 'discussion' has been interpreted only in a particular way.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member can repose confidence in me while the interpretation about the words 'discussion', 'proceedings', 'decisions' etc. is considered. I think there is no end to the debate. If the hon'ble Member wants to throw some special light on the subject, I will welcome him.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—As for the confidence, Sir it can be reposed only in Marshal Bulganin.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Atleast not in the Member from Neem-ka Thana.

श्री अध्यक्ष—So in Hindi or in English.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—फैसला तो मातृभाषा में ही होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इतनी बहस की गई जिस मुद्दे पर, वह इतने महत्व का और रोचक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं चाहता था कि इसके ऊपर मैं लिखित रूप से अपने विचार सदन के सदस्यों के समने प्रकट करता। तो लिखित रूप से करूं कल?

श्री गुलाबचंद कासलीवाल—जैसा माननीय अध्यक्ष को उचित प्रतीत हो।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—All right. Hear and now.

ये दोनों जो विशेषाधिकार के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए वे इतने अन्योन्याश्रित हैं कि जिनको एक साथ ही लेना उचित होगा।

जो प्रस्ताव कुं० श्री जसवन्तसिंहजी ने प्रस्तुत किया है वह श्री दामोदरलाल जी व्यास द्वारा राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ की प्रवर समिति की रिपोर्ट के कुछ अंश ता. २९ सितम्बर, ५५ को सभा भवन में अपने भाषण के दौरान में प्रकट करने के कारण, पर आधारित हैं और उस पर सदन में जो वाद विवाद हुआ उसकी कार्यवाहियों को एक पत्र में प्रकाशित करने के बारे में श्री हरिकृष्ण व्यास ने दूसरा प्रस्ताव रक्खा है।

प्रश्न यह है कि जो सदन की आज्ञा से प्रवर समितियां बनती हैं, उनकी रिपोर्टें जब अन्त में सदन के सामने प्रस्तुत कर दी जाती हैं तो वे किनकी सम्पत्ति रहती हैं? वे स्पष्टतया सदन की सम्पत्ति हैं।

(सरकारी पक्ष से "हियर हियर" की आवाज)

[श्री अध्यक्ष]

और सदन के माननीय सदस्य उन वाद-विवादों और विचारों से अपने आपको तैयार करके, सदन के सामने अन्तिम रूप से उस रिपोर्ट पर विचार करते हैं और विधेयक पर अपनी राय देकर उसे पारित करते हैं।

अब देखना यह है कि ऐसे प्रतिबन्ध, जिनकी एक झलक हमें अपनी प्रक्रिया (नियमावली) के नियम १३१, उपनियम (७) में मिलती है वह क्या है? स्पष्टतया इसको अगर देखा जावे, इसको अगर पढ़ा जावे तो एक मुगालता हो सकता है।

कोई भी सदस्य यदि सिलेक्ट कमेटियों के वादविवाद को सदन में प्रकट करे और उनका हवाला दे, और वे ऐसे रूप में हों वादविवाद कि जो कि नहीं प्रकट होने चाहिए तो उनको एक रूप से, विशेष रूप से, विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जा सकता है; किन्तु जब हम प्रस्तुत विषय को देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जिससे कि विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया गया तो मैं वे शब्द जो उन्होंने कहे दोहराना उचित समझूंगा।

"श्री एच० के० व्यास इस प्रवर समिति के सदस्य थे। जिस वक्त रेट डिटर्मिन करने की और विलेज सर्विसेज की दोनों सेक्शन्स पर विचार किया गया और सिलेक्ट कमेटी ने फैसला किया था तो उस समय वे वहां मौजूद थे और उन्होंने किसी तरह के समाजवादी ढांचे का या कम्युनिस्ट ढांचे का सुझाव पेश नहीं किया।"

तो मैं यह कहूँगा कि जो हवाला उन्होंने दिया है वह किसी वादविवाद का प्रतीक नहीं होता है, किन्तु उस सिलेक्ट कमेटी की जो नकारात्मक चीज़ है, निगेटिव साइड है, उसका उन्होंने हवाला दिया है। मैं कभी २ यह विचार किया करता हूँ कि जो परम्परा हम डाल रहे हैं उसके बारे में कि इतनी बड़ी सिलेक्ट कमेटी बना देने के बाद और उनमें माननीय सदस्य भाग लेते हैं और भाग लेकर इतने समय तक विचार करने के बाद में जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने आती है तो फिर वही माननीय सदस्य जो कि सिलेक्ट कमेटी में थे फिर इस रूप से सामने आते हैं जैसे कि वह सिलेक्ट कमेटी में थे ही नहीं। (हियर, हियर) तो आखिरकार उन सिलेक्ट कमेटियों से काम कराने का जो मुख्य उद्देश्य इस सदन का है वह सारा का सारा चला जाता है। तो माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया और इस नकारात्मक बात की ओर संकेत दिलाया (किया) कि यह सारा मुद्दा जो कि इस वक्त उठाया जा रहा है वह सिलेक्ट कमेटी में नहीं उठाया गया, तो मैं समझता हूँ कि वह वादविवाद की ओर संकेत नहीं था, किन्तु इस बात की ओर संकेत था कि जो बात सिलेक्ट कमेटी में नहीं हुई थी उसकी तरफ संकेत था। (राज्य पक्ष की ओर से हियर, हियर)। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस मेरे ओब्जर्वेशन के साथ जो एक प्रस्ताव है, उसके बारे में मेरा निर्णय स्पष्ट हो गया है।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरा प्रस्ताव नवयुग के बारे में है। अब उसके विषय में हमें यह मानकर चलना होगा कि यदि किसी समय हाउस ऑफ कोमन्स ने अपनी कार्यवाहियें किसी बन्द कमरे के अन्दर की हों और जिनका निर्णय केवल स्पीकर ही किंग के पास ले जा कर देता था; उस समय सदन की कार्यवाही को शायद प्रकाशित करना एक जुर्म होता था। लेकिन इस वक्त हाउस ऑफ कोमन्स और प्रेस का आपस का क्या संबंध है; हमें उन बातों का विचार करना होगा, और हमारे नवजात इस जनतन्त्र के अन्दर जो हम यहां वादविवाद कर रहे हैं, उसका और प्रेस का कितना सम्बन्ध है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। यह स्पष्ट है कि हम, जैसा कि कई विधान सभाओं के अध्यक्षों ने इस बात को कहा है कि प्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वे इस सदन के सदस्य न होते हुए भी हम उनके साथ इस स्तर का व्यवहार करते हैं जैसे कि वे इस सदन के सदस्य हों और हम चाहते हैं कि जो भी हम डेमोक्रेसी में अपना निर्णय करें, अपने आपस के डिस्कशन से, आपस के वाद-विवाद से और आपस के विचार-विनिमय से निर्णय करें, उनका अधिक से अधिक प्रकाशन हो जिससे कि विचार विनिमय में कहीं कोई त्रुटि हो तो वह सामने आये और उस विषय में जैसा कि एक माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया कि विशेषाधिकारों को सीमित करने का प्रश्न और प्रेस के कितने उसमें विशेषाधिकार आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इस बारे में एक अर्से से वादविवाद इस देश में चल खड़ा हुआ है।

इसीलिए एक प्रेस आयोग, कमीशन, की स्थापना हुई थी। तो जो कार्यवाही इस सदन में होती है उन कार्यवाहियों को प्रकाशित करने के बारे में क्या २ सीमाएं हैं और क्या २ उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, उनके बारे में बहुत स्पष्ट राय बनाई गई है और वह यह है कि जैसा कि अभी बतलाया गया है उसके लिए मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर सकता कि कुछ बातें हैं, जो कि एक बहुत बड़े वैधानिक गिलवर्ट केम्पेन हैं, उन्होंने इस बारे में कहा है। वह मैं माननीय सदस्यों को पढ़ दूं—"The notions of the House of Commons have now changed entirely since the days when the debates were not allowed to be published. So long as the proceedings are faithfully reported, the orders which prohibit are not enforced but when they are reported malafide, the publishers or newspapers are liable to punishment."

तो इस प्रकार से चार प्रतिबन्ध समाचार पत्रों पर लगाये गये हैं और उन चार प्रतिबंधों के अन्तर्गत किसी भी लेजिस्लेचर की रिपोर्ट या पार्लियामेन्ट की रिपोर्ट प्रकाशित कर सकते हैं।

पहले प्रतिबन्ध में बतलाया गया है कि, "Newspapers are not free to publish any part of the proceedings which offends against the law of the land."

दूसरे में "They are not free to publish any part of the proceedings which by the order of the Presiding Officer has been expunged."

[श्री अध्यक्ष]

तीसरा है, "They are not free to report the proceedings of the Select Committees of the House and these come up before the House."

चौथा, "The resolutions, questions and motions cannot be published before they are admitted by the Chatr or brought before the House."

तो ये प्रतिबंध हैं और मैं समझता हूँ कि इन प्रतिबन्धों के साथ हम इन सारी बातों को देखें और अपने इन नियमों को देखें तो कोई खास ऐसी बात नहीं मालूम देती और मैं यह भी माननीय सदस्यों को सूचित करदूं कि इस प्रकार के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एन्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस बहुत सी विधान सभाओं में नहीं हैं। एक या दो में यह नियम रख दिया गया है, तो ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूँ कि यह जो 'नवयुग' के खिलाफ मोशन आज आया है वह मेरी राय में चलने योग्य नहीं है और यदि है तो वह तुच्छ है और उसको हम किसी भी हालत में मेलाफाइड नहीं कह सकते। इन मेरे कुछ वाक्यों के साथ मैं इन दोनों मोशन्स को जो कि प्रस्तुत किये गये हैं प्रस्तुत करने की अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करता।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

सदन में भविष्य के कार्य-क्रम सम्बंधी वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—Should we suspend our legislative Business and come to the next ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—I have got a point of order. जो ऑर्डर पेपर प्रकाशित हो जाता है और माननीय सदस्यों को भेज दिया जाता है वह जहां तक हो सके कायम रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—That business too will come before the House.

कु० श्री जसवन्तसिंह—It will come up, लेकिन फिर ऑर्डर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होगा ? उसको एडहियर (adherr) करना चाहिये। ऐसा कोई खास एक्सेप्शन करना हो तो मुझे एतराज नहीं। सब बातें एक दम नहीं होनी चाहिये।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय......

(श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री, के बोलने को खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—When the leader stands......

श्री मोहनलाल सुखाडिया—लिस्ट ऑफ बिजनेस के बारे में अभी आपने कहा। मैं निवेदन करूंगा अभी कुछ समय के लिये हम इस पर डिस्कस करलें फिर इसको हम कल ले सकते हैं क्योंकि इस में एक ऑर्डिनेन्स है जिसको पास करना आवश्यक होगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पहले उसे ले लें जो ज़रूरी है।

श्री अध्यक्ष—Those Ordinances will have to be passed by the House before we adjourn the Session.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—They may be taken if they are so important.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी कल का और समय है।

श्री अध्यक्ष—So the hon'ble members would like to meet on the 15th.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—Yes, Sir.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सर्व पित्र श्राद्ध के दिन हम हिन्दु होकर भी, धार्मिक विचारों को छोड़ कर इन बातों के लिये यहां चले आवें, यह सीरियस बात है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—मैं समझता हूं कि क्योंकि हमें सेकन्ड फाइव इयर प्लान का काम करना है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि श्राद्ध भी करलें और उस पर भी डिस्कशन करलें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वह तो मौन धारण करने का दिन है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—फाइव इयर प्लान सब श्राद्ध कर देगा।

श्री वेदपाल त्यागी का, श्री मथुरादास माथुर के आचरण की जांच करने सम्बन्धी समिति की नियुक्ति विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—For the time being we suspend Legiulative Business and take up the next item on agenda; the motion which wes tabled by Shri Vedpal Tyagi, Just I have done in the case of these two motions, I would like to hear about the admissibility of this motion also.

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय,……

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—When the leader stands other members should sit.

(श्री वेदपाल त्यागी के बैठ जाने के पश्चात्)

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री त्यागीजी ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके सम्बन्ध में पहले भी, पिछले सेशन में भी कुछ वाद विवाद हुआ था और मैंने उस वक्त जाहिर किया था कि उस पर कोई इन्क्वायरी कमेटी या दूसरी कमेटी कायम करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी भी मैंने जांच की उसको देखते हुए। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि श्री मथुरादास जी ने एज़ ए मेम्बर ऑफ दी एसेम्बली कोई ब्रीच ओफ प्रिविलेज या और कुछ किया है इस प्रकार की बात मेरी निगाह में नहीं है। लेकिन फिर भी ४ अक्टूबर को विधान सभा के कार्य के लिये जो परिपत्र प्रसारित किया गया था उसमें इसको एडमिट कर लिया गया था और उसके लिये तारीख तय करने की बात बाकी थी। यहां पर भी मेरा यह ख्याल है कि शायद ४ अक्टूबर को माननीय त्यागी जी ने यह मांग पेश की थी कि इस पर कब विचार किया जायेगा। मैंने निवेदन किया था कि ६ अक्टूबर को उस पर विचार किया जाय। माननीय अध्यक्ष ने यह फरमाया था कि अगले हफ्ते में या उसके बाद इसको विचार के लिये यहां रखा जायगा। मै इस समय इसके मेरिट्स या लीगल आस्पेक्ट्स या और किसी चीज पर न जाता हुआ, क्योंकि यह एक सदन के माननीय सदस्य के कंडक्ट का प्रश्न है और काफी लम्बे अर्से से यह चलता हुआ आ रहा है, मैं समझता हूं हम इसकी एडमिसिबिलिटी पर वादविवाद करें, उसके बजाय जो पहले नोटिस निकला है; अध्यक्ष महोदय ने यह फरमाया है और जब इस पर विचार करना ही है तो फिर वादविवाद में न पड़कर हम इसे एडमिटेड समझ कर आगे बढें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Mr. Chairman, Sir……sorry.

Mr. Speaker, Sir, I have got some constitutional difficulties in regard to these and I have to say a few words.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is influenced by the association of the Chairman who sits by his side.

(हियर हियर).

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह पार्लियामेंटरी पद्धति है कि जब जब किसी खास सूरत में जो हमारी पार्लियामेन्टरी कमेटीज़ बनाई जाती हैं उनके अलावा एडहोक कमेटीज़ भी

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

सदन द्वारा नियुक्त की जाती हैं और ये एडहोक कमेटीज़ किसी विशेष बात को लेकर नियुक्त की जाती हैं। सीधी सी बात के लिये हमारे रूल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में प्रोवीजन किया जाता है इसलिये विशेष समितियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज के विषय के लिये एक विशेष कमेटी की नियुक्ति करने का प्रस्ताव एक माननीय सदस्य ने पेश किया है और वह एक बहुत ही उच्च कोटि के दूसरे माननीय सदस्य के आचरण के मुतलिक है इसलिये माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कहूंगा कि वह बिल्कुल दुरुस्त है और एक सही कदम है, लेकिन जहां तक मैं इन बातों की जानकारी रखता हूं ऐसी एडहोक कमेटी दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पेश न करके सदन के नेता द्वारा ही इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के सामने रखा जाता है। लेकिन ऐसी एडहोक कमेटीज़ नियुक्त करने का जब तय हो जाता है उसके पहले कुछ प्रिलिमिनरीज़ या उसके पहले कुछ ऐसे कार्य करने अनिवार्य हो जाते हैं जिसके बगैर इस प्रकार की कमीटीज़ नहीं नियुक्त की जा सकतीं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह प्रणाली भी हमें पाश्चात्य देशों से और खास कर मदर ऑफ पार्लियामेन्ट्स या जिसे संसदों की माता का रूप दिया जाता है, विलायत की पार्लियामेन्ट, अपनानी पड़ती है या हम प्रायः उसकी नकल करते हैं और हमारे संविधान में भी ऐसा ही लिखा है कि जब तक हम अपने खुद के रूल्स नहीं बनालें तब तक हम उनका अनुकरण कर लेंगे। तो इस प्रकार की एडहोक कमेटी नियुक्त करने का सवाल सदन के सामने आया है। मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन के लिये वाजिब नहीं होगा कि ऐसी कमेटी की नियुक्ति करें जब तक कि कुछ प्रारम्भिक काम नहीं कर लिया जाय और उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जब कभी माननीय सदस्यों के लिये किसी विधान सभा, किसी संसद या हाउस ऑफ कोमन्स के माननीय सदस्यों के आचरण के प्रति कोई एडहोक कमेटी नियुक्त करने का सवाल आता है तो यह अनिवार्य होता है कि कुछ प्रारम्भिक काम किया जाय।

वह प्रिलिमिनरी काम क्या है अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि एक पुस्तक है जिसे कहते हैं, 'Study of practice and procedure on the Conduct of a Member.' उसके पेरा ११ ओन पेज ४ की ओर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह जरूरी हो जाता है कि इतने प्रतिष्ठित माननीय सदस्य के आचरण का सवाल जब सदन के सामने आवे तो उस पर अच्छी तरह से सदन गौर करे। वे एक ऐसे सदस्य हैं जो मेरे परम मित्र हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह सवाल तय हो जाय ताकि पता चले कि गलती कहां तक है ? तो पैरा ११, कमेटी ओफ कंडक्ट ऑफ मेम्बर, स्टडी ओन प्रेक्टिस एन्ड प्रोसीजर में यह बिल्कुल साफ लिखा है कि जब एडहोक कमेटी नियुक्त हो उससे पहले कार्यवाही की जाय।

और मैं यह जानना चाहूँगा, मुझे मालूम नहीं है, कि यह प्रारम्भिक कार्यवाही कर ली गई है या नहीं ? नहीं की गई है तो कमेटी मुकर्रर करने का डिस्कस करने का सवाल इस समय पैदा नहीं होता। यह कार्यवाही होना जरूरी है इससे पहले कि सदन में इसकी बहस की जाय।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

"The Speaker is the guardian of rights and privileges of the House, the Members and Committees thereof satisfies himself that before a motion of this character is brought in the House, the evidence, explanation of the member and such other facts as are relevant to the case are conclusive for further investigations of the matter by a Parliamentary Committee and it is only after he has applied his mind to the fullest possible extent and come to his own coclusion that he allows such a motion being placed on the order paper. Then again he ensures that the motion is drawn up in proper terms so that there is no defect in the procedural machinery."

माननीय अध्यक्षजी यह बात इतनी स्पष्ट है और इतनी साफ है कि इस पर मतभेद कभी हो नहीं सकते। वैसे इस पार्लियामेंटरी हिस्ट्री में जहां तक मेरी जानकारी है दो केसेज़ पार्लियामेंट की लाइफ में आये हैं। एक तो इंगलैण्ड में बूथबे का १९४० में। मि० बूथबे (बूथ) संसद के, पार्लियामेंट के मेम्बर थे। उस पर विचार किया गया तो पहले स्पीकर ने जो अध्यक्ष कहलाते हैं, उन्हें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करनी पड़ी और उनको संतोष हो गया कि प्राइमाफेसी केस होता है तो संसद में लाया गया था।

हिन्दुस्तान में भी इसी प्रकार का केस हमारी संसद के सामने आया और वह आया मुद्गल का। वे हाउस ऑफ दी पीपुल के सदस्य थे। उनके आचरण के मुतल्लिक कुछ इन्क्वायरी की आवश्यकता पड़ी। उस वक्त भी माननीय अध्यक्ष जो थे हाउस ऑफ दी पीपुल के उनके सामने यह समस्या आई और उन्होंने प्रारम्भिक कार्यवाही की। जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए इस पुस्तक का जिसका कि मैंने जिक्र किया छपवाई। उसी पुस्तक का ११ पैरा मैंने इस वक्त पढ़ कर सुनाया। तो मैं जानकारी चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि क्या यह मामला सही है कि यह इस सदन के सामने आये ? क्या माननीय अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो गये हैं कि साफ प्राइमाफेसी केस माननीय सदस्य के प्रति स्पष्ट हो गया है ?

एक दूसरे माननीय सदस्य ने इस सदन के सामने इस प्रस्ताव को पेश किया है। क्या वे उस प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के समय साथ में सम्मिलित किये गये हैं; उनकी क्या दलीलें हैं, उनकी क्या क्या जानकारी इस मामले में है, इसकी जानकारी माननीय अध्यक्ष द्वारा कर ली गई है और क्या लीडर ऑफ दी हाउस ने इसके मुतल्लिक कोई कार्यवाही की है, की है तो किस हद तक की है, क्या इन सब बातों की जानकारी माननीय अध्यक्ष को है ?

यह मेरा कॉन्स्टीट्यूशनल ओब्जेक्शन है। अगर यह सब नहीं किया गया है तो यह इस स्टेज में सदन के सामने लाने में मैं पक्का नहीं है, प्रिमेच्योर है और इस कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट के कारण सदन के सामने नहीं आ सकता। हमारा कन्वेन्शन इतना स्पष्ट है कि इसकी पाबन्दी इंग्लैंड में होती है और भारत में संसद में हुई है। जो मैंने पढ़ कर सुनाया है उससे साबित हो जाता

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

है कि यह एक कॉन्स्टीट्यूशनल सवाल है। इस पर निर्णय दें तभी यह सवाल सदन में आ सकता है।

जहां तक माननीय मुख्य मंत्रीजी का सवाल है कि इसको एक दम बहस के लिए ले लिया जाय; मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि हमें कन्वेन्शन की ओर भी देखना पड़ेगा। वैसे मैं खुद यह चाहता हूँ कि यह सवाल जल्दी से जल्दी तय हो जाय, पर यह कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट पैदा हो जाता है, हमें कान्स्टीट्यूशन की पाबन्दी करना लाजिमी है।

तो मैं निर्णय चाहूंगा कि क्या माननीय अध्यक्ष पर यह पाबन्दी नहीं है? अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि यह कान्स्टीट्यूशनल सवाल है, इसको तय करके बाद में ही इसे लिया जाय।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय अध्यक्ष, यहां इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त सा इतिहास है। जैसा कि माननीय सदन के नेता ने बताया, सदन के गत अधिवेशन में इस सम्बन्ध में चर्चा हुई और इसके बाद इस प्रस्ताव के बारे में एक रोज माननीय कोटा से आये हुए सदस्य ने, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक ने आपसे पूछा कि इसके बारे में क्या निर्णय किया गया है? आपने जहां तक मुझे याद है, अपना उत्तर दिया कि आप इस प्रस्ताव को एडमिट कर चुके हैं।

इसके बाद यह प्रस्ताव मेम्बर्स को सर्कुलेट किया और निर्णय दिया कि इसी सप्ताह में या आगामी सप्ताह में लिया जायगा।

इस तरह के विचार होते हुए भी आपने यह उचित माना कि सदन से इस बात का विचार लिया जाय कि यह प्रस्ताव एडमिसिबल (admissible) है कि नहीं।

इसी को लेते हुए माननीय सदन के नेता ने निवेदन किया कि ऐसे प्रस्ताव को एड्मिट किये जाने में कोई आपत्ति नहीं! इन बातों पर विचार करते हुए माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा, पहले इसकी एडमिसिबिलिटी पर विचार किया जावे, यह तो it is just like placing the cart before the horse होगा। सीधी सी बात है कि सबसे पहले प्रस्ताव को एडमिट किया जाय अथवा नहीं किया जाय, इसका निर्णय होता है। यह निर्णय किये जाने के बाद ही प्रस्ताव पर डिस्कशन करने का प्रश्न उपस्थित होता है। अतः जिस तरह कि माननीय विरोधी दल के नेता चाहते हैं उस रूप में तो बाद में विचार किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Any other hon'ble member who wants to say anything-only on the constitutional issue raised by the Leader of the Opposition.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, जो आज का एजेन्डा पेपर हमें मिला है उसमें इस बात का हवाला है कि इस प्रस्ताव पर एसेम्बली में विचार होगा। चार तारीख को जो सरक्यूलर हमें मिला था उसमें यह लिखा था कि आदेशानुसार श्री वेदपाल त्यागी द्वारा दिये गये निम्नांकित प्रस्ताव (जिसकी सूचना इस सचिवालय में दिनांक २२. ६. ५५ को प्राप्त हुई है) की एक प्रति सदस्यों की सूचनार्थ प्रेषित की जाकर सूचित किया जाता है कि यह प्रस्ताव सदन में शीघ्र ही (इस सप्ताह में या आगामी सप्ताह में) लिया जायेगा और उस दिन उस प्रश्न पर जहां तक मुझे याद है, एडमिशन के प्रश्न पर निर्णय हो चुका था। सवाल जो हमारे सामने है वह एडमिशन का नहीं; प्रश्न यह है कि इस सिलसिले में सदन में क्या प्रोसीजर फोलो किया जावे और उस पर विरोधी दल के नेता ने कहा कि इस पर प्रोसीज़र निश्चित तौर पर दिया हुआ नहीं है और जब नहीं दिया हुआ है तो मैं कहूँगा कि इन प्रोसीडिंग्ज़ को मोशन की लेवल पर लिया जावे। मेरी यह दरख्वास्त है कि एडमिशन हो जाने के बाद अब इस सिलसिले में जैसा कि एक प्रिविलेज़ मोशन के साथ होता है वैसा ही प्रोसीज़र फोलो किया जावे और चूंकि सदन के नेता महोदय को भी इसमें कोई एतराज नहीं है कि इसको एडमिट मान कर चला जावे और अब जो इस पर वाद-विवाद होगा उस पर भी कोई एतराज नहीं, तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इसे एक प्रिविलेज़ का मोशन मान कर चलना चाहिए। प्रस्तावक महोदय ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाही जिसकी स्वीकृति...

(सदन में प्रकाश अदृश्य हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष—Just go on. We will be able to hear.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह प्रस्ताव प्रिविलेज़ कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे, ऐसा किया जाना चाहिये क्योंकि इसके लिए ऐसा कोई प्रोसीज़र नहीं है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको भी उसी लेवल पर लिया जाना चाहिये जैसे हम प्रिविलेज़ मोशन को लेते हैं। इन शब्दों के साथ मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि एडमिशन का प्रश्न चूंकि हल हो गया है और इस पर निर्णय ले लिया गया है और इस पर सदन के नेता को भी एतराज नहीं है इसलिये सदन को एतराज है या नहीं, इसके लिये १५।१६ मेम्बर्स के खड़े होकर अपनी अनुमति जाहिर करने पर इस प्रश्न को प्रिविलेज मोशन की तरह हाउस के सुपुर्द कर दिया जावे।

अब यदि यह प्रोसीजर फोलो करने की आपकी इच्छा नहीं है और इसको मामूली सामान्य प्रस्ताव मानते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके एडमिशन का प्रश्न किस आधार पर हो सकता है। जैसा कि आज के परिपत्र पर लिखा है कि इसकी एडमिसिबिलीटी पर निर्णय करने के हेतु प्रारंभिक विचार होगा। इसकी लेटेस्ट स्टेज़ यह है कि इसको सामान्य प्रस्ताव नहीं माना गया, इसको विशेष स्टेटस का माना गया है। मैं यह कहूँगा कि इसको विशेष रूप में लिया जावेगा और अपने रूल्स ऑफ प्रोसीज़र के रूल ८३, ८४, ८५ में इसका जिक्र है। एमेन्डमेन्ट और मोशन के साथ-साथ इसका जिक्र किया गया है। जहां कहीं मोशन का जिक्र किया है उसके साथ-साथ एमेंडमेंट का भी किया गया है :

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"A motion or amendment may not be moved in a form different from that in which it appears......"

"A motion or amendment shall not refer to......"

"If a motion or amendment is not moved, it shall be deemed to have been withdrawn."

मैंने रूल्स ८३, ८४ और ८५ में से कुछ अंश आपको पढ़ कर सुनाये हैं। तो अपने रूल्स ऑफ प्रोसीज़र में सामान्य प्रस्ताव के रूप में माना जाता है तो इसकी स्थिति एमेन्डमेन्ट की तरह होती है, एडमिशन का प्रश्न नहीं आता। चूंकि आया जो एक कोने में है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस लेवल पर अब तक माना है वैसे ही माना जावे और एडमिसिबिलीटी की रजामन्दी को हल करने के साथ-साथ इसको प्रिविलेज़ मोशन के स्टेटस में माना जावे।

श्री गुलाबचंद कासलीवाल—Mr. Speaker, Sir, on a point of order. The point is this that it is very clear in the May's Parliamentary Practice, page 378, that motions of this character are substantive motions and not privilege motions.

श्री एच. के व्यास—Then there is no question of admission. Substantive motion is ipso facto admitted on the day it is put on the order paper.

श्री गुलाबचंद कासलीवाल—That is what my contention is.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But at the moment the discussion......

श्री अध्यक्ष—No discussion.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। माननीय विरोधी दल के नेता ने दो प्रश्न किये हैं कि जो शायद उन्होंने मुद्गल के केस को स्टडी करके देशमुख ने वहां के स्पीकर से किये और वे ही प्रश्न यहां पर किये गये हैं। यह ऐक सबसीडिअरी मोशन हैं, इसको स्वीकार किया जावे या नहीं, यह माननीय स्पीकर का कर्तव्य है कि इसको स्वीकार करने से पहले वह किसी किस्म की इन्क्वायरी करे या नहीं। यह स्पीकर के डिस्क्रिशन पर है। मुदगल के केस से यह जाहिर होता है कि किसी सदस्य के कन्डक्ट के बारे में अगर किसी किस्म का शक हो तो इन्क्वायरी करनी चाहिए, लीडर ऑफ दी हाउस को सारी इन्क्वायरी से अवगत करना चाहिये। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हमें मालूम नहीं कि माननीय अध्यक्ष ने कोई इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

की या नहीं और की तो क्या हुआ। अब तो प्रश्न यह है कि माननीय अध्यक्ष ने इस मोशन की इजाजत दे दी है। आज उसके बाद यह मोशन सदन के सामने है तो अब क्या यह स्टेज है कि जो मोशन सदन के सामने है, सदन की सम्पत्ति है, माननीय अध्यक्ष उसको अपने अधिकार में लेकर उसकी एडमिसिबिलिटी का फैसला दे चुके हैं। जब माननीय अध्यक्ष ने, विरोधी दल के नेता ने श्री त्यागी के प्रश्न के उत्तर में स्पष्टतया यह कह दिया है कि उसका मोशन एडमिट हो चुका तो फिर क्या दुबारा यह मौका है कि इसकी इजाजत दी जावे या न दी जावे। चाहे उसका कारण कुछ भी हो। तो अब इस पर विचार करना क्या कानूनन वाजिब है। जहां तक मैं समझता हूँ कि माननीय अध्यक्ष ने जब एक बार अपना निर्णय दे दिया है, अपना निर्णय दे चुके हैं तो उसको दुबारा देने का अधिकार बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए श्री वेदपाल त्यागी का मोशन सदन के सामने है। इस पर सिवाय इसके कि सदन में विचार किया जावे कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिये यह प्रश्न माननीय विरोधी दल के नेता ने उठाया कि आपने इन्क्वायरी की या नहीं और की तो उसका क्या नतीजा हुआ, यह स्टेज़ अब नहीं है। यह तो उस वक्त तय होना चाहिये था जब माननीय अध्यक्ष इस मोशन की स्वीकृति देते।

ऐसी स्थिति में हमको इस मोशन पर ही विचार करना चाहिये। जहां तक प्रिविलेज़ मोशन का सवाल है मेरे ख्याल से श्री वेदपाल त्यागी, जिन्होंने कि यह मोशन रखा है वे खुद महसूस करते हैं कि यह मोशन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ का नहीं हो सकता क्योंकि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ नहीं हुआ है। उन्होंने इसीलिए सेपरेट मोशन रखा है जो अपने यहां बिजनिस रूल्स में प्रोवाइड नहीं, सिर्फ रूल ८३ में जनरल मोशन का प्रोविज़न है कि कोई सदस्य कोई मोशन पेश कर सकता है बशर्ते कि उसका नोटिस सात दिन पहले दे। तो चाहे आप इसको मोशन कहिये, चाहे आप इसको रिजोल्यूशन कहिये क्योंकि रूल ८३ में इसका नाम मोशन रखा हुआ है। रिजोल्यूशन रख दें, वह प्राइवेट मेम्बर्स डे में आ सकता है लेकिन चूंकि एक मोशन रिज़्यूलूशन के रूप में है और जब रूल्स में वह मोशन के नाम से दिया हुआ है तो इसलिये इसको मोशन के रूप में ही मान कर माननीय श्री वेदपालजी त्यागी ने प्रस्तुत किया है और सारी कार्यवाहियां जो कि एक मोशन के लिए पूरी होनी चाहिये ये सब पूरी हो चुकी हैं। वे नोटिस दे चुके हैं, माननीय अध्यक्ष ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है, हाउस में वह सर्कुलेट हो चुका है और हाउस में अपना निर्णय भी माननीय अध्यक्ष दे चुके हैं। सिवाय इसके कि हाउस में यह मोशन विचारार्थ आये और कोई चारा नहीं रहता है।

दूसरी यह दलील है कि इसको प्रिविलेज़ मोशन की दलील पर लिया जाय। यह मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें माननीय सदस्य के कन्डक्ट का सवाल है और मुद्गल के केस का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है और इसलिये इसको प्रिविलेज मोशन के रूप में नहीं लिया जायगा। इसे सब्स्टेन्टिव मोशन के रूप में लिया जाय और ऐसा समझ कर ही माननीय

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

अध्यक्ष ने उसको स्वीकृत किया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बजाय इस दलील में अपना समय नष्ट करें कि यह एडमिसिबल है या नहीं है, यह मान कर चलें कि माननीय अध्यक्ष ने इसकी स्वीकृति दे दी है, संब्सटेन्टिव मोशन है उसी पर विचार करना चाहिए और इस पर माननीय सदन के नेता ने भी स्वीकृति दे दी है इसलिये ओरिजिनल मोशन पर ही विचार कर अपनी राय प्रकट करें।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी जो मेरे पूर्व...

श्री अध्यक्ष—Only on the constitional issue. The members are just a little drifting away from the main point.

श्री तनसिंह—जो अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है वह बहुत कुछ उन बातों के ऊपर जो सदन के विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा था उसके समर्थन में कुछ नहीं कहा, जो कुछ बातें कही गई वे एडमिजिबिलिटी और इनएमिजिबिलिटी जिसका कि विवाद अनायास ही बीच में चल पड़ा है, के बारे में बातें कहीं। मेरा निवेदन यह है कि जो कन्वेन्शन्स अभी हमारे सामने कोट किये गये हैं वे ऐसे कन्वेन्शन्स हैं जिनके ऊपर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए और उसके साथ साथ यह देखना चाहिए कि ये ऐसे हैल्दी कन्वेन्शन्स हैं जिनका पालन करने में किसी भी व्यक्ति को गौरव अनुभव हो सकता है। वह यह है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति चाहे वह सदन का माननीय सदस्य ही क्यो न हो, उसके आचरण के विषय में, उसके कन्डक्ट के विषय में, उसके विषय में छींटा कशी करे, उसके पहले यह अनुभव कर लिया जाना चाहिए जिस व्यक्ति के प्रति छींटाकशी की जा रही है अथवा जो छींटा कशी करते हैं उनका उत्तरदायित्व क्या है, छींटाकशी करने से पूर्व अनुभव करें, जो कुछ शब्द कहें उन पर मनन करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति हमारे सामने आवे हमें यह प्रतीति होनी चाहिए, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि जिस किसी व्यक्ति के विषय में हम कहें वास्तव में उसके योग्य पात्र हैं। जो विरोधी दल के नेता ने कहा उस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में आज कोई विशेष व्यक्ति हमारे सामने है, कल कोई दूसरा आ सकता है परसों तीसरा आ सकता है और इसी प्रकार परम्परा बनी रहेगी तो और हर एक व्यक्ति किसी के विरुद्ध कुछ कहता रहेगा और हम ऐसी स्थिति पर पहुंच जावेंगे कि जो सदन के लिए उपयुक्त नहीं होगा, सदन की प्रतिष्ठा के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि किसी व्यक्ति को छींटा कशी का पात्र बनावें, इसलिए अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो प्रस्ताव आचरण के विषय में हो उस पर वे स्वयम् पहले तसल्ली करें और जब उनको तसल्ली हो जाय कि यह प्राइमाफेसी केस बनता है तो वह सदन की मेज पर आना चाहिए। यह बात दूसरी है कि वह एडमिट हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा और आप स्वयम् स्वीकार करेंगे कि एक बात जो नियमों के द्वारा आ गई है और यदि फिर भी आप उसको अनुचित समझेंगे तो मैं नहीं मानूंगा कि आप उस अनुचित बात को ठीक करने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि उन नियमों के द्वारा आपको अधिकार हैं कि आप

[श्री तनसिंह]

किसी भी नियम को कुछ समय के लिए निरस्त कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि यह एडमिट कर लिया गया है और जब एडमिट कर लिया गया है, वाद-विवाद हुआ है, दोनों प्रश्नों के औचित्य की अपेक्षा यह महत्वपूर्ण है कि जो विषय ले रहे हैं उस विषय के यहां आने पर जिस उत्तरदायित्व का अनुभव होना चाहिए उसको निभाने की भावना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए एक दूसरे पर एक दूसरा छींटाकशी करे, एक दूसरा एक दूसरे पर बाहें कसकर ऊंची चढ़ाने को तैयार हो उसके पहले यह उचित होगा कि अध्यक्ष मार्गदर्शन दें और यदि प्राइमाफेसी केस बनता हुआ नजर में आये तो रिजोल्यूशन को एडमिट करके सदन के सामने लाया जाय। इतना ही अर्ज करूंगा।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, बहुत थोड़ा ही बोलूंगा।

इस मोशन के सम्बन्ध में दो पहलुओं पर विचार करें। एक यह है कि जब मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने यह कहा कि जल्दी ही लिया जायगा तो वह आया एडमिट हो गया या नहीं; यदि एडमिट हो गया है तो जो प्रश्न माननीय विरोधी दल के नेता ने आज उपस्थित किया है वह कितने महत्व का है और उस पर सदन की क्या स्थिति होनी चाहिए, उसके विषय में विचार व्यक्त किये। आज के एजेन्डे पर जब मैंने देखा तो मुझको भी कुछ अचम्भा हुआ। एक बार मेरा मोशन सरकुलेट कर दिया और आपने सदन में भी कहा था कि इसको इस सप्ताह में या अगले सप्ताह में लिया जाय तो मैं यह समझा था कि यह एडमिट हो गया। तो मोशन की नेचर और उसकी एडमिसिबिलिटी को देखते हुए मैं यह सोचता हूँ कि एडमिसिबिलिटी के लिए यह इसलिए रखा गया है कि आया जो मोशन प्राइवेट मेम्बर की ओर से आया है उसको फुल्ली डिस्कस करने दिया जाय हमने देखा होगा कि जब सदस्यों के आचरण के सम्बन्ध में मोशन टेबल हो जाता है और बहस शुरू हो जाती है तो प्रत्येक सदस्य को बोलने का हक होता है। इस तरह आचरण सदन में डिस्कशन का विषय बने उसको रोकने के लिए आज तक परम्परायें चली आ रही हैं, उनको देखकर मुझे प्रतीत हुआ कि सम्भवतः आप सम्मति लेना चाहते हैं सदन की कि आया किस तरह से इस मोशन को डील किया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने जितना पढ़ा मुझे यह मालूम हुआ कि जब किसी सदस्य के आचरण के विषय में कोई वाकयात प्रस्तुत होवें तो ऐसी सूरत में सदन के नेता, जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे सदन की डिग्निटी को बनाये रखें, चाहे वह सदस्य किसी भी पार्टी का क्यों न हो, किसी भी गुट का क्यों न हो; ऐसे समय में उनको एक बड़े निष्पक्ष भाव से सदन की डिग्निटी को बनाये रखने के लिए एक प्रोसिजर को एडोप्ट करना पड़ता है और उसमें अध्यक्ष महोदय को भी बहुत बड़ा पार्ट अदा करना पड़ता है।

इसका प्रोसिजर अब तक यह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है जितने भी केसेज़ इस प्रकार के हुए हैं उनको देखने से मालूम यह होता है और इसका प्रोसीजर यह है कि जो कुछ भी फेक्ट्स

Page No.82

[श्री वेदपाल त्यागी]

सामने आते हैं सदन के नेता उन फेक्ट्स के संबन्ध में अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी के बाद वे अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थित करते हैं और फिर अध्यक्ष यह देखते हैं कि यह प्राइमाफेसी केस बनता है और फेक्ट्स की इन्क्वायरी करना जरूरी है तो सदन के नेता प्रस्ताव पेश करते हैं और उस प्रस्ताव पर बहस करने की इजाजत नहीं दी जाती। जब प्रस्ताव आता है उस पर प्रस्ताव के साथ थोड़े से फेक्ट्स का उल्लेख कर दिया जाता है और वह सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। हमारी पार्लियामेंट में जब इस प्रकार का केस आया तो वहां पर यह इजाजत दी गई कि जिस सदस्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव आता है उसके सम्बन्ध में वह अपना एक्सप्लेनेशन दे ऐसे के एक्स-प्लेनेशन के बाद में सदन के नेता का प्रस्ताव आता है और उसे स्वीकार किया जाता है या कमेटी के सुपुर्द किया जाता है। मैं समझता हूं इस प्रोसीजर से बहुत बड़ी बचत रहती है। सदस्य की प्रतिष्ठा की बचत, सदन के समय क बचत। सदन में यदि इस प्रकार के प्रस्ताव पर बहस होती है तो सदन में ऐसी बातें भी कही जातीं है जो बातें नहीं कहीं जानी चाहिए। ऐसी अवस्था में ऐसे सरकमस्टान्सेज में मैं नहीं समझता कि शायद इसकी उपयुक्तता देखने के लिये सदन के सामने रखा गया हो, यह बात नहीं।

मैं यह निवेदन करूं, अगर माननीय सदन के नेता इस प्रोसीजर को जो अभी तक अपनाया गया है, अपनाने के लिये तैयार हैं तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो अपने प्रस्ताव को वापिस लूंगा। इस सम्बन्ध में मैं आपको याद दिला दूं, इस सम्बन्ध में मैंने एक पत्र भी माननीय अध्यक्ष को लिखा था; उसमें यह लिखा था कि आप गुड आफिसेज इस्तेमाल करके सदन के नेता को परस्युएड करें और दूसरी परम्परा कायम न होने दें जो आज तक इस सम्बन्ध में कायम की गई है उससे। किन्तु मुझे खेद है, जो इनक्वायरी की गई जैसा कि सदन के नेता द्वारा कहा गया, क्या उन्होंने प्रस्ताव कर्ता को एसोसियेट किया या नहीं, यह भी देखने की बात है। मैं माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये सदन के नेता को बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें कुछ भी मालूम नहीं हुआ कि इन्क्वायरी की गई या नहीं। इसलिये मेरे लिए यह जरूरी हो गया कि मैं मोशन को सदन के समक्ष पेश करूं। अब जब कि सदन के सामने यह मोशन आयगा तो अब यह देखने की बात है कि आज तक जो प्रोसीजर ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में काम आता रहा है क्या उससे नया प्रोसीजर हम फोलो कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूं कि यह एक बहुत महत्व का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में माननीय सदन के नेता ने और विरोधी दल नेता ने एक प्रश्न खड़ा किया वह भी एक महत्व का प्रश्न है, उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं समझता हूँ और यह निवेदन करूंगा सदन के नेता से कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें और ऐसी परम्परा न डालें जिसके लिए आने वाली संतति हमारे लिये यह कहे कि हम लोग वास्तव में डेमोक्रेसी की परम्पराओं पर चलने योग्य नहीं थे। इस डेमोक्रेसी के युग में जैसा कि आपने कहा, प्रजातंत्र आज यहां एक नवजात शिशु तो ऐसी अवस्था में हमें बहुत सोच-समझ कर कदम उठाना चाहिये। ऐसे जो महत्वपूर्ण मोशन्स हों उनमें आज तक जो परंपरा चली आ रही उसको डेविएट नहीं करना चाहिये, जहां तक हो सके उन्हीं को कायम रखना चाहिये। इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि अगर मुझको इजाजत दी जाती है कि मोशन एडमिट कर लिया गया है तो मैं मोशन मूव करूंगा। अगर

[श्री वेदपाल त्यागी]

आप उस पर विचार करना चाहते हैं आपकी ड्यूटी है जो पवित्र ड्यूटी है, न केवल सदन की बल्कि सदन के प्रत्येक सदस्य की और डेमोक्रेटिक परंपराओं की रक्षा करना आपके हाथ में है। इसलिए मै निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाना चाहिये। विचार कर तहकीकात में आप मुझको भी एसोसियेट करें। उसके बाद आप जिस नतीजे पर पहुंचे उसके बाद सदन में डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरह से हम आज तक जो परम्परायें चली आ रही हैं उनको कायम रख सकते हैं। यह हमारे सदन के लिए और साथ साथ सदन के माननीय सदस्य के लिए जिनके आचरण का प्रश्न उपस्थित हो रहा है, सब के लिए हितकर होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय में थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं क्योंकि कुछ मुझसे सम्बन्ध रखने वाली बातें कही गई हैं। पिछले सेशन के अन्दर जब यह प्रश्न उठाया गया था उसके बाद मैंने उन सब बातों के सम्बन्ध मे जांच की है। बिना जांच किये न मैं कोई निर्णय कर सकता हूं और न मैंने कभी बिना जांच किये राय देने का प्रयत्न ही किया है और उस जांच करने के अन्दर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इस बात का पूरा खयाल रखा है कि यह बहुत गंभीर प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न और कहीं उठाये गये हों या नहीं और उन पर क्या क्या किया गया इस बात पर अभी जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो जो रिपोर्ट, जो जो सूचनायें मेरे पास प्राप्त होती रहीं उन सबको मैंने अध्यक्ष महोदय के पास भेजने का प्रयत्न किया और मैं यह आपके जरिये माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर मुझे जरा भी इस बात का विश्वास हो जाता और इस चीज के अन्दर जिस माननीय सदस्य के खिलाफ मोशन लाया गया वे दोषी हैं तो बिना झिझक के मैं इस चीज को मूव करता। लेकिन जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई, जैसे मुद्गल केस के बारे में जिक्र किया जाता है; जब हम इस मोशन के वाद विवाद में जायेंगे, इसके मेरिट्स पर जायेंगे तब वे सब चीजें सदन के साम्ने स्पष्ट रूप में आ जायेंगी। इसलिए अभी यह समय नहीं कि हम इस सारे वादविवाद में जायं।

मैंने जो कुछ इस मामले में किया इस बात को ख्याल में रखते हुए किया कि यह मामला एक सदस्य का है और वह सदन के सदस्य हैं; अतः जो कुछ भी हम निर्णय करें उसके पीछे काफी गंभीरता होनी चाहिये और इसके साथ साथ मुझसे भी यह आशा की जाय, इन सब चीजों को निष्पक्षता के साथ लूं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से आशा करूंगा कि किसी माननीय सदस्य के कन्डक्ट के बारे में जब हम विचार करें बिना अपने राजनैतिक विचार या व्यक्तिगत विचारों को सामने रखकर न करें, इस सारे मामले पर शान्त मस्तिष्क से विचार करें।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष—Only about the constitutional point.

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति त्यागीजी के मोशन से सदन के सामने उपस्थित हुई है वह इस सदन के लिये अभूतपूर्व है। लेकिन ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में इस प्रकार की स्थिति पहले पैदा हुई थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इस प्रकार की स्थिति आई होगी, याद नही पड़ता।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैंने अपने भाषण में बताया था कि सन् १६३६ में बूथबे का केस आया था।

श्री पालीवाल (जारी)—यह ठीक है, कभी कभी ऐसी स्थितियां आई हैं जब कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और थोड़े से काल में हिन्दुस्तान की पार्लियामेंन्ट को ऐसी एक कमेटी किसी सदस्य के आचरण के बारे में नियुक्त करनी पड़ी। कोई नियम इत्यादि इस विषय में बने हुये नहीं हैं इसलिये जो परम्परायें हैं उन्हीं के आधार पर चलना संभव हो सकता है। यह भी ठीक है, कई दफा नई परम्परायें भी डालना आवश्यक हो जाता है किसी विशेष पोइन्ट पर। उन्हीं परम्पराओं का अनुसरण करना चाहिये जब तक कि नई परम्परा डालने की आवश्यकता न हो जावे और इस सम्बन्ध में जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा बहुत गम्भीरतापूर्वक और अत्यन्त निष्पक्ष भाव से न केवल प्रस्तुत विषय के बारे में ही विचार करना चाहिये बल्कि आगे का ध्यान भी रखना होगा कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं उससे भविष्य के लिये स्वस्थ परम्परा स्थापित हो सके।

आज के इस जनतन्त्र के प्रतिनिधित्व के काल में हम इस प्रकार की परम्परायें डालें जो आगे के लिये चलकर एक प्रकार की मिसाल साबित करने वाली चीज बनें।

मैंने जो निवेदन किया यह इसलिये कि जो प्रश्न इस समय सदन के सामने है उसके सम्बन्ध में आज तक जो भी मामले इस प्रकार के आये, आज तक जो भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं उनमें भी यही हुआ है कि किसी सदस्य के आचरण के बारे में किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बातें मालूम हुई हैं।

दूसरे सदस्य चाहें तो सरकार की या किसी अफसर की या सदन के किसी सदस्य की जो बात उन्हें मालूम हो वे बातें पहले सदन के नेता के सम्मुख रक्खें। सदन के नेता ने उस जानकारी को पूर्ण करने के लिए और अपनी छानबीन की और ये जो दो केसेज़ बूथबे के और मुद्गल के थे, इन दोनों में यही हुआ। इनके मामले में सदन के नेता को पहले पहल जानकारी दी गई। सदन के नेता ने फिर अपनी जानकारी को पूरा करने के लिए और छानबीन करनी जितनी आवश्यक थी की, और स्पीकर महोदय को भी इस जानकारी से अवगत किया। दोनों ही केसेज में यही ले डाउन किया गया है कि जब पूरी जानकारी के आधार पर सदन के नेता और स्पीकर दोनों ही इस बात से सन्तुष्ट हो जावें कि अमुक सदस्य के विरुद्ध कोई प्राइमाफेसी केस है तब ही वह मोशन सदन के सामने लाया जाता है और सदन के नेता ही उसे लाते हैं। यहां तक कि मोशन का प्रस्ताव भी और सम्भवतः उसके टर्म्स भी स्पीकर (अध्यक्ष) की सहमति से नेता द्वारा तय की जाती हैं। इसका एक

[श्री टीकाराम पालीवाल]

ही दृष्टिकोण रहता है और वह यह कि इस प्रकार का विषय गम्भीर भी होता है और नाजुक भी होता है जिनके बारे में शुरू में ही सदन में कोई वाद विवाद खड़ा करना उचित नहीं होता, शोभास्पद भी नहीं होता इसलिये ये सारे अहतियात बरते जाते हैं कि सदन के नेता और सदन के अध्यक्ष दोनों इस जानकारी को पूरी तरह से करें, दोनों का एक मत बनता है कि अमुक सदस्य के विरुद्ध कोई प्राइमा-फेसी केस है तब फिर वे दोनों अपनी सम्मिलित सहमति से एक विशेष शब्दावली में उसे तैयार करें और फिर वह मोशन हाउस के सामने आवे। परम्परा यह रही है, इस प्रकार के मोशन्स पर। क्योंकि किसी सदस्य के आचरण की छानबीन और जांच के सम्बन्ध में सदन में इतने थोड़े समय में उस सारी डिटेल पर विचार नहीं किया जा सकता, सारी चीजें थोड़े समय में आ नहीं सकतीं इसलिए कोई समिति नियुक्ति कर दी जाती है। यह समिति विशेष प्रकार की होती है। प्रिविलेज कमेटी को यह काम सुपुर्द नहीं किया जा सकता जैसा कि एक माननीय सदस्य ने इसके लिए प्रोपोज़ किया है। इसका क्षेत्र तो बिल्कुल सीमित है, निश्चित है। इसमें न देकर के ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स में भी और लोकसभा में भी इस प्रकार का जहां प्रश्न आया वहां विशेष समिति ही नियत की गई, वही नियुक्त होनी चाहिये और हुआ करती है।

लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया माननीय अध्यक्ष, कि नेता का सहमत होना आवश्यक इसलिये अधिक है कि वह शुरू में ही वाद विवाद का प्रश्न न बन जावे। सहमत होकर ऐसी समिति की नियुक्ति की जावे और फिर वहां धैर्य, शान्ति के साथ, निष्पक्ष रूप से हरेक चीज की जांच हो, जरूरत हो तो और गवाहियां भी वह समिति ले, जहां से भी जिस प्रकार की भी पक्ष-विपक्ष में जितनी मिसालें आती हों उनको शान्ति व धैर्य के साथ देखा जावे, एक कोर्ट की तरह से, एक अदालत व न्यायालय की तरह से। न्यायालय, एक कानूनी न्यायालय नहीं, पर एक प्रतिष्ठा का और पार्टी जैसा कहती है उस तरह से उस चीज की जांच करे और अभी तक जो दो उदाहरण सामने आये हैं एक हाउस ऑफ कामन्स का और एक हमारी लोक सभा का, उनमें यही हुआ है। इसी प्रकार का फिर मोशन किया गया और हाउस के वोट से वह पास किया गया, बिना किसी बहस के वह मन्जूर भी किया गया, समिति की नियुक्ति हुई, समिति ने जांच की और जो रिपोर्ट उसकी आई उसको भी बिना किसी बहस के स्वीकार किया गया। तो यह इसलिये है कि जो नाजुक मामला है, व्यक्तिगत आचरण का मामला है वह इतने बड़े सदन में ठीक तरह से जांच का विषय नहीं हो सकता। वह समिति इसके लिए बननी चाहिये।

दुर्भाग्य से या किसी भी संयोग से यहां पर एक अजीब ढंग से यह मामला आया। इस मामले की जानकारी जैसा कि होना चाहिये पहले सदन के नेता के पास नहीं आई। वह सीधा सदन में रक्खा गया, इसकी जानकारी सीधी सदन के सामने आई।

इसके बाद जैसा कि सदन के नेता ने कहा है कि, यह जानकारी सदन में ही सही, आने के बाद और उसकी छानबीन उनके द्वारा की गई और उससे उनका जो मत बना है वह उन्होंने

[श्री टीकराम पालीवाल]

व्यक्त किया है। लेकिन इससे फिर एक बड़ी पेचीदा स्थिति सदन के सामने पैदा हो गई है। एक ओर सदन के नेता का मत यह बना है कि कोई प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है तो दूसरी ओर अध्यक्ष महोदय ने जब इस मोशन को सदन में पेश करने के लिए एडमिट कर लिया और जैसा कि कहा जाता है आपने एडमिट कर लिया त्यागीजी के मोशन को, तब यह मानने लगते हैं कि यदि उनके पास भी इसकी पूरी जानकरी आ गई, जैसा कि सदन के नेता कहते हैं कि उन्होंने इस मामले में आपको भी पूरी पूरी जानकारी दी है और उस जानकारी के होते हुए यदि इसको आपने एडमिट किया है तो हमें यह मानना होगा कि आपके विचार से यह एक प्राइमाफेसी केस बनता है जिस पर कि आपने इसे एडमिट किया है। तो सदन के सामने एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है कि एक ओर नेता का कहना है कि उनके ख्याल से कोई भी प्राइमाफेसी केस नहीं बनता, दूसरी ओर इसे प्राइमाफेसी केस बना हुआ मानकर एडमिट कर लिया गया है तो हम लोगों के लिए यह इतमीनान करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता कि यह आपके विचार से प्राइमाफेसी केस है। यह एक विचित्र परिस्थिति है और ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से, किसी भी सदन के सामने पहले नहीं आई। इसलिए मैंने पहले शुरु में यह कहा है कि यह अभूतपर्व स्थिति है और यह अभूतपूर्व इसलिए बन गई है कि सदन के नेता का दूसरा मत है और सदन के अध्यक्ष का दूसरा मत है। मैं समझता हूं कि हम एक विचित्र परिस्थिति में फंस गये हैं और यह एक ऐसी चीज़ है कि जिसको साफ किया जाना चाहिये।

अगर इसके लिए नया रास्ता भी निकालना हो तो निकालना चाहिये। सोच--समझ कर हमें यह सब करना चाहिये। उतावली में कहीं हम गलत परम्परा न डाल दें, यह देखना चाहिये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पहले सदन के नेता और आप दोनों मिलकर इस चीज़ की अधिक बारीकी से जांच करें और इसके बाद सदन के सामने ऐसे रूप में यह चीज़ आनी चाहिये कि जिससे यह न मालूम हो कि सदन के नेता का इस विषय में कुछ दूसरा मत है और जिस जानकारी के आधार पर उनका यह मत है उसी जानकारी के आधार पर आप उसको दूसरी निगाह से देखते हैं। अगर यह प्राइमाफेसी केस है तो सदन के नेता का भी यह मत बनना चाहिये और अध्यक्ष की दृष्टि में भी यह प्राइमाफेसी केस होना चाहिये और अगर नहीं है तब फिर वह दोनों के मत से नहीं होना चाहिये।

तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन को दुविधा की स्थिति में न डालें और एक बार फिर पहले आप इस मामले को अच्छी तरह से देखें, इसको जांच करें और तब एक मत से इसको यहाँ लाना उचित समझें तो लावें। इस सदन का अब तक का जो स्वस्थ मार्ग रहा है उसे अपनाया जावे। फिर भी अगर सम्भव न हो तो नया रास्ता ज्यादा सोच समझ कर गम्भीरता से निकाला जावे। अगर यह रास्ता नया होगा तो हमें इससे भी घबराना नहीं चाहिए, अगर नया होगा तो निश्चित रूप से होगा। इस प्रकार का मोशन आम तौर से सदन के नेता की ओर से आना चाहिए। यदि यह भी परम्परा हमें डालनी पड़े और डालना उचित समझे हाउस तो पहले आप

[श्री टीकाराम पालीवाल]

दोनों एक तरह से यह देख लीजिये कि आप एक मत इस मामले में हो सकते हैं या नहीं। इसके बाद यदि आवश्यकता हो तो वह परम्परा डाली जावे।

(श्री मथुरादास माथुर के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप कहेंगे कुछ; better, do not say.

श्री मथुरादास माथुर—एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष —Why at this stage?

श्री भैंरूसिंह—माननीय अध्यक्ष ..

श्री अध्यक्ष—कुछ कहना शेष रह गया ? I think the point is very clear.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह जनसंघ के दृष्टिकोण से कहेंगे।

श्री अध्यक्ष—Finish within 2-3 minutes.

श्री भैंरूसिंह—दो मिनट में क्या कहूँगा ?

श्री अध्यक्ष—It is sufficient, we can catch it. आप बोल लीजिये।

श्री भैंरूसिंह—श्री मुक्तिलालजी की सिफारिश है।

माननीय अध्यक्ष, इस समय सदन के एक माननीय सदस्य के चरित्र से सम्बन्धित मामले में न्याय करने की दृष्टि से विचार हो रहा है। जितने भी माननीय सदस्यों ने राय दी है कि जो प्रस्ताव एक माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है वह प्रस्ताव सदन में इस समय मन्जूर हुआ इस हालत में है या मन्जूर होने की स्वीकृति देना है इस हालत में हैं। सदन के नेता का खयाल यह है कि उन्होंने इस मामले की एन्क्वायरी कर ली, और जिस तरह से परिपत्र संख्या ३४ इस सदन के माननीय सदस्यों के पास पहुँचा है और उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि श्री वेदपाल त्यागी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके ऊपर विचार करने के लिए इस सदन में अगले सप्ताह के अन्दर विचारकिया जायगा।

सदन में दो रायें चल रही हैं। एक राय यह है कि किसी भी सदस्य के चरित्र सम्बन्धी मामले में किस ढंग से कार्यवाही की जाय। उसमें हमें स्वस्थ परम्परा का निर्माण करना है। और

[श्री भैरोंसिंह]

स्वस्थ परम्परा के लिए यह आवश्यक है कि सदन में चर्चा होने के पूर्व सदन के नेता और माननीय अध्यक्ष दोनों ही इस निर्णय पर पहुँचें कि जिस सदस्य के बारे में किसी विशेष परिस्थिति की जांच करने की आवश्यकता है ऐसी परिस्थिति है या नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय में दो रायें हमारे सामने आ रही हैं। एक जांच के विषय में है कि माननीय सदन के नेता ने जांच करली है और उन्होंने जांच के बाद उसके ऊपर ऐसी विशेष चीज नहीं पाई जिसकी चर्चा करना सदन में आवश्यक है। लेकिन यह शिकायत कुछ सदस्यों की रही है कि जांच के सम्बन्ध में जो लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जिन्होंने आरोप लगाये हैं उनको कॉन्फीडेन्स में लिया गया है या नहीं और जब उनको कॉन्फीडेन्स में नहीं लिया गया है तो हम यह स्पष्ट रूप से कहेंगे कि जांच अपूर्ण थी। केवल अपूर्ण जांच के ऊपर नेता कोई कार्यवाही न करे, यह इस प्रकार की चीज है जो संदिग्ध स्थिति बनाती है। लेकिन इसका स्पष्टीकरण होता है परिपत्र संख्या ३४ से, क्योंकि हमें माननीय अध्यक्ष का आदेश मिला है और उस आदेश के जरिये यह स्थिति बन गई हैं कि जो कुछ सदन के नेता ने इन्कवायरी की है और उस इन्क्वायरी में उनके समक्ष किसी खास बात का पष्टीकरण हुआ हो वह शायद अपर्याप्त है, और अपर्याप्त होने की सूरत में...

श्री अध्यक्ष—Better the hon'ble member should press his own view-point.

श्री भैरोंसिंह—....वह आ रहा है। वैसी सूरत में परिपत्र संख्या ३४ यह स्पष्ट करता है कि प्राइमाफेसी केस बन गया है और प्राइमाफेसी केस बनने के बाद कौनसा प्रोसीजर एडॉप्ट करना है? उसके दो तरीके हैं। या तो एक छोटी कमेटी एप्वाइन्ट कर दी जाय जो कि जांच सदन के बाहर उन चीजों की गम्भीरता से करे और जांच करने में जिन व्यक्तियों की समझे ...

श्री लक्ष्मणसिंह हीरावत—On a point of order, Sir, the same thing is being repeated over and over again.

श्री अध्यक्ष—Five minutes are up.

श्री भैरोंसिंह—It is not the same thing. वैसी सूरत में हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जो कुछ माननीय अध्यक्ष ने परिपत्र संख्या ३४ में उल्लेख किया है कि सदन में अमुक प्रस्ताव पर विचार करना है वह इस बात की दलील है कि वह (प्रस्ताव) विचार करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। वैसी सूरत में मैं समझता हूं कि इस पर विचार कर लेना चाहिए।

यह एक अलग परम्परा है कि सदन के माननीय सदस्य के प्रति यदि कोई आरोप लगाया जाता है तो मैं तो यह समझता हूं कि वह परम्परा बिल्कुल स्वस्थ होगी कि वह माननीय सदस्य, जो आरोप उनके ऊपर लगाये जाते हैं उन आरोपों का साहसपूर्वक इस सदन के अन्दर उत्तर दें। सबसे नीची प्रणाली यह होगी कि हम किसी जगह बैठकर अलग किसी चीज़ की एन्क्वायरी करें

[श्री भैरोंसिंह]

और वह एन्क्वायरी सदन में आये केवल इसलिए कि सदन के एक विशेष सदस्य की चर्चा नहीं की जाय और रिपोर्ट को यों ही पास कर दें। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी को यदि स्वस्थ बनाना है तो हमें डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स के आधार पर जो हम प्रतिनिधि यहां पर आये हैं उनके ऊपर यदि किसी प्रकार का छोटे से छोटे आक्षेप लगाया जाय तो साहसपूर्वक सदन में स्वीकार कर लें। यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो आक्षेप लगाये गये हैं वे गलत हैं या सही हैं, ताकि आयन्दा न तो कोई आरोप लगाने की हिम्मत करे और अगर हिम्मत करता है तो सदन में उसके ऊपर बहस होगी और सदन इस बात का निर्णय देगा कि जो आरोप लगाये गये हैं वे गलत हैं। वैसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार हुआ समझकर ऐसे प्रस्ताव के ऊपर हमें विचार कर लेना चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, एक क्लेरिफिकेशन मैं कर दूं कि जिस इन्क्वायरी का जिक्र यहां किया गया है, मेरे पास बहुत से सुबूत मौजूद हैं। मुझको सदन के नेता ने पूछा तक नहीं। रेकॉर्ड दिखाकर साबित करने का दावा मेरा है अब भी। उन्होंने मुझसे पूछे बिना कैसे एन्क्वायरी पूरी कर ली?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आपने जो कुछ कहा था कि चिट्ठी लिखी है, और उसको माननीय मथुरादासजी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद में पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास——वह चिट्ठी मिली या नहीं? कैसे मिली, किनको मिली, क्या हुआ, उस सब के बारे में भी मेरे पास मेटीरियल है।

श्री अध्यक्ष—Order please! Order!!

श्री अध्यक्ष—मुझे बड़ा खेद है कि मेरे कुछ सदन में कह देने से माननीय सदस्यों को कुछ भ्रन्ति हुई और यह वादविवाद इतना बढ़ा। जो बातें हुई और जिस तरह का संदेह प्रकट किया गया वह स्वाभाविक था, जैसा कि सदन के नेता ने बतलाया कि यह प्रस्ताव पिछले अधिवेशन की अन्तिम तारीख को ...

श्री त्यागी—Two days before.

श्री अध्यक्ष—यह प्रस्तुत किया गया है।

This was put on the 31st of March, the day on which we adjourned. It was put at 9.30 A. M.

[श्री अध्यक्ष]

और इसके बाद मेरे पास श्री भैंरूंसिंहजी का एक पत्र आया....

एक माननीय सदस्य—कौन से भैंरोंसिंह जी ?

श्री भैंरूंसिंह (१६)—दांता रामगढ़ ।

एक माननीय सदस्य—भैंरूंसिंह जी कई हैं कौन से हैं ?

श्री अध्यक्ष—Order please, division No. 16. एक ही हैं वे और वह पत्र मुझे प्राप्त हुआ ११ मार्च को, और दूसरा पत्र ११ सदस्यों का दस्खती और प्राप्त हुआ जिनकी प्रतिलिपियां मैंने सदन के नेता को प्रेषित कर दीं। सदन के नेता का मेरे पास ३० मार्च, १६५५ का लिखा हुआ पत्र ३१ मार्च, १६५५, को प्राप्त हुआ जिसको मैं सदन के सामने, क्योंकि सारी चीज़ नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन उसका भाव या उसकी कुछ रेलेवेन्ट लाइन्स को पढ़ दूं :

"I have not been able to study the case fully owing to my busy programme on account of the visit of the President to Rajasthan. It goes to show that I am making enquiries into the entire affair and I shall let you know any other facts which come to my notice as soon as I have studied all the relevant papers. You will agree with me that as the whole matter is receiving my earnest consideration, any enquiry by the House is not called for at such a stage."

और ३१ मार्च को हमारा सदन स्थगित हो गया। उसके बाद २६ अप्रेल, १६५५ को मेरे पास सदन के एक माननीय सदस्य श्री टीकाराम पालीवाल का पत्र आया वह मैंने माननीय सदन के नेता को प्रेषित कर दिया।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—उन्होंने उस पत्र में क्या लिखा था, यदि कांनफिडेन्शियल नहीं है तो बतायें।

श्री अध्यक्ष—This I will not reveal because if the House some way thinks to go into enquiry, this is subject to enquiry.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इससे काफी प्रकाश पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—No, no. इसके बाद में जितने पत्र मेरे पास आये वे श्री वेदपालजी त्यागी के थे जिनका उन्होंने जिक्र किया था और वे मैंने सदन के नेता को प्रेषित कर दिये। फिर २२

[श्री अध्यक्ष]

सितम्बर, १९५५ को १० बजकर ३० मिनिट पर श्री वेदपालजी त्यागी ने वही मोशन फिर रखने का एसेम्बली को नोटिस दिया, हमारे स्टाफ को यह दिया। इसकी भी प्रतिलिपि मैंने सदन के नेता को भेजी। फिर श्री वेदपालजी त्यागी ने २६ सितम्बर को पत्र दिया, जिसकी प्रतिलिपि भी मैंने भेज दी। इसके उपरान्त फिर १ अक्टूबर, १९५५ को श्री वेदपालजी त्यागी का पत्र आया। ये सारे पत्र इसी मोशन के बारे में थे; इसे लिया जाय या लीडर इसे पेश करें और इन सारे पत्रों की प्रतिलिपि मैं सदन के नेता के पास भेजता रहा। इसके उपरान्त ३१ मार्च, ५५ और ११ अक्टूबर, १९५५ तक या ४ अक्टूबर, १९५५ तक जिस रोज सदन में श्री त्यागी ने खड़े होकर पूछा उस वक्त तक मैं, इस प्रस्ताव का क्या रूप होगा, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसिजर होगा, इस पर अपना दिमाग नहीं लगा सका था और इतनी लंबी अवधि जाने के बाद मैंने यह समझा कि यदि सदन के नेता का कोई उत्तर नहीं आता है तो अस्थायी रूप से (प्रोविजनली) क्यों नहीं मैं एडमिट करके सदन के सामने रख दूं कि ऐसा तथ्य है, जिससे इस पर सदन अपना विचार प्रकट करे। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ४ अक्टूबर को सदन के सामने यह निवेदन किया था कि वह इस सप्ताह या अगले सप्ताह में ले लिया जायगा। लेकिन ऐसा प्रस्ताव, जिस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, साधारणतः और प्रस्तावों के स्तर पर उसको नहीं लिया जा सकता। यह ठीक है कि सदन के नेता इनके बारे में जांच करें और उनकी जांच के बाद में भी जो अल्प मत के और भी सदस्य हैं या सारे सदन के और भी भिन्न भिन्न पार्टीज़ के सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार के रक्षण का सवाल अध्यक्ष के पद में निहित होता है। यह संभव हो सकता है कि किसी समय सदन के नेता जिनके लिये जांच करें, उनकी जांच के बाद सदन का अध्यक्ष उनसे सहमति करे और इसके विपरीत दिशा भी हो सकती है। ऐसी सूरत में जब ३१ मार्च और ४ अक्टूबर तक के समय मेरे पास कोई सूचना इस बात की नहीं आई कि सदन के नेता का क्या अभिमत है, इस पर मैंने वह विचार आप लोगों के सामने व्यक्त किया कि इसको ले लिया जायगा। लेकिन इसके बाद में ११ अक्टूबर को मुझे सदन के नेता का पत्र मिला जिसमें उन्होंने इस बात की सम्मति प्रकट नहीं की कि कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस बनता है, तो फिर मेरी स्थिति बड़ी असमंजस की हो गई और मैंने यह उचित समझा कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सदन के सारे सदस्यों के सामने ही उसे स्वीकार करना चाहिये या नहीं, उस पर बहस करके इसे लिया जाना चाहिये। कुछ ऐसे तथ्य मेरे सामने उस वक्त नहीं थे, जो बाद में सामने आये, जिन पर मैं अपना निश्चित मत बनाकर चल सकता और संभव है जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा वे और कुछ तथ्य देना चाहते हैं और इसके बारे में सदन के सामने प्रकाश डालना चाहें तो जितनी भी पक्ष और विपक्ष में सारी सामग्री है इस प्रस्ताव को एडमिट करने, न करने के बारे में वह सदन के सामने आ जाय; फिर प्रस्ताव तोला जाय ताकि सदन के सारे सदस्य एप्रीशियेट कर सकें कि सदन का अध्यक्ष जो निर्णय लेता है और अनुमति देता है वह किस प्रकार की है। इसी बात को ध्यान में रख कर और बहुत असमंजस और विचार विनिमय करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुँचा कि पहले इस प्रस्ताव पर जो सामग्री है वह सारी सदन के सम्मुख पेश हो जाय और फिर निर्णय हो कि इसको स्वीकार करना चाहिये या नहीं। मैं समझता हूँ जब सदन के

[श्री अध्यक्ष]

नेता इस बात को कहते हैं, एडमिसिबिलिटी के बारे में उनको कोई आपत्ति नहीं है तो वे इस बात को स्पष्ट करेंगे कि इसको एडमिट करने में उनका विरोध नहीं है, क्योंकि एक बार एडमिट करने की बात कह दी जाती है कि हम इस प्रस्ताव की एडमिसिबिलिटी का विरोध नहीं करते हैं; तो सदन के नेता का उत्तरदायित्व दूसरा हो जाता है। इसके इम्पलीकेशन्स (implications) अच्छी तरह से समझने चाहिये बनिस्पत इस प्रस्ताव की एडमिनिसिबिलिटी को स्वीकार किया जाय। मैं यह समझता हूँ कि इतने स्पष्टीकरण के बाद में माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा प्रस्ताव जो जिन्युआइन हो सकता है और बड़ा वेक्सेशियस (Vexatious) भी हो सकता है जिनमें माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का सवाल ही निहित नहीं है लेकिन यह बात भी निहित है कि सदन की प्रतिष्ठा कैसी है, स्तर कैसा है, सदस्यों की कैसी प्रतिष्ठा है और उनका स्तर कैसा है। कहीं ऐसा वैक्सेशियस (vaxatious) या रागद्वेष मूलक और दूसरों की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचानेवाला प्रस्ताव यदि सदन के सम्मुख आयेगा तो सदन के नेता उसकी जांच करेंगे और उनके साथ अल्पमत का संरक्षण करने के लिये, सदन के माननीय सदस्यों का संरक्षण करने के लिये सदन का अध्यक्ष है; उस इन्क्वायरी में चाहे वह चेम्बर में हो, चाहे खुले रूप में सदन में हो उसमें जरूर अपना सहयोग देना चाहेगा।

तो इन्हीं सारे स्पष्टीकरणों के बाद मैं माननीय सदस्यों से यह चाहूँगा कि वे जो भी कुछ उनके पास सामग्री है कि जिससे यह प्राइमाफेसी केस बनता है सदन के सामने अभी रखें और इनकी एडमिसिबिलिटी पर विरोध हो तो वे विरोध करें और अपने तथ्य रखें।

इसके बाद इस पर निर्णय लिया जायगा कि ऐसे प्रस्ताव की सदन के सामने एडमिजिबलिटी है या नहीं ?

एडमिसिबिलिटी पास हो जाने से उसका एक बड़ा भारी महत्व हो जाता है। इस प्रस्ताव को लेने के लिये जब तक मैं पूरी बातें नहीं सुन लूं मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष......

श्री अध्यक्ष—All through we have been discussing non-serious subjects.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण जानना चाहूँगा आपके आदेश से इस प्रस्ताव की एडमिसिबिलिटी पर बहस करें या इसके मेरिट्स पर पूरी बहस करें ?

श्री अध्यक्ष—नहीं प्राइमाफेसी के लिये जितना जरूरी है वही कहेंगे, मेरिट्स के ऊपर बहस नहीं होगी। एडमिसिबिलिटी के लिये प्राइमाफेसी है या नहीं, इसी पर कहेंगे। किसने डोक्युमेंट पेश किया या नहीं, इसमें नहीं जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा—एडमिसिबिलिटी का निर्णय तो आप ही करेंगे !

(हंसी)

श्री गोपीलाल यादव—नाथूरामजी साहब, आप नहीं करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि आप अनुमति दें तो इसकी एडमिसिबिलिटी पर कुछ कहूँ।

(घंटी)

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जवाब में कहा कि सदन के नेता यदि इसको एडमिट करने में कोई एतराज नहीं करते हैं तो उनका दायित्व दूसरा हो जाता है, उसका मतलब मैं नहीं समझा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसका स्पष्टीकरण मैं आपकी तरफ से कर दूं।......

श्री अध्यक्ष—I have got in writing that the Leader opposes the admissibility of this.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, एडमिसिबिलिटी के बारे में मैंने पूरी बातें कहीं; उसके ऊपर मेरी बातों को समझा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—That is what I say.

श्री वेदपाल त्यागी—शुरू में इसको एडमिट हुआ मान लिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने निवेदन किया था पहले ही कि सर्कुलेट हो गया है इसलिये इस पर विचार करने की स्टेज निकल चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सदन के नेता ने यह कहा कि इसको एडमिट हुआ मानकर चलें। You agree to the admissibility of this ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—This is a case purely for your decision

श्री अध्यक्ष—My decision is there.

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपके पास बाद में आया, पहले उन्होंने एडमिट कर लिया।

श्री नाथू राम मिर्धा—यह पोजिशन दुविधा को हो गई है। आपने सारे हालात सदन को बताये, माननीय सदन के नेता ने बताये, माननीय सदस्यों ने, दुविधा क्या है, वे भी सब सीधी बातें कह दीं।

आपने एडमिशन करने का हुक्म दे दिया है तो हम क्या बहस करेंगे? अब वह गलत हुक्म था या सही था, आप हुक्म दे चुके हैं। एक दफा आपका हुक्म बन गया है, उसको मानना चाहिये और उसको हम मानते हैं।

श्री अध्यक्ष—But the hon'ble member has not followed the implications of the admissibility if the Treasury Benches accept it. It is subject to some conditions which the leader has laid and which I think that under the circumstances the Leader has opposed the admissibility of this.

श्री हरि कृष्ण व्यास—But the admissibility...

श्री अध्यक्ष—Order please!

I make it very clear if the hon'ble member is not discerning the point that I have expressed. When it is provisionally admitted by the Speaker and the Leader concurs then the responsibility is that there is a prima-facie case against the member which the leader has specifically denied and said that there is no case. So my difficulty is that whether I should stick to the provisional decision that I took or when the facts are placed before me, of an enquiry by the Leader, I should reject it.

कुं श्री जसवन्त सिंह—On a point of order, Sir, I have to say something. I am sorry that I started this but I did it in a pure good faith. What I was saying was about the precedents and on the conventions held elsewhere. Now, Sir, the position emerged after your decision is this that the preliminary enquiry is incumbent and necessary and your honour representing us-the minority have to be associated into the enquiry and that enquiry has to be done outside the House. This the position according to me.

श्री वेदपाल त्यागी—After having given in writing to you what he has said on the floor of the House it should be taken to have been admitted. Even now if he opposes it as my friend has just said that an enquiry should be held outside the House in camera and after having made that enquiry, if you come to the conclusion that a primafacie case bas been established, then it should be admitted and after that whatever the consequences follow should come.

Page No.95

श्री अध्यक्ष—Then even if I do not give my decision and place it before the House let the members of the opposition face the House. I put it to the House and let it be decided by votes. If the opposition is prepared to face it I will atonce order and put it for the vote of the House. But what is all this? I have made it very clear that if the hon'ble member moves it and then there is no opposition of the Leader, I will put it to the vote of the House here and now and let it be decided. That way there was a clear indication on behalf of the Leader that it be taken on the sixth (October) and if the hon'ble members are prepared, I am prepared to put it for vote of the House here and just now without giving my decision.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Leader must move the motion if the prima facie admits the position otherwise......

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—Why did you waste all this time? If I was told beforehand I would not have wasted my time and that of the House.

श्री अध्यक्ष—This is the constitutional check which the hon'ble Leader of the House wanted the House to put in but if the Speaker dose not come in I put before the House and get it voted.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—We want the convention to be sticked at. The Speaker is the guardian of the rights of the minority and has to come into picture.

श्री अध्यक्ष—I fail to understand the arguments.

श्री वेदपाल त्यागी—Then we have no objection if the metion is that a prima facie case has been made out and it is admissible.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कई बातें इकट्ठी हो रही हैं कई माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि प्राइमाफेसी केस है या नहीं, कई यह कह रहे हैं कि इसकी एडमिसिबिलिटी पर बहस हो। एक माननीय सदस्य कहते हैं कि प्राइमाफेसी केस है कि नहीं, इसकी अध्यक्ष महोदय जांच करलें और फिर सदन में यह आये। ये दो-तीन तरह की बातें सदन में आती हैं। सदन में निर्णय होता है तो अलग अलग स्थिति है, एक बात मालूम हो जाय कि विरोधी पक्ष की ओर से क्या कहा जा रहा है?

श्री अध्यक्ष—They are confused.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—They were pressing for its moving immediately and just now want to postpone the discussion.

श्री वेदपाल त्यागी—We want to know from the Leader of the House whether they want to follow the convention. If he wants a prima facie case to be established before the House for admissibility, we are ready. If he wants to follow the convention by him of course we will welcome this also. This is for the Leader of the House to decide and not for me.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि मैं चाहूँ या न चाहूँ। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य का आज जो ख्याल है वह पहले होता तो सदन में खड़े होकर यह नहीं पूछा जाता कि कब लिया जाएगा।

("हिअर हिअर" की आवाज)

श्री वेदपाल त्यागी—On a point of explanation, Sir, I had given in writing through you that the matter should be taken up by him and it should be moved by him. Since he did not take any action I had to ask that question and I wanted him to do his duty but since he has failed in his duty, I have to fulfil that.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह बार बार कहा जाता है कि ऑपोजिशन की क्या स्थिति है ? जो भी स्थिति है उसको मैं बता देना चाहता हूँ। यदि आप इसको एडमिशन मान कर चलें तो उसके पक्ष में दलीलें देने के लिये तैयार हूँ और अगर आप प्राइमाफेसी की आवश्यकता महसूस करते हैं तो प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं, इसके लिये हम दलीलें देने को तैयार हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार का निर्णय देंगे उसको मंजूर करने के लिये भी ऑपोजिशन तैयार है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य जो बात अब कह रहे हैं पहले कहते तो ठीक था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हम तो अपना काम करने के लिये तैयार हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—What do I take ? If, subject to the limitations which the Leader has expressed, the hon'ble members want the moving of the motion, it can

[श्री अध्यक्ष]

be directly taken up for discussion. The admission stage might be taken as over if the Treasury Benches are prepared to face it even if it is inadmissible on the floor of the House. If they want to discuss its admissibility, then admissibility can be discussed. Even if it is inadmissible and the Treasury Benches are prepard to take the motion to the vote of the House, it will come naturally.

श्री हरिकृष्ण व्यास—एडमिट होने पर डिस्कशन तो इस पर होगा।

(घंटी)

श्री वेदपाल त्यागी—I, as a mover, accept both the positions. If the Leader wants its admissibility to be discussed on the floor of the House, I am prepared to do that. If he wants that it is admissible it has already been admitted and prima facie case is there and if they do not object the admissibility of this, then the consequences whatever, should follow.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Perhaps the hon'ble Member forgets the context. On that day it was finally admitted and in that context the Leader has said.

श्री वेदपाल त्यागी—What is the position ? Does the hon'ble Leader of the House wants to take it now, we want to know.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—There is no other situation except that it has been admitted and we have to take that it has been admitted ?

श्री वेदपाल त्यागी—Then the implications and the consequences which the hon'ble Speaker has just now said should follow. If you feel that it is worthwhile admitting then the consequences must follow.

श्री अध्यक्ष—It is quite clear.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I wanted one clarification, Sir. If it is taken as admitted then the debate would follow. What is the conception of the Leader of the House on that point ? Does he want the voting to be taken or he is prepared to hear the arguments ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—We meet tomorrow, Sir. We are starving now.

श्री मोहन लाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, एडमिशन के बारे में बार बार कहा जाता है कि इसको मानकर चला जावे । मैं यह कहूंगा कि एक बार इस प्रस्ताव के बारे में आपके चैम्बर में भी बातचीत हुई थी और आपने बताया था कि रूल ८३ में यह (अश्रव्य) मोशन है। यह स्पीकर के अख्तियार की भी बात नहीं है । यह बात कही गई थी । उसके बाद सवाल यह रहता है कि इसको एडमिट किया जावे या नहीं किया जावे । उसको एड मिट किया जावे, इसको मैं एग्री करता हूँ । इसको एडमिट करके इस पर निर्णय किया जावे, लेकिन प्राइमाफेसी बनता है इसलिए इसको एडमिट किये जाने की बात है, इसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष—तो फिर मूव करिये। The position is quite clear. So the motion should be moved. One information I want to give to the hon'ble Members is that the papers regarding the Five Year Plan proposals are lying in the Notice Office and the Members while departing should pick them up.

Regarding this, the Leader even admitting that there is no prima facie case accepts the challange that it should be debated.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Challange of what ? Here is the Speaker to decide. How does the Challenge comes in ? You don't agree ?

श्री मोहन लाल सुखाडिया—We have never said that.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—Then ?

श्री वेदपाल त्यागी—I will take about an hour to make the motion.

कुछ माननीय सदस्य (राज्य पक्ष)—We are prepared to sit.

श्री मोहन लाल सुखाडिया—Because this is a very important motion in which the dignity of one of our members is involved we may take it up tomorrow in the afternoon.

कुछ माननीय सदस्य—Tomorrow in the afternoon.

श्री मोहन लाल सुखाडिया—Then we can take it up today afternoon.

श्री वेदपाल त्यागी—I have taken the leave of the High Court only upto 1 P.M. I must go there.

राजश्री हिम्मतसिंह—We may take it tommorrow morning.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Tomorrow morning we will be discussing the Rajasthan's second Five Year Plan.

(घंटी, परस्पर वार्ता एवं शोरगुल)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसको कल सुबह रख लीजिये और प्लान वाला कल शाम को रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—So without going into the merits of the case or deciding its prima facie nature I concur with the Leader that the motion be admitted. And when should it come-tomorrow ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Either today, Sir, or tomorrow morning

श्री विशम्भरनाथ जोशी—On a point of information, Sir, the meetting of the Rajasthan Planning Board is scheduled to meet today evening and in the meantime we would like to go for lunch.

श्री मथुरादास माथुर—Then tomorrow morning.

श्री वेदपाल त्यागी—You can keep anyday you like.

राज श्री हिम्मतसिंह—ऑर्डिनेन्स पास हो जाना चाहिए।

(अल्प विराम के अनन्तर)

समय नहीं हैं तो उसको अगले सेशन के लिए पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूँ कि पिछले सेशन से अब तक चली आ रही है बहस मुबाहसा। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य सहमत होंगे कि जब किसी माननीय सदस्य का कन्डक्ट इन्वोल्ड हो और मोशन हाउस के सामने हो और उसको पोस्टपोन करते चले जांय तो ठीक नहीं है। कल शाम तक के लिये इसको पोस्टपोन कर दें।

श्री वेदपाल त्यागी—शाम को टाइम मुझे सूट नहीं करता है। I am the mover and my convenience must be accommodated by the house.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपकी कन्वीनियन्स जरूर देखी जाय इसके लिये इन्कारी नहीं है। यह सदन अभी मिल रहा है और फिर छुट्टियां हो रही है, अगर इसे कल नहीं लेते हैं तो सम्भव नहीं है आगे....

श्री श्रीदास गोयल—सदन के माननीय लीडर, ऑपोजीशन के माननीय लीडर और मूवर साहब तीनों मिल कर निर्धारित कर लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हमारा तो यह कहना है कि समय पूरा मिलना चाहिये, चाहे कल लें, परसों लें, तरसों लें। ऐसा न हो कि कल कल करके फिर आने वाले आर्डिनेन्सेज हैं उनको पांच पांच मिनिट में ही खत्म करें। यह सदन के नेता को भी सोचना है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—We are prepared to sit for the whols night.

एक माननीय सदस्य—आज शाम को छः बजे से रख लीजिये। प्लानिंग का कल हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—So we adjourn till tomorrow morning at 8. 30 A.M. and it will be announced-rather the papers will be circulated to the hon'ble members.

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२.५५ बजे मध्यान्होत्तर, शुक्रवार, दिनांक १४ अक्टूबर १६५५, के प्रातः ८.३० बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १३ अक्टूबर, १६५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

३६८ (६६। ए. टी. एम.) श्री नारायण चतुर्वेदी, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १०६—क्या सिंचाई विभाग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;—

(क) क्या चाकसू तथा बसी तहसीलों में सांपला, चन्दलाई, बरेसलो आदि गांवों में बड़े बांध बनाने का कोई आवेदन पत्र आया है ?

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(क) हां, एक प्रार्थना पत्र ता० १२-६-५५ को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

(ख) प्रारम्भिक छानबीन की जा रही है।

परिशिष्ट २

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

१. (६२ । आर. एम) श्री रिद्धिचंद पालीवाल (१२६)—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें करेंगेः—

(क) १ अगस्त, सन् १६५४ से ३१ अगस्त सन् १६५५ तक राजस्थान भर में किन २ से कितना रुपया पेट्रोल के सेल्स टैक्स से प्राप्त हुआ है ?

(ख) उपरोक्त सेल्स टैक्स इससे पिछले वर्ष के इस ही अर्से के कस्टम के मुकाबले में अधिक है या कम ?

उत्तर

(१) राजस्थान में पैट्रोल पर सेल्स टेक्स १ अगस्त, १९५४ से ३० जून, १९५५ तक रु० १३,९०,२४८ (तेरह लाख नव्वे हजार दोसौ अड़तालीस) प्राप्त हुआ है। जुलाई-अगस्त के आंकडे उपलब्ध नहीं है।

(२) उपरोक्त सैल्स टैक्स पिछले वर्ष का मिलान करते हुये कस्टम से अधिक है।